INNOVATION

तीन तलाक और उसपर मुस्लिम समाज का नजरिया

ग्रुप के सदस्य

सबा शेख

हुमा फारुकी

गज़ाला अफरीन

अलफरनास सोलकर

नगमा शाह

मिस्बाह खान

पारस नाईक

एहतेशाम पीरजादे

ग्रुप फैसिलिटेटर

अरविन्द सकत

ग्रुप मेंटर

हिना इस्माईल

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee's
Guru Nanak Khalsa College of
Arts, Science & Commerce

GUNVATI JAGAN NATH
KAPOOR FOUNDATION

तालिका

आभार

धन्यवाद कहने के लिए तो बहुत छोटा शब्द है पर इसका मूल्य बहुत है। इससे हम आप सभी के लिए अपना प्यार और आदर व्यक्त करना चाहते हैं। आप सभी के बिना यह रिसर्च पूरा नहीं हो पाता, रिसर्च में मदद के लिए आप सभी का धन्यवाद!!

यह रिसर्च हमने किया है पर इस को पूरा करने में हमें कहीं अलग-अलग लोगों ने सहायता की है। हम सभी सबसे पहले अपने समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, आप ही की वजह से हमें अपने रिसर्च के लिए सहभागी मिले। हम अपने एक्सपर्ट्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं| उनके कारण हमें अपने रिसर्च के विषय का इतिहास और हमारे विषय के बारे में पता चला।

हम गुणवंती जे कपूर मेडिकल रिलीफ चैरिटेबल फाउंडेशन और उनकी टीम के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारी कॉलेज में इस तरह की फेलोशिप चलाकर हम जैसे छात्रों को सामाजिक विषय पर संशोधन करने का मौका दिया।

हम हमारे कॉलेज(गुरु नानक खालसा कॉलेज) के प्राध्यापक डॉ. सिबी तथा उनके सहकारी अध्यापकों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें समय-समय पर सहयोग किया और हमारे इस सीखने के सफर को आसान किया।

हम पुकार संस्था और उनकी टीम को भी शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने साल भर अलग-अलग वर्कशॉप लेकर हमें संशोधन क्यों और कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी। साल भर के इस संशोधन में हमने Gender, Methodology, Sexual Harassment, RTI जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, अपनी खुद की राय बनाई और अपनी सोच बदलना शुरू किया।

हम Youth Leaders As Change Makers टीम को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। सबसे पहले हम यूथ फेलोशिप प्रोग्राम के हमारे फैसिलिटेटर अरविंद और सुनिल को धन्यवाद कहना चाहते हैं। इस संशोधन में हमें हर कदम पर सलाह और मार्गदर्शन करने वाली हमारे मेंटर हिना को भी शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने हमें हमारे कठिन समय पर मदद की। रिसोर्स पर्सन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने वर्कशॉप के जरिए रिसर्च के अलग अलग पहलू को बताया।

बांद्रा में काम करने के लिए हमें जगह उपलब्ध करने के लिए हम स्त्री बाल शक्ति संस्था के भी आभारी हैं। हम अपने दूसरे फैसिलिटेटर को भी धन्यवाद कहते हे जिन्होंने कदम कदम पर हमे इस रिसर्च पर मदत के लिए हाथ बटाया।

पूरे साल भर में हमें अलग-अलग प्रकार से मदद करने वाले फेलोशिप के बाकी ग्रुप, हमारे रिसर्च के सहभागी छात्र और अध्यापक जिनके बिना यह लंबा सफर कभी पूरा नहीं हो पाता, उन सब को हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण हमारे परिवार का हम धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने हमें हर तरह से मदद की हम उनके भी बहुत आभारी हैं। हमें फेलोशिप काम के लिए अपनी छुट्टियों के दिन भी बाहर निकलना पड़ता है रविवार के दिन भी अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिताने मिलता। इसलिए हम हमारे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे समय में समझ कर लिया और मदद की।

हमें हर तरह से सहायता करने के लिए सभी को धन्यवाद!!

प्रस्तावना

इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है दवा की नहीं अगर खाना छोड़कर दवा को खाना पीना बना लिया जाए तो अच्छा जिस्म बीमार हो जाता है और जान पर बन आती है।लेकिन अगर वही इंसान बीमार हो जाए तो सेहत को लौटाने के लिये दवा ज़रूरी है। शादीशुदा जिंदगी में शौहर और बीवी की ज़िंदगी मे तलाक़ की हैसियत उसी दवा से है।

निचे दि हुई कविता तीन तलाक़(तलाक़ ए बिद्दत) इस तलाक़ प्रकार का असमर्थन करती है|

तलाक सही नही, तलाक सही नही।।

अल्लाह कि नापसंद चीजो को दोहराना, सही नही।
उनका बनाया रिश्ता, तुमपर मेहरबानी नही।
तलाक सही नही, तलाक सही नही।।

समजोता हो जिसमे, रिश्ता है वही।
जो औरत को सम्मान दे, मर्द है वही।
तलाक सही नही, तलाक सही नही।।

निकाह के बाद औरत, तुम्हारी जिम्मेदारी है नई।
सफर जिंदगी का, ना कटेगा सही।
अगर तुम्हारी जीवनसाथी पत्नी साथ नही, तुम्हारी पत्नी साथ नही।
तलाक सही नही, तलाक सही नही।।

- पारस नाईक।

तलाक़ अगर बे समझे बूझे और बे ज़रूरत दी जाए तो ये ज़िन्दगी को बर्बाद कर देती है और ख़ुशियों की जगह कई तरह की मुसीबतें घेर लेती हैं। लेकिन जब शौहर व बीवी के दरमियान रिश्ता इतनी दूर हो जाए जैसे समंदर के दो किनारे जो कभी आपस मे नहीं मिलते तो उस वक़्त तलाक़ दोनो की ज़रूरत और हर एक के लिए राहत हो जाती है।

22 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वक़्त में दी जाने वाली तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया और सरकार पर तीन तलाक़ को रोकने के लिए कोई कानून लाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। इस फैसले के बाद समाजिक और राजनीतिक स्तरों से अनेक

प्रतिक्रियाएँ नज़र आईं। तीन तलाक़ देने वाले के ऊपर सरकार ने तीन साल की सजा देने का बिल बनाया इस बिल को लोकसभा में एक ही दिन में मंजूरी मिल गई वहीँ राज्यसभा ने इस बिल को मंज़ूरी नहीं दी और यह बिल खारिज कर दिया गया।आज हमारे समाज में तलाक एक अहम मसला बनता जा रहा है उसके पीछे कम मालूमात एक बड़ी वजह है। तलाक़ से पैदा हो रहे मसले से घबरा कर कोई तलाक़ पर बंदिश की बात करता है तो कोई उसको पाबंद शरीयत बनाने की वकालत करता है। तो यहां जिस तरह अलग अलग गुफ्तगू हो रही थी जिस समाज पर इतनी बाते हो रही थी उस समाज के लोगो की राय जानना बेहद ज़रूरी था। इसलिए हमने मुस्लिम समाज के लोगो की तलाक़ पर क्या राय है यह जानना चाहा।

अब हमने इन मुस्लिम समाज में केवल आम लोगों को ही इसलिए चुना क्योंकि मौलाना और विद्वानों की सोच और उनकी राय हमे आमतौर पर मीडिया के ज़रिये सुनने में आ जाती है लेकिन आम जनता की आवाज, उनकी राय सामने नहीं आती। यह सर्वेक्षण हमने मुंबई के उन इलाको में किया है जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी।तो ये इलाके कुछ इस तरह हैं गोवंडी, वडाला, धारावी, मलाड, जोगेश्वरी। इसी तरह हमारे रिस्पोंडेंट्स सैंड्हर्स्ट रोड, अंधेरी ,दादर ,वरली इन जगहों से भी हैं। इन जगहों में हमने कुल 413 सर्वक्षण किये जिनमे महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं।

हमने हमारे प्रश्नावली मे तलाक से जुडे मसले, उनमे औरतो के हक, शरीयत में तलाक का ज़िक्र, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार के द्वारा बन रहे कानून को लेकर उनकी क्या राय है इस तरह के अलग अलग सवालों पर प्रश्न पूछे।

लोगो की राय में तीन तलाक़ देने वालों के ऊपर किस तरह का कानून बनना चाहिए इस पर भी बात की। इस तरह हमने लोगो से इस मुद्दे से जुड़े कुल 25 सवाल पूछे।

इन सवालों के जवाब में मुस्लिम समाज के अलग अलग पहलू हमारे सामने आए।

ग्रुप प्रोसेस

हमारे ग्रुप में 8 सदस्य है जिसमे तीन मेंबर वडाला से, दो दो मेंबर माहिम् और दादर से और एक मेंबर चेंबूर से था लेकिन ग्रुप का हर मेंबर गुरु नानक खालसा कॉलेज के SYBA की कक्षा से जुड़ा हुआ था. हमे पुकार NGO के बारे में सबसे पहले vice principal देवेंद्र कौर से जानकारी प्राप्त हुई. उन्होंने कहा कि पुकार में ज़रूर हिस्सा लीजिये जिससे आप लोगों को बहोत सारी नई चीज़े सीखने मिलेगी।

हमारे कॉलेज में हर साल पुकार और गुणवंती जे कपूर फाउंडेशन मिलकर कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एक युथ फेलोशिप प्रोग्राम कंडक्ट करते है जो समाज मे चली समस्या पर रिसर्च करते है। खालसा कॉलेज में पुराने फ़ेलोस का orientation प्रोग्राम हुआ जिसमे उन्होंने अपने रिसर्च के बारे में बताया और बाद में अनिता जी और उनके सहायक ने मिलकर पुकार और युथ फेलोशिप के बारे में जानकारी दी.

वर्कशॉप

हमरा इंटरव्यू होने के बाद 36 छात्राओ का युथ फेलोशिप में चयन हुआ. हमारे पहले दो कैम्प खारघर में हुए जहां हमे पहले खुदको जानने में मदद हासिल हुई और दूसरा कैम्प जो खारघर में ही हुआ था इसके ज़रिये सोसाइटी को जानने में मदद हासिल हुई । इन दो कैम्प के बाद हमारा एक कम्युनिटी विजिट भी हुई. उसके बाद हमारे सेंट पायस स्कूल में वर्कशॉप शुरू हुए। यह वर्कशॉप हर रविवार को होते थे यह वर्कशॉप CBPAR, RESEARCH ETHICS, RESEARCH METHODOLOGY , LITERATURE REVIEW, INTERVIEW SESSION, वगैरा वर्कशॉप हुए।

हमने इन वर्कशॉप के ज़रिए सीखा के ग्रुप के साथ जुड़ कर किस तरह काम किया जाए, किस तरह खुदके अंदर बदलाव लाया जाए, किस तरह अपनी बात दुसरो तक पहुंचाई जाए और किस तरह दुसरो के विचारों का मान रखे।

हमारे तीसरे वर्कशॉप के समय हम सब के ग्रुप बनाए गए जिसमे SYBA के छात्राओं को हमारी सहूलत की बिना पर एक ग्रुप बनाया गया ।जब हमारा ग्रुप बना तो हर एक मेंबर एक दूसरे को चेहरे से जानता था मगर नाम से नहीं जनता था.

ग्रुप के तीन मेंबर्स को इस ग्रुप में रहना पसंद नही था वह दूसरे ग्रुप में जाना चाहते थे मगर ऐसा नही हो पाया। तब हमें अरविंद जी फैसिलिटेटर के तौर पर मिले और हमने अपने ग्रुप का नाम INNOVATION (नई खोज) रखा ।

ग्रुप मीटिंग

हम शुरुवात के हफ़्तों में अपने फैसिलिटेटर अरविंद के साथ हफ्ते में एक बार मिलते थे. अरविंद जी हमे पिछले वर्कशॉप में क्या हुआ और अगले वर्कशॉप में क्या होगा इसके बारे में जानकारी देते थे।

साथ ही साथ हर ग्रुप मेंबर को अपने विचार ग्रुप में रखने में आसानी होती थी। इसके साथ हम 8 मेम्बर हफ्ते में एक या दो बार मिल ही लिया करते थे और उसमें अपने कठिनाइयो को सुलझाने की कोशिश करते थे.

रिसर्च विषय चुनना और कठिनाइयां

रिसर्च विषय चुनने के वक़्त हम हफ्ते में तीन से चार मीटिंग करते थे और हम अलग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करते जैसे कि धर्म और ध्वनि प्रदुषण , BMC और पानी, सड़क पर रहने वाले लोग, बेघर लोग, मुंबई में पब कल्चर, वगैरा वगैरा।

हमारी एक ग्रुप मीटिंग के दौरान हमारे फैसिलिटेटर सुनील और अरविंद ने हमारे ग्रुप के साथ तीन तलाक के विषय पर चर्चा की. चर्चा के बाद हमने ये सोचा की क्या हम तीन तलाक पर

रिसर्च कर सकते है? ग्रुप के कुछ मेंबर ने इस टॉपिक पर चर्चा करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था के हमारे इस्लाम के हिसाब से हम खिलाफ में ना चले जायें मगर आखिर में हमारा ग्रुप तीन तलाक़ पर रिसर्च करने के लिए तैयार हो गया।

हमारा रिसर्च प्रोसेस अच्छे से चल रहा था कि एक ऐसा मोड़ आया जिस ने हमारे ग्रुप को हिला कर रख दिया। हमारा ग्रुप ये सोच में था कि हम आसानी से 15 ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू ले लेंगे जिनको एक वक़्त में तीन तलक दिया गया है और आसानी से रिसर्च पूरा करेंगे तब अनिता (EXECUTIVE DIRECTOR OF PUKAR) ने हमे बताया कि तीन तलाक़ महिलाये हमारे इंटरव्यू का इंतज़ार नही कर रही है, वैसे तीन तलाक़ होते कम है और आप इतने आसानी से बोल रहे हो कि आपका ग्रुप 15 तीन तलाक़ महिलाओं का इंटरव्यू लेगा ,इस बातचित के दौरान उन्होंने रिसर्च में आने वाली मुश्किलात के बारे में बात की और उन्होंने रिसर्च के विषय को कैसे शॉर्ट और फिल्टर किया जाय उसके बारे में आगाह किया।

डेटा कलेक्शन

हम डेटा कलेक्शन के लिए तीन मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने कुछ मुस्लिम विद्वान और कुछ सर्वे और कुछ आम लोगों के इंटरव्यू ले चुके थे मगर जब आलोक ठाकुर के वर्कशॉप के समय उन्होंने सर्वे की तादात को बढ़ाने का सुझाव दिया तो हमने सर्वे को 100 से बढाकर 400 करने का निश्चय किया। पर उन्होंने ने यह भी बताया कि मुस्लिम विद्वान के विचार सब को पता है मगर आम जनता के तीन तलाक़ पर क्या विचार है यह लोगों को पता नही है इस लिए आप लोगों पर ज़्यादा तवज्जा(ध्यान) दे।

शुरुवात में ग्रुप मेंबर को सर्वे लेते वक्त बहोत मुश्किलात का सामना करना पड़ा।लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाहट ज़ाहिर कर रहे थे. शुरू में हमारी सर्वे लेने का कार्य थोड़ा धीमा था मगर एक समय के बाद हमने भी रफ्तार पकड़ ली। सर्वे के साथ साथ हमने एक्सपर्ट के इंटरव्यू भी लिए और तीन तलाक़ शुदा औरत का भी इंटरव्यू लिया।

डेटा कलेक्शन की एक अच्छी बात यह थी कि जब भी पूरा ग्रुप कहीं रिसर्च इंटरव्यू करने जाता था तब वापसी के समय किसी न किसी जगह जा कर सैर तफरी भी किया करते थे। जैसे पुणे गए तो आखिर में शनिवारवाड़ा घूमे या राम पुनियानी का इंटरव्यू होने के बाद फिर पवई तलाव को घूमने जाना।

डेटा विश्लेषण

डेटा जमा करने के बाद हमे उसे एक्सेल फ़ाइल में टाइप करना था तो हर एक ने अपने किये हुए सर्वे को एक्सेल शीट में टाइप किया, इस प्रोसेस में हर मेंबर को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जैसे गलत जगह पर गलत टाइप करना या ऑर्डर चूकना। ओपन एंडेड सवालो के आये हुए डेटा के थीम्स और ट्रेंड्स निकाले।

कठिनाइयाँ

हमारे रिसर्च में सब से बड़ी कठनाई यह थी कि हमे अपने रिसर्च में बहुत बार तब्दीली करनी पड़ी जैसे रेस्पोंडेंट को बदलना या रिसर्च मेथोड़ोलोजी को बदलना, सर्वे को बढ़ाना वगैरा।

हमारे लिए यह भी चुनौती थी कि किस तरह इस सेंसिटिव विषय पर लोगों से जानकारी हासिल करें। हमारे ग्रुप मेम्बरों को थोड़े बहुत ना का भी सामना करना पड़ा था। पर इन्ही कठनाइयों के ज़रिए हमे नए नए तरीके से सर्वे करने की नई सोच भी मिली।

इस कि वजह से ही हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, अपने विचारो को आगे तक पहुंचाने में आसानी हुई है। हर कोई अपने विचारो को सही तरह से स्पष्ट करने में आसानी हुई । लोगों के विचारों का आदर करने की सीख हमे पुकार के ज़रिए हासिल हुई है।

लिटरेचर रिव्यु

कुरआन शरीफ में तलाक के बारे में बताया है,

तर्जुमा: तलाक़ दो बार है। फिर सामान्य नियम के अनुसार (स्त्री को) रोक लिया जाए या भले तरीक़े से विदा कर दिया जाए। और तुम्हारे लिए वैध नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो, उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इस स्थिति के कि दोनों को डर हो कि अल्लाह की (निर्धारित) सीमाओं पर क़ायम न रह सकेंगे तो यदि तुमको यह डर हो की वे अल्लाह की सीमाओ पर क़ायम न रहेंगे तो स्त्री जो कुछ देकर छुटकारा प्राप्त करना चाहे उसमें उन दोनो के लिए कोई गुनाह नहीं। ये अल्लाह की सीमाएँ है। अतः इनका उल्लंघन न करो। और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो ऐसे लोग अत्याचारी है। (2,229)

दूसरी जगह कुरआन शरीफ में बताया गया है,

और यदि तुम्हें पति-पत्नी के बीच बिगाड़ का भय हो, तो एक फ़ैसला करनेवाला पुरुष के लोगों में से और एक फ़ैसला करनेवाला स्त्री के लोगों में से नियुक्त करो, यदि वे दोनों सुधार करना चाहेंगे, तो अल्लाह उनके बीच अनुकूलता (मिलाव) पैदा कर देगा। निस्संदेह, अल्लाह सब कुछ जाननेवाला, ख़बर रखनेवाला है। (4,35)

निकाह की तारीफ :-

मर्द को औरत की ख्वाहिश और औरत का मर्द की जानिब मिलान (attraction) ये एक फ़ितरी (Naturally) बात है और अल्लाह तआला ने इन ख्वाहिशों और जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाह को जरिया बनाया। ताकि इंसान हैवानियत की तरह इस फ़ितरी (Naturally) ख्वाहिश को आज़ाद पूरा न करे, बल्कि निकाह के बाद सही तरीक से फ़ितरी ख्वाहिश को पूरा करे। निकाह एक बहुत ही मज़बूत और शरयी रिश्ता(अहद) है और एक ऐसा अहद जिसको तोड़ना अल्लाह तआला को नाराज़ करना है।

तलाक़

इस्लाम की नज़र में तलाक अगरचे नागवार और नापसंदीदा अमल है;मगर ऐसे हालात में भी अगर तलाक़ की बिल्कुल मुमानियत (ना मंजूर) कर दी जाए तो यह निकाह दोनो के लिए सख्त फितना और परेशानी का सबब बन जायेगा। लिहाज़ा ऐसी मजबूरी में शरीयते इस्लामी ने तलाक की गुंजाइश दी है। क्योंकि निकाह के बाद पैदा होने वाले मुश्किलात और सख्त दुश्वारी व तंगी की हालत से निकलने का पुर अमन पुर सुकून रास्ता सिर्फ तलाक़ है।
(2017)

मर्द को तलाक देने का हक़्क़ है जिस में तीन तरीके आते है।

अहसन:

अहसन तलाक़ का मतलब यह है कि मर्द अपनी बीवी को ऐसे तहर(पाकी) यानी हैज़ आने के बाद पाक हालत में, जिस में उसने जमआ ना किया हो,एक तलाक़ दे दे। फिर इस कि इद्दत गुज़र जाने तक छोड़े रखे। इस तरीके को अहसन बहुत बेहतर क़रार दिया गया है।

हसन:

हसन तलाक़ देने का वह तरीका है जिस में खाविंद(शौहर) अपनी बीवी को ऐसे तहर में तलाक़ दे जिस में इस से सुहबत ना कि हो। फिर दुसरे तहर में दूसरी और तीसरे तहर मे तीसरी तलाक़ दे यानी तीन तहरो में तीन तलाके।

बिद्दत:

तलाक़ ए बिद्दत वो तरीका है जिस में तलाक अहसन और हसन का तरीका इख्तियार न किया गया हो। यानी बिद्दत वो तलाक़ है जिस में एक वक़्त एक से ज्यादा तलाके दे दी जाएं, या औरत को ऐसे तहर में तलाक दे देना जिस में औरत से हमबिस्तरी की हो। या हैज़ (माहवारी) की हालत में तलाक दे देना।

(2013)

तलाक़ देने का सही तरीका :-

1) सिर्फ एक तलाक़ दी जाए यानी शौहर बीवी से कहे कि मैने तुझे तलाक़ दी।

2) तलाक दो गवाहों की मौजूदगी में दी जाए।

3) तलाक़ पाकी की हालत में दी जाए, पाकी का मतलब हैज़ (MENSTRUATION या माहवारी) न रहे।

4) एक तलाक़ देने के बाद इद्दत गुज़रने दी जाए, इद्दत का वक़्त (समय) तीन बार हैज़ (MENSTRUATION या माहवारी) है, और अगर माहवारी या MENSTRUATION न आती हो तो तीन महीना सिर्फ।

5) इद्दत के अंदर रूज़ू (सुलह करना) नही किया तो वक़्त गुज़रने के फौरन बाद बीवी शौहर के निकाह से निकल जाएगी, अगर उसी बीवी के साथ रहना है तो, फिर से निकाह करना पड़ेगा।

(2017)

तलाक़ के और भी तरीके है जिन के ज़रिये औरत तलाक ले सकती है जैसे की |

खुला

अगर मिया बीवी में किसी तरह निबाह (सुलाह) ना हो सके और मर्द तलाक़ भी ना देता हो तो औरत के लिए जायज़ है कि कुछ माल (पैसा) दे कर या अपना महर देकर अपने मर्द से कहे: "इतना रुपया ले कर मेरी जान छोड़ दो" या यूँ कहे: "जो मेरा महर तेरे जिम्मे है उसके बदले

मेरी जान छोड़ दो"। उसके जवाब में मर्द कहे: "मैं ने छोड़ दिया"। तो इससे औरत पर एक तलाक़ बाईंन पड़ गई। मर्द को इसमें में रजुअ (reconciliation) का इख्तियार नही,। इस तरह निकाह खत्म करके जान छुड़ाने को "खुला" कहते है।

(2017)

तफवीज़

अलहदगी(अलग होना) का दूसरा तरीका तफवीज़ ए तलाक़ है। इस तरीके के ज़रिए अलहदगी की सहूलत औरत को दी गयी है। इस मे मर्द अपना हक़ ए तलाक़ बीवी को सुपुर्द (दे देना)कर देता है, लिहाज़ा अगर निकाह के समय या निकाह बाद भी मर्द तलाक़ हक़ बीवी को सुपुर्द(दे देना)कर देता है, तो यह तफवीज़ ए तलाक़ होगी। अगर शौहर ने शर्त के साथ हक़ दिया है तो शर्त पूरी होने पर बीवी खुद से इस का हक़ का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को तलाक दे सकती है,वह तलाक़ हो जाएगी।

फस्ख

अलहदगी का और एक रास्ता मुस्लिम काज़ी और इस्लामी अदालत के ज़रिए है। औरत को मर्द के बारे में शिकायत है। मसलन वो नामर्द है, या नान निफ्क़ा नही देता, अच्छा सुलूक नही करता,या शौहर लापता हो गया, या पागल हो गया है, या किसी जान लेवा मर्ज में गिरफ्तार है वगैरा तो वो अपना मुकदमा काज़ी के यहां पेश करेगी। काज़ी मामले की तहक़ीक़ और अदालती करवाई पूरी करेगा, और मुतमईन (मामले की छान बीन करने के बाद) होने के बाद काज़ी खुद ही औरत का निकाह फस्ख (ख़त्म) कर देगा।

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश में एक बार फिर 80 के दशक में सामने आए शाह बानो केस की याद ताजा हो गई है। तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गईं शाह बानो की तुलना आज शायरा बानो से की जा रही है जो सबसे पहले तीन तलाक के मसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थीं। शाह बानो को मिला इंसाफ तो तुष्टीकरण(सुलाह) की राजनीति की भेंट चढ़ गया था, लेकिन शायरा बानो को देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो न्याय दिया है, वह हमेशा के लिए बरकरार रहने वाला है। शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक।।।लैंगिक भेदभाव के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी है।
(2017)

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त (खत्म) करते हुए अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक,

गैरकानूनी और शून्य करार दिया। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरआन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 365 पेज के फैसले में कहा, '3:2 के बहुमत से दर्ज की गई अलग-अलग राय के मद्देनजर'तलाक-ए-बिद्दत'' तीन तलाक को निरस्त किया जाता है। जस्टिस खेहर ने स्वयं और जस्टिस अब्दुल नजीर की ओर से फैसला लिखते हूए कहा है कि तलाक बिद्दत हनफी पंथ को मानने वाले सुन्नियों के धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ये उनकी आस्था का मसला है जिसका वे 1400 वर्षो से पालन करते आ रहे हैं। ये उनके पर्सनल लॉ का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मो में प्रचलित समाज में अस्वीकार्य परंपराओं को कानून के जरिये ही खत्म किया जा सकता है। जबकि न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने इस प्रथा को संविधान का उल्लंघन करने वाला करार दिया। बहुमत के फैसले में कहा गया कि तीन तलाक सहित कोई भी प्रथा जो कुरआन के सिद्धांतों के खिलाफ है, अस्वीकार्य है।

(2017)

सरकार ने लोकसभा में द मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्सन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) बिल,2017 पेश किया. इस बिल में तीन तलाक या तलाक-ए- बिद्दत को अपराध घोषित करने का प्रावधान है.

क्या कहता है ट्रिपल तलाक बिल?

इस बिल के मुताबिक तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत गैरकानूनी होगा. बिल के क्लॉज नंबर 3 के मुताबिक अगर कोई शख्स मुंह जुबानी, लिखकर या किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक कहता है तो वो गैर कानूनी होगा.

प्रस्तावित दंडात्मक उपाय क्या है?

अगर किसी शख्स ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया तो उसे जेल जाना होगा साथ ही उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगेगा. बिल के मुताबिक तलाक-ए-बिद्दत गैर जमानती अपराध होगा. बिल के क्लॉज नंबर चार के मुताबिक 'जो भी शख्स अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है उसे जेल जाना होगा और उसकी सजा तीन साल तक हो सकती है.' बिल के क्लॉज नंबर 7 के मुताबिक 'इस एक्ट के अंतर्गत तीन तलाक गैरजमानती और कॉगनीजेबल क्राइम होगा यानी पुलिस थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी.'

ये बिल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कैसे रक्षा करेगा?

जिस महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया होगा उसे उसके पति की तरफ से खर्चा मिलेगा और बच्चों की कस्टडी उसके पास ही होगी. बिल के क्लॉज नंबर 5 और 6 के मुताबिक 'जिस मुस्लिम

महिला को तीन तलाक दिया गया है उसका अधिकार होगा कि वो अपने पति से अपने और बच्चों के लिए एक निश्चित धनराशि की मांग कर सकती है. इसके अलावा तीन तलाक होने के बाद बच्चे की कस्टडी भी मां के पास ही होगी.'
(2017)

घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसे देश में लागू किया गया। इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रहीं महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। केवल भारत में ही लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण(sexual abuse), आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकती है।

(2017)

तलाक़ पर लिए गए सर्वे या रिपोर्ट

Centre for Research and Debates in Development Policy (CRDDP) के द्वारा लिया गया मार्च 2017 से मई 2017 तक ऑनलाइन सर्वे जिस में 20,671 मुस्लिम लोगों ने भाग लिया था जिस में 16860 मुस्लिम मर्द 3811 महिलाये थे। इस सर्वे के मुताबिक 331 तलाक़ के cases मिले जिस में सिर्फ 1 जुबानी तीन तलाक़ था।

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) ने लिया गया सर्वे जिसे उन्होंने ने 'Seeking Justice Within Family – A National Study on Muslim Women's Views on Reforms in Muslim Personal Law' इस नाम से पब्लिश किया था जिस में उन्होंने 4710 महिलाओं का सर्वे लिया गया था जिस में उन्हें 525 तलाक शुदा महिलाएं मिली, इन तलाक़ शुदा महिलाओं में 77% महिलाओं को तीन तलाक़ दिया गया था।

Muslim mahila research kendra और साथ मे shariah committee for women ने लिए गए 8 जिले के फैमिली कोर्ट और दारुल क़ज़ा के डाइवोर्स केस के मुताबिक मुस्लिम 1307 केसेस दर्ज हुए वही हिन्दू में 16505 केसेस दर्ज हुए।

भारत में कैसे लागू हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ?

भारत में MUSLIM PERSONAL LAW(APPLICATION) ACT 1937 में पास हुआ था। इसके पीछे मकसद भारतीय मुस्लिमों के लिए एक इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। उस वक्त भारत पर शासन कर रहे ब्रिटिशों की कोशिश थी कि वे भारतीयों पर उनके सांस्कृतिक नियमों के मुताबिक ही शासन करे। तब(1937) से मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले इस एक्ट के तहत ही होते हैं। एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत विवादों में सरकार दखल नहीं कर सकती।

(2017)

क्या भारत में शरीयत एप्लिकेशन एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता ?

शरीयत एक्ट की प्रासंगिकता पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। पहले ऐसे कई मामले आए हैं, जब महिलाओं के सुरक्षा से जुड़े अधिकारों का धार्मिक अधिकारों से टकराव होता रहा है। इसमें शाह बानो केस प्रमुख है। 1985 में 62 वर्षीय शाह बानो ने एक याचिका दाखिल करके अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुजारे भत्ते की मांग को सही बताया था, लेकिन इस फैसले का इस्लामिक समुदाय ने विरोध किया था। मुस्लिम समुदाय ने फैसले को कुरआन के खिलाफ बताया था। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस वक्त सत्ता में कांग्रेस सरकार थी। सरकार ने उस वक्त Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act पास किया था। इस कानून के तहत यह जरूरी किया गया था कि हर एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। लेकिन इसमें प्रावधान था कि यह भत्ता केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही देना होगा, इद्दत तलाक के 90 दिनों बाद तक ही होती है।
(2017)

Dissolution Of Marriage Act 1939 के तहत बीवी अपने निकाह को तोड़ सकती हे या अपने शादी से निकल सकते है मगर इस के लिए नीचे दिए गए हुए शर्त होना ज़रूरी है

1) शौहर की 4 साल तक कोई खबर न हो वो गुमशुदा हो।

2) 2 साल तक का शौहर बीवी का खर्चा न संभालता हो।

3) बगैर इजाज़त दूसरी बीवी रखे।

4) अगर शौहर सात साल या उस से ज़्यादा जेल में रहे।

5) अगर शौहर 2 साल तक खतरनाक बीमारी में मुब्तिला हो।

वगैरा वगैरा।

तीन तालाक को अमान्य करने वाले तीन ऐतिहासिक फैसलों का एक संक्षिप्त सारांश।

कोर्ट ने "शमीम आरा बनाम स्टेट यूपी (2002) के केस में निर्णय देते हुए कहा था कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का यह कह देना की में अपनी पत्नी को मौखिक तलाक़ दे चुका हुँ।कोर्ट के लिए मान्य नही है ,,, कोर्ट इस आधार पर उनके विवाह को भंग नही मान सकता और पति को पत्नी के भरण पोषण के कर्तव्य से मुक्त नही मान सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में इस बात पर जोर दिया था कि मुस्लिम दंपति के मध्य तलाक़ कुरआन में बताए गए नियमों का पालन करते हुए ही दिया जाना चाहिए।(2016)

दगड़ू पठान बनाम रहीम बी केस में जस्टिस बी मर्लापल्ले ने बॉम्बे हाइकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में तीन तलाक़ को invalid कहते हुए कहा कि-
“To divorce the wife without reason, only to harm her or to avenge her for resisting the husband’s unlawful demands and to divorce her in violation of the procedure prescribed by the Shariat is haram (forbidden)।”

2001 का डेनियल लतीफी मामला
साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट में डेनियल लतीफी का केस सामने आया। कोर्ट ने शाह बानो के 16 साल पुराने मामले को आधार मानते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भत्ता सुनिश्चित कर दिया।

तीन तलाक पर अन्य मुस्लिम देशो के कानून

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक यानी तीन तलाक पर अपना एतिहासिक फैसला सुना चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी की भारत जो 21वीं सदी का एक आधुनिक देश है और जहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात होती है, वहां वो तीन तलाक पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और सीरिया जैसे देशों से भी पिछे रह गया है। दुनिया के 22 मुसलमान देशों ने अपने देश में तीन तलाक को बैन किया हुआ है।

जानिए कुछ खास मुसलमान देशों के बारे में जहां पर तीन तलाक की मान्यता बिल्कुल भी नहीं है।

दुनिया का पहला देश इजिप्ट

इजिप्ट दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1929 में कई मुसलमान जजों के कहने पर तीन तलाक की प्रथा को खत्म किया था। इजिप्ट ने एक इस्लामिक विद्वान इब्न तामियां की 13वीं सदी में कुरआन की विवेचना के आधार पर तीन तलाक को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सन् 1929 में सूडान ने भी इजिप्ट के रास्ते पर चलते हुए तीन तलाक को बैन कर दिया था।

पाकिस्तान

पाकिस्तान ने भारत से अलग होने के नौ साल बाद यानी सन् 1956 में ही तीन तलाक को खत्म कर दिया था। यहां पर ट्रिपल तलाक के खत्म होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सन् 1955 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी और वह भी अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना। इसके बाद पूरे देश में ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन की और से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यहां से पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक के खत्म होने पर बहस शुरू हुई।

साल 1956 में सात सदस्यों वाले एक कमीशन ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। कमीशन की और से फैसला दिया गया कि पत्नी को तलाक कहने से पहले पति को मैट्रीमोनियल एंड फैमिली कोर्ट से तलाक का आदेश लेना होगा। साल 1961 में इसमें बदलावा हुआ और फिर यह तय हुआ कि पति तलाक के मामले पर बनाई गई एक सरकारी संस्था के चेयरमैन को नोटिस देगा। इसके 30 दिन बाद एक यूनियन काउंसिल पति और पत्नी को 90 दिनों का समय देगी कि दोनों रजामंदी कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तलाक वैध माना जाएगा।

बांग्लादेश

साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बाद यहां पर शादी और तलाक के कानूनों में सुधार हुआ। बांग्लादेश ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और यहां पर तलाक के लिए कोर्ट का फैसला मान्य माना गया। इसके अलावा यहां पर तलाक से पहले यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को शादी खत्म करने से जुड़ा एक नोटिस देना होता है।

इराक

सन् 1959 में इराक दुनिया का पहला अरब देश बना था जिसने शरिया कोर्ट के कानूनों को सरकारी कोर्ट के कानूनों के साथ बदल दिया। इसके साथ ही यहां पर ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया। इराक के पर्सनल स्टेटस लॉ के मुताबिक 'तीन बार तलाक बोलने को सिर्फ एक ही तलाक माना जाएगा।' 1959 के इराक लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस के तहत पति और पत्नी दोनों को ही अलग-अलग रहने का अधिकार दिया गया है।

श्रीलंका

श्रीलंका में ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसे कई विद्वानों ने एक आदर्श कानून करार दिया है। यहां पर मैरिज एंड डिवोर्स (मुस्लिम) एक्ट 1951 के तहत पत्नी से तलाक चाहने वाले पति को एक मुस्लिम जज को नोटिस देना होगा जिसमें उसकी पत्नी के रिश्तेदार, उसके घर के बड़े लोग और इलाके के प्रभावशाली मुसलमान भी शामिल होंगे। ये सभी लोग दोनों के बीच सुलह की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 30 दिन बाद तलाक को मान्य करार दिया जाएगा। तलाक एक मुसलमान जज और दो गवाहों के सामने होता है।

सीरिया

सीरिया में मुसलमान आबादी करीब 74 प्रतिशत है और यहां पर सन् 1953 में तलाक का कानून बना था। सीरिया के पर्सनल स्टेटस लॉ के आर्टिकल 92 के तहत तलाक को तीन या चाहे कितनी भी संख्या में बोला जाए लेकिन इसे एक ही तलाक माना जाएगा। यहां पर भी तलाक जज के सामने ही वैध माना जाता है।

मलेशिया और इंडोनेशिया

मलेशिया में डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट 1969 के तहत कई बदलाव किए गए। यहां पर अगर किसी पति को तलाक लेना है तो फिर उसे अदालत में अपील दायर करनी होगी। इसके बाद अदालत पति को सलाह देती है कि वह तलाक की बजाय संबंध सुधारने की कोशिश करे। अगर मतभेद नहीं सुलझते हैं तो फिर पति अदालत के सामने तलाक दे सकता है। मलेशिया में अदालत के बाहर दिए गए तलाक की कोई मान्यता नहीं है। इंडोनेशिया में भी तलाक बिना कोर्ट के वैध

नहीं है। इंडोनेशिया में तलाक यहां के आर्टिकल 19 के तहत कुछ वैध वजहों के आधार पर मिल सकता है।

और कौन-कौन से देश

इन देशों के अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया,इरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई में भी ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है।

रिसर्च मेथोडोलॉजी

तीन तलाक़ और उस पर मुस्लिम समाज का नजरिया इस विषय पर हमने कई सवालों को लेकर रिसर्च पूरी की है। मुस्लिम समुदाय से जुड़ा ये विषय कई महीनों से काफी चर्चे में है। कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई सारी जगहों पर ख़ुशी की लहर सी दौड़ गई तो कई सारे लोग इस फैसले का विरोध करते हुए नज़र आये। जब हम अपने विषय का चुनाव कर रहे थे तभी ये तीन तलाक़ का मुद्दा काफी चर्चा में था और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ भी और क्योंकि हमारे ग्रुप में सिर्फ एक मेंबर को छोड़ कर बाकी सारे मेंबर्स मुस्लिम समाज से हैं इसलिए इस विषय को लेकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना हमें उचित लगा।

हमने रिसर्च में कई सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जैसे सर्वे , इंटरव्यू , ऑडियो रिकॉर्डिंग , फ़ोटो ग्राफी , आदि।

<u>सर्वे</u> : हमने मुंबई के अलग अलग इलाक़ों से 20 से 70 वर्ष के मुस्लिम महिला और पुरुष का सर्वे लिया। कुल 413 सर्वे में हमें अलग अलग लोगों के विचार जानने का मौका मिला। हमारी प्रश्नावली में हमने कुल 25 सवाल पूछे थे 17 सवालात क्लोज एंडेड थे जबके 8 सवाल ओपन एंडेड थे। एक ही प्रश्नावली में दोनों तरह के सवालात पूछ कर हमें कई सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। हमारा सर्वे लेने का मकसद यह था कि इस विषय को लेकर ज़्यादा तर लोग क्या कह रहे हैं और संख्या जानने के लिए सर्वे से बेहतर कोई और तरीका नही हो सकता इसलिये हमने इस तरीके का उपयोग किया।

<u>इंटरव्यू</u> : रिसर्च में हमने इंटरव्यू के तरीके का भी इस्तेमाल किया। ताकि हम गुणात्मक विश्लेषण कर सके और लोगों से बात कर के क्यों जैसे सवालों के जवाब जान सकें ।जिन औरतों का तीन तलाक़ हुआ है हमने उनसे मिलने की कोशिश की हमें सिर्फ एक महिला मिली जिनका तीन तलाक़ हुआ है। हमने उनका इंटरव्यू लिया जिससे उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में हमे जानने का मौका मिला। तीन तलाक़ के विषय को लेकर हमने एक एक्सपर्ट(मुफ़्ती) जो नगरसेवक भी हे उनका का इंटरव्यू भी लिया। इस के अलावा हमने आवाज-ए-निसवां , दारुल क़ज़ा, BMMA(भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन), मजलिस, इन सारी जगहों पर विजिट की और उनसे इस विषय को लेकर बात चीत की। रज़िया पटेल और राम पुनियानी जी इन दोनों से भी हमने मुलाक़ात की।

<u>ऑडियो रिकॉर्डिंग</u> : ऑडियो रिकॉर्डिंग का तरीका हमें सहूलत फ़राहम करता है के हम वो बातें बार बार सुन सकें और अच्छे से विश्लेषण कर सकें।यही वजह है कि हमने इस तरीके का

उपयोग किया। ओपन एंडेड सवालों के जवाब लिखते समय या इंटरव्यू के दौरान हमसे कोई खास बातें छुट ना जाये इस लिए हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति ली जिससे हमें गुणात्मक विश्लेषण करने में मदद मिली।

फोटो ग्राफी : हमने फोटोग्राफी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि तीन तलाक एक संवेदनशील मुद्दा है| पहले ही लोग इस पर बात करने से कतरा रहे थे और वे फोटो देने से भी घबरा रहे थे लेकिन हमने कुछ जगह पर फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जहाँ हमने विजिट दी जैसे BMMA, रजिया पटेल वगैरा|

इस तरह हमने उन सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जो हमारे लिए और हमारे रेस्पोंडेंस के लिए सुविधा जनक थे।

विश्लेषण

तीन तलाक पर लोगों के क्या विचार है। इस के बारे में हमने 413 मुस्लिम मर्द और औरतों का सर्वेक्षण किया है इस मे हमने यह जानने की कोशिश की है की लोगों को तलाक के बारे में जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सरकार द्वारा बन रहे तीन तलाक को रोकने के लिए कानून पर लोगों की क्या राय है|

हमारे 413 सर्वे में से तक़रीबन 70% लोग ,20 से 40 के उम्र के है इससे पता चलता है की इस सर्वेक्षण में काम करने वाले तबके के विचार है। उसी के साथ साथ उनपर घर संभालने की ज़िम्मेदारी भी होती है। और इसी उम्र के लोगो का ज़्यादा होने का कारण यह भी है कि उनसे बात करना और उनसे मिलना आसान हुआ है।

सर्वेक्षण में से 85% लोग वडाला, माहिम, सायन, धारावी और गोवंडी से है। यह ऐसे इलाके है जहाँ ज़्यादा तर मध्यम वर्ग के लोग रहते है। यह लोग छोटे से घर मे भाड़े से रहते थे। इसके साथ ही हमारे रिस्पोंडेंटस जोगेश्वरी, दादर, सैंड्हर्स्ट रोड, मलाड और चेम्बूर से भी थे।

हमने अपने सर्वेक्षण में शिक्षण के बारे में जानकारी हासिल की है जिसमे 50% लोगों ने दसवी के अन्दर तक पढाई की है। उसके साथ साथ 26% लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले भी मिले। लेकिन वह ग्रेजुएशन करने के बाद भी अच्छी जॉब नही कर पा रहे थे या उन्हें अच्छी जॉब नही मिल रही थी। उसी के साथ साथ हमे अपने सर्वेक्षण में 14% अशिक्षित लोग भी मिले जो ज़्यादातर वडाला, माहिम, सायन, धारावी और गोवंडी से थे। इन अशिक्षित लोगों में भी 90% महिलाएं थी| मतलब महिलाओं में शिक्षा का प्रमाण मर्द के मुकाबले में बहुत कम है। इसकी वजह वो ऐसे बताते है की उनके माता पिता जो मजदूरी का काम करते है, उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता है|

जिस इलाके में हमने सर्वे किए है उसमे स्किल बेस्ड वर्कर का प्रमाण बहुत ज्यादा है| जिसमें गारमेंट, टेलर, ड्राईवर, वेल्डर, कारपेंटर, वगैरा है। हमें सर्वेक्षण में सरकारी नौकरी या *वाइट कालर* जॉब करने वाले बहुत कम मिले है। महिलाए ज़्यादातर अपने घर में रह कर छोटा मोटा काम करती है जैसे जरी मरी का काम करना, सेफ्टी नेट बुनना, सिलाई वगैरा का काम करती है। ज़्यादातर जवान छोटा मोटा कोर्स (ITI) करके जॉब करते है। हमारे सर्वे के रिस्पोंडेंटस ज्यादा तर कम तनख्वा पाने वाले है।

हमने अपने सर्वे में महिला और पुरुष की तादाद को जान बूझकर बराबर रखने की कोशिश की है। यह हमने इसीलिए किया ताकि हम आसानी से महिलाओं और पुरुषों के विचारों की तुलना कर सके|

हमने सर्वे में 78% विवाहित लोगो की जानकारी हासिल की है। यह मसला मुस्लिम शादी शुदा लोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए इस मे मुस्लिम विवाहित लोगों के विचार को जानना बहुत

महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वे लेते समय हमें ऐसी कोई भी महिला नहीं मिली जिन्हें एक वक़्त में तीन तलाक दिया गया हो|

क्या आप तलाक़ के बारे मे जानते है ?

इन 413 लोगों मे ज़्यादातर लोग तलाक़ के बारे में जानते थे ।कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने तलाक़ जैसा शब्द सुना ही नही। अब इसमें यह सवाल आता है कि क्या वे सचमे 'तलाक़' यह शब्द तक नही सुने थे या फिर वे इसे जानते हैं लेकिन हाँ कहने से घबरा रहे थे, कि उन्हें इसके बारे में पता है या यूं की कहीं उनसे कुछ गलत निकल न जाये। हमारा सवाल था कि क्या वे तलाक़ के बारे में जानते हैं तो इस के दो मतलब निकलते हैं,1)-तलाक़ के पूरे प्रोसेस के बारे में, या तलाक़ क्या है 2)-तलाक़ का मतलब क्या होता है तो यहां पर हमने दोनो लोगों को अपने सर्वे में शामिल किया है जिन्हें तलाक़ के बारे में पता है और उन लोगों का भी जिन्हें कम से कम तलाक़ शब्द का मतलब पता था। तो ज़्यादातर लोग 97% तलाक़ के बारे में जानते थे, और 3% लोग तलाक़ के बारे में बिल्कुल भी नही जानते थे। क्या जिन जगहों में ये सर्वे हुआ उनका रहन सहन,आसपास के लोगो का माहौल कुछ इस तरह का नही था? या फिर ये लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे उन्हें सोसाइटी से कोई लेना देना नही होगा या फिर वे जानते थे लेकिन कहने से घबरा रहे थे। इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आते हैं।

ज्यादातर तलाक किस तरीके से होते हैं

अब इन लोगो में कुछ लोगों का कहना था कि तलाक़ के तरीकों में तलाक ए अहसन, तलाक़ ए हसन, तलाक़ ए बिद्दत ये तीन तरीक़ो से लोग तलाक़ देते हैं मतलब अलग अलग लोग जिसे जो तरीक़ा सही लगता है वे उस तरीके से तलाक देते हैं। तलाक ए बिद्दत (एक वक़्त में तीन बार तलाक़ बोलना), तलाक़ ए अहसन (एक ही बार बोलना इसमे इद्दत का वक़्त होता है), हसन(हर महीने में एक एक बार देना)। यहां पर 43% लोगो का कहना है कि लोग ज़्यादातर तलाक़ ए बिद्दत यह तलाक़ देते हैं तो वहीं 24% लोगो का कहना है की तलाक़ ए अहसन इस तरीके से लोग तलाक़ देते हैं। 11% लोगो का कहना है की लोग तलाक़ देने में हसन इस तरीके को अपनाते हैं। 1% लोगो को इसके बारे में बिल्कुल भी नही पता था या वो कोई जवाब नहीं देना चाहते थे या वो घबरा रहे थे। यहां लोगो को तलाक के तरीकों के बारे में नहीं पता था लेकिन उन्हें प्रोसेस मालूम थी। सबसे ज़्यादा जवाब में तलाक ए बिद्दत यह जवाब मिला इसकी दो वजह हो सकती है या तो लोगो को तलाक के दुसरे तरीक़ों के बारे में नहीं पता

इसलिए लोग इस तरह का तलाक़ देते है या फिर तलाक ए बिद्दत यह नाम मीडिया, आसपास के लोगो से बार बार सुनने में आ रहा है इसलिये उन्होंने यह जवाब दिया। अब इसमें यह सवाल आता हैं की उन्हें इन तरीकों के बारे में क्यों नहीं पता? क्या वे जानना ही नहीं चाहते थे? या फिर उनके आसपास के माहौल ने इसको जानने की उत्सुकता आने ही नहीं दी। बहुत ही कम लोगों को पता था की कुरआन शरीफ में तलाक़ देने का सही तरीका कोनसा है। इस सवाल में भी कुछ लोगो ने जवाब तो दिया उनके हिसाब से जो लगता था कि शायद ये सही तरीका है लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता था|

कुरआन शरीफ में तलाक देने का सही तरीका कोनसा है?

हमने जब इन 413 लोगों से सवाल पूछा तो वे काफी डर रहे थे, घबरा रहे थे, वे कुछ खुलकर कहने से डर रहे थे। यह डर उनके आसपास के माहौल की वजह था क्योंकि मीडिया में रोजाना इस मुद्दे पर कोई ना कोई बात हो रही थी लोग इस मुद्दे पर बहुत नाराज थे, लोगों में विरोध दिख रहा था उन्हें लग रहा था कि वे टारगेट किए जा रहे है। जब हमने लोगों से पूछा कि कुरआन में तलाक देने का सबसे सही तरीका कोनसा है? तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था या फिर ज़्यादातर लोग इस सवाल को पूछते ही डर जाते थे फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कोई जवाब देते थे। कभी कभी वे इस सवाल का जवाब देने से कतराते हुए नज़र आये।

इस सवाल का जवाब देने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने नहीं पता कहा है। क्या उन्हें सचमें इस बारे में नहीं पता था? क्या उन्होंने यह सब जानने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वे इसके बारे में जानना चाहते थे लेकिन उन्हें जानकारी हासिल करने के साधन नहीं मिले की कहाँ पर इन मसले मसाइलों की तफसील में जानकारी मिल सकती है या फिर उनकी 'अशिक्षिता' इसमे रुकावट बनी।

सर्वे लेते वक्त बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते थे यह कह कर टाल देते थे कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, यह सब इतना ज्यादा होता ही नहीं है तो क्या यह सोच भी जानकारी हासिल करने में रुकावट बनी? कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी, वे तलाक की प्रक्रिया जानते थे लेकिन उन्हें तलाक के नाम के बारे में पता नहीं था। यह सवाल पूछने पर ज्यादातर लोग प्रोसेस बता रहे थे जैसे-

"3 महीने के पीरियड से तलाक दिया जाता है(हसन)"

"पहले बातचीत करके समझाए, बाद मे अगर ना माने तो बिस्तर अलग करि, फिर भी न माने तो आखिर लम्हे में तलाक दे (अहसन)"

कुछ लोग तीनों तरीकों को कहते थे की तीनो तरीके क़ुरान शरीफ में है और सही है। या उनका ये कहना था की जो बाकी तरीके हैं सब सही हैं जिनकी जब जरूरत पड़े तब वो सही है यानी हालात के हिसाब से। या इन्हें इतनी जानकारी नही थी इसलिए इन लोगो ने तीनों तरीक़ो को सही कहा क्योंकि बहुत से लोगो ने ऐसा भी कहा है-

"उलमा ही इस बारे बताएंगे"

तो क्या वे खुद इस बारे में जानना ही नही चाहते थे?

तो कुछ लोगो ने कहा इस्लाम मे जो है वही सही है,

तो किसी ने कहा
"हदीस और क़ुरआन के हिसाब से"
यानी उन्हें इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया।

कुछ लोगो ने तलाक़ ए बिद्दत कहा तो किसी ने हसन और बिद्दत दोनों को सही बताया और किसी ने तीनों तरीक़ो को। कुछ लोगो ने कहा सुधरने का मौका जिसमे मिलता है वह सही

तरीका है यानी हसन और अहसन और कुछ लोग कह रहे थे आपसी सहमति से तलाक यानी उनका कहना है कि अगर दोनों राज़ी हैं तो तीन तलाक़ देना सही है।
कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि जब तलाक़ दिया जाता है तब जैसे निकाह के वक़्त गवाह होते है वैसे ही तलाक़ के वक़्त गवाह होने चाहिए। लोगो ने ये तक कहा कि निकाहनामे की तरह एक सही तरीके का तलाकनामा भी होना चाहिए। लोग कह रहे थे कि तलाक़ के वक़्त तलाक़ गवाहों के सामने दिया जाए और उसकी पूरी जानकारी तलाकनामा में दर्ज हो ।

एक वक़्त में दी जाने वाली तीन तलाक़ कैसी है?

तीन तलाक अपने आप में इस वक़्त बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया था सरकार ,शरीयत कोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ,बहुत से NGO ,अलग-अलग स्कॉलर्स के नज़रिये डिबेट में रोजाना चल रहे थे सब इस मुद्दे पर बात कर रहे थे इस पर आम जनता बीच में फंसी थी । इनके नज़रिये क्या हैं यह जानना बेहद जरूरी था इसलिए हमने अपने सर्वे में यह सवाल शामिल किया कि तीन तलाक को लेकर उनकी क्या राय है उनके हिसाब से तीन तलाक कैसी है? इस पर लोगों में उत्सुकता दिखाई दे रही थी वह बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे उनमें कुछ आशाएं थी इस मुद्दे को लेकर, जब हमने यह सवाल लोगों से पूछा तो लोग इस पर बहुत ही उलझे हुए नजर आ रहे थे लोग शरियत को लेकर बहुत ही सतर्क नज़र आ रहे थे कि मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा है हक दिलाने के लिए और शरीयत में कुछ है वे तो शरियत को ही मानेंगे। एक और डर उनमें दिख रहा था की हक दिलाने के जो दावे किए जा रहे हैं क्या वे सच में हक़ दिलाना चाहते हैं? क्या इन सब से सच में औरतों को उनके हक मिल पाएंगे? ज्यादातर लोगों ने इस तलाक को गलत बताया और अलग-अलग वजह बताई उनका यह कहना है कि शरीयत में जो है वह स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है गलत उन्होंने इस हिसाब से बताया है की-

अगर बेवजह तलाक दिया तो इससे औरत की जिंदगी खराब होती है मर्द तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं तलाकशुदा औरतों की दोबारा शादी करने में भी परेशानी होती है

किसी ने ऐसा बताया कि यह तलाक गलत है और ऐसा होता ही नहीं है| 1% इस तरह की तलाक होती है जाहिल और नासमझ लोग इस तरह के तलाक देते हैं पहली बात तलाक ही इतना नहीं होती है और उस पर तीन तलाक के केस बहुत ही कम पाए जाते हैं।

कुछ लोगों ने इसे गलत इसलिए भी बताया क्योंकि इससे औरत के साथ नाइंसाफी होती है । कुछ लोगों ने इसे गलत बताया पर Valid भी कहा है

लोगों में इस मस्ले मसाईलों की जानकारी ना होने की वजह से लोग इस तरह का तलाक देते हैं इसलिए उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है।

इस तरह के सुझाव भी लोगों ने दिए हैं ताकि लोगों को बाद में पछताना ना पड़े और अगर इस तरह की नौबत आए तो वे एक झटके में तलाक ना देकर एक-एक करके तलाक देंगे ताकि इसे औरत के साथ नाइंसाफी भी नहीं होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वे टारगेट किए जा रहे हैं और वह कह रहे थे कि मीडिया में और सब जगह इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तीन तलाक को यह बताया कि हर एक केस की स्थिति के ऊपर बताया जा सकता है कि वह सही है या गलत क्योंकि हर एक केस अलग हो सकता है| किसी केस को देखते हुए उसमें तलाक ए बिद्दत यह तरीका सही हो सकता है तो किसी केस में गलत हो सकता है और उसके वजुहात बताते हुए कहा है कि गवाह होना चाहिए या फिर लिखित रूप से

कुछ होना चाहिए जिस तरह से शादी होती है तो उसी तरह तलाक़ में भी गवाह होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसे सही भी बताया है जिसकी वजह देते हुए लोगों ने बताया कि-

अगर तलाक देना ही है तो तीन बार तलाक देकर हटा दें क्योंकि अगर नहीं रहना है तो किसी को फंसा कर क्यों रखना इसलिए एक बार में ही फैसला करना सही है|

कुछ लोगों ने कहा-
शरीयत में है तो सही है

इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें तलाक के और तरीकों के बारे में नहीं पता इसलिए उन्होंने इस तरह का जवाब दिया या आधी जानकारी होने की वजह से यह जवाब देकर टाल दिया ताकि अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो इसका गलत मतलब निकल सकता है और इस पर भी ना कोई मुद्दा बना दिया जाए ज्यादातर लोगों में यही डर दिखाई दे रहा था।
यहां तक कि जब हमने अहसन और हसन इन तरीकों के बारे में बताया तो उन्हें लग रहा था कि यह भी सरकार ने खुद से तलाक देने का एक नया तरीका बनाया है।
कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि तीन तलाक देना सही है लेकिन आपसी रज़ामंदी से दोनों तरफ के लोग बैठ कर उस पर कोई बातचीत कर के किसी नतीजे पर आना चाहिए और अगर तलाक की नौबत आती है तो तीन तलाक दे और कुछ ले देकर मामला रफा-दफा करें| कुछ लोगों ने इसे जायज तरीका बताया कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर शौहर को लगता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से तीन तलाक देना सही है तो सही है।

इस्लाम मे तलाक़ देने का हक़ किसे है?

हमने 413 लोगो का सर्वे किया जिनमे हमे 81% लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि इस्लाम मे तलाक़ का हक़ शौहर को है। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को मालूम था की इस्लाम में तलाक देने का हक किसको है लेकिन उनमे से हमे 14% लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि इस्लाम में तलाक़ का हक़ शौहर और बीवी दोनो को है (शौहर को देने का, और बीवी को मांगने का),जैसे कि- औरत उस मर्द के साथ नही रहना चाहती, उसे कोई परेशानी है और वो मर्द उसे खुद से तलाक़ नही दे रहा तो वो मांग सकती है यानी कि खुला)। और हमे ऐसा बोलने वाले बहुत ही कम मिले। शायद इस बारे मे लोगों को जानकारी कम है कि इस्लाम ने औरत को भी हुक़ूक दिए है। हमे 4% लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि, इस्लाम मे तलाक़ देने का हक़

शौहर बीवी और क़ाज़ी तीनो को है (अगर मामला शौहर और बीवी दोनो से नही सुलझ रहा तो वो क़ाज़ी के पास जा सकते है)। उनमे से कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कुछ अलग ही कहा-

एक ने कहा कि इस्लाम मे तलाक़ का हक़ बीवी को है ,उनमे से एक ने कहा कि क़ाज़ी को ।

तो ये सवाल आता है कि,-

उन लोगो ने ऐसा क्यों कहा शायद उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी बहुत ही कम थी।लेकिन अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने कभी किसी को तलाक देते हुए भी नही देखा है या फिर उन्होंने ये सवाल ठीक से समझा नहीं या इस बारे में कभी सुना भी नही है।

उनमे से एक शख्स ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि

किसी को नही

उनका कहना ये था कि तलाक़ ही नही होना चाहिए।
उनमे से 3 लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि उन्हें नही पता ।

तो हमें सवाल आता है कि क्या उन्हें सच मे नही पता था कि तलाक़ का हक़ किसको है या फिर वो हमें कुछ जवाब नही देना चाहते थे|

तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी।

413 लोगो के सर्वे में 76% लोग ऐसे मिले जिन्हें तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी थी। उनमे से 24% लोग ऐसे भी मिले जिन्हे तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मे बिल्कुल भी नही पता था।
मतलब की आधे से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानते थे और बहुत कम लोगों को इस बारे में नही पता था।

तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि 24% लोगो को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में नहीं पता था तो उन्हें क्यों नही पता था? क्या उन्होंने कभी इस बारे में सुना ही नहीं? क्या वे कभी न्यूज़ नही देखते या अखबार नही पढ़ते ? क्या वे social media भी इस्तेमाल नहीं करते? यह सोचना भी ज़रूरी है की क्या उनके पास इतना वक़्त है की वह न्यूज़ देखे या सुने क्योंकि उनका काम सख्त महनत और कम आमदनी वाला है, वह सुबह को काम की तरफ निकलते है और रात होते होते घर लौटते है, उनकी आमदनी का कुछ हिस्सा अख़बार में खर्च करने से बहतर वही पैसे वे अपनी बुनयादी ज़रूरत पर खर्च कर सकते है। जब उनके के पास वक़्त की कमी है तो क्या वे ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे?

तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट की जानकारी कहा से मिली।

हम यह जानने के लिए उत्सुक थे की तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बारे में लोगों को जानकारी कहा से मिली|

तो हमें पता चला की ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें टीवी से जानकारी मिली|

यानी कि जिसको जहाँ से पता चल रहा था लोग साधन ढूंढ कर जानकारी ले रहे थे और मामले की या बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा थे की मुस्लिम समाज इसके खिलाफ में है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तीन तलाक के बारे में लोगों को जानकारी

सर्वे में हमें 84% लोग ऐसे मिले जिन्हें तीन तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले वे इस तीन तलाक के बारे में जानते थे| यानी कि आधे से ज्यादा लोगो को तीन तलाक के बारे में पता था।

उन्ही 413 लोगों मे से 16% ऐसे भी थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तीन तलाक़ के बारे में जानकारी बिलकुल भी नही थी।

इससे पता चलता है की ज़्यादातर लोगों को तीन तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही पता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही यह मुद्दा मीडिया में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तीन तलाक को न जानने का कारण यह भी हो सकता है की लोगों को अपने काम से फुरसत नहीं मिलती।
ये सवाल आता है कि -
उन्हें क्यों नही पता था, उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नही की, कि उनके शरीयत और इस्लाम में कौनसी चीज़ें किस तरीके से है। या फिर वे तीन बार तलाक़ बोलने को ही सही तरीका मानते है मतलब की उन्हें नही पता कि इस्लाम मे तलाक देने का इसके अलावा और भी कोई तरीका है।या फिर उन्हें सब पता था वो हमें कोई जवाब नही देना चाहते थे। काफी सारे सवाल उभर कर आते है। इस रिसर्च के जरिए काफी बातें उभर कर सामने आई, जानने को मिली|

क्या सुप्रीम कोर्ट का तीन तलाक पर दिया गया फैसला शरियत में दखलंदाज़ी है

कुल ४१३ लोगों के लिए हुए सर्वेक्षण प्रक्रिया से कई तरह के जवाब सामने आते है। भारत देश मे किसी भी मजहब के बारे होने वाली घटना बहुत संवेदनशील (सेंसिटिव) मानी जाती है। हर एक व्यक्ती पर धर्म का रहने वाला प्रभाव और धर्म को लेकर रहने वाली मानसिकता इनका संदर्भ उपरी सवाल के पुछे हुए जवाबो मे दिखाई देता है। मनुष्य के व्यावहारिक और सामाजिक जीवन मे धर्म महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। भारत मे धर्म और धर्मगुरु का स्थान उपरी स्तर पर माना जाता है। इस वजह से मजहब से जुडे हुए किसी भी फैसले के आने से उसको चर्चा का और राजनीतिक फायदे का विषय इस नजरिये से देखा जाता है। धर्म पर चलने वाली राजनीती और धर्म पे होने वाली राजनीतिक रणनीती के वजह से निर्माण होने वाला तनाव सदृश्य परिस्थिती इस चीज कि आदत ही हर एक भारतीय को हुई है क्या? यह सोचना गलत नही होगा।

तीन तलाक इस मुस्लिम धर्मिय प्रथा को सुप्रिम कोर्ट ने दिया हुआ गैरकानुनी करार और इस संबंधी दिया हुआ ऐतिहासिक फैसला इसपर सामाजिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से विविध प्रतिक्रिया और पहलू सामने आए। अनेक लोगों ने सुप्रिम कोर्ट के फैसले का किया हुआ विरोध और बहुत कम लोगों ने किया हुआ स्वागत इन दोनो चीजों में रहने वाली मुस्लिम समाज के लोगों कि विविध प्रतिक्रियाओ कि छान बीन उपरी सवाल के द्वारा कि हुई है।
हमने किए हुए सर्वेक्षण प्रक्रिया मे आधे से ज्यादा लोगों ने सुप्रिम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। मुस्लिम धर्म के तीन तलाक मे होने वाली न्यायिक दखलंदाजी से वे सहमत नहीं है | मजहब और न्याय व्यवस्था यह दोनो अलग चीज़ें है इस वजह से न्याय व्यवस्था मजहब से संबंधित विषय पर फैसला नही दे सकती ऐसा कुछ लोगों का कहना है।
मुस्लिम धर्म मे तीन बार तलाक बोलने से होने वाला तलाक और सुप्रिम कोर्ट ने दिया हुआ तीन तलाक बंदी का फैसला इस वजह से तकनिकी मसला उभर कर आ रहा है। मजहब के अनुसार माना जाए तो तीन तलाक बोलने से टूटने वाला पति पत्नी का रिश्ता और कानूनी व्यवस्था के अनुसार तीन तलाक बोलने से न होने वाला तलाक इन पहेलियो मे होने वाली कठिनाइयां मुस्लिम धार्मियों को सुलझानी पडेगी। इस्लाम मे दिया हुआ तीन तलाक का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से कुछ लोगों का यह मानना है कि हम सिर्फ इस्लाम धर्म कि प्रथाओ का ही पालन करेंगे। तो उसके अनुसार तीन तलाक यह मुद्दा धर्म के साथ साथ किसी एक परिवार का जाती मामला भी है। जमोहरियत(DEMOCRACY) ने भी दिया हुआ खुद का मजहब मानने कि आझादी इन सब का विचार सुप्रीम कोर्ट ने नही किया ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तीन तलाक के मुद्दे पर फैसला सुना कर इस्लाम धर्म को और मुस्लिम धार्मियो को बदनाम किया जा रहा है। उन्हे, धार्मिक तानावपूर्वक माहोल निर्माण करके भडकाया जा रहा है। अभी ही इस प्रकार का तीन तलाक संबंधित फैसला क्यूँ दिया? इसके पीछे कि परिस्थिती को कोनसे हालात जिम्मेदार थे? इन जैसे सवालो को भी मुस्लिम धार्मियो के जरीए पुछा गया। तीन तलाक पर फैसला दे कर मुसलमानो को निशाना बनाया जा रहा है।

सामाजिक स्तर पर इस्लाम धर्म के बारे मे नाराजगी फैलाई जा रही है, और इसके जरीए मजहब के बारे मे गलतफेहमी निर्माण कि जा रही है।

ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त इस्लाम का और इस्लाम धर्म कि प्रथाओ का मुतालिया और विचार नही करते हुए यह फैसला सुनाया, मजहब से जुडी कोनसी भी मालुमात इकट्ठा नही कि।

मुस्लिम धर्मीयों के जज़बातो के बारे मे सोचा नही गया। तीन तलाक इस मुद्दे के बारे में इस्लाम धर्मिय किसी भी धर्मगुरु के साथ किसी भी प्रकार कि बातचीत नही हुई। इस चीज कि उदासी मुस्लिम लोग दिखा रहे हैं|
वैसे हि कुछ इस्लाम धर्मीयों का यह मनना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस्लाम मे दखलंदाजी नही कर रहा है।

"हम जिस देश मे रहते है उस देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मनना हमारा कर्तव्य है।"

ऐसा कूछ लोगों का कहना है। अन्य कुछ मुस्लिम देशों मे भी तीन तलाक इस मुस्लिम प्रथा को गैरकानूनी करार दिया गया है। उन देशो को सामने रखते हुए हमे भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सकारात्मक दृष्टिकोन से देखना जरुरी है। इस प्रकार कि सामंजस्य कि भावना भी कुछ लोगों ने जाहीर कि।

"आपसी सहमती से तीन तलाक न होते हुए अगर पति के मनमानी से यह फैसला लिया जा रहा होगा और उसके वजह से अगर किसी मुस्लिम स्त्री कि जिंदगी बरबाद हो रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कि हुई दखलंदाजी भी हमे मंजूर है और इस फैसले का हम स्वागत हि करते है।"

इस प्रकार कि स्पष्ट प्रतिक्रिया भी लोगों ने दि है।
उसके आगे जाकर कई लोगों ने यह भी बोला है कि,

तलाक देना हि कुरआन मे गलत बताया गया है। इस लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने मजहब मे दखलंदाजी कि होगी तो गलत चीज पर लायी हुई बंदी ताकनिकी रूप से योग्य हि है।

सिधे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ तीन तलाक बंदी का फैसला, इस वजह से लोगों मे डर का माहोल बना रह के तलाक- ए- बिद्दत इस तलाक प्रकार का इस्तमाल नही होगा। इस प्रकार कि आशा लोगों ने जाहीर कि।
इस सवाल को सोचते वक्त यह ध्यान मे आता है कि, हर एक मुस्लिम धर्मिय व्यक्ती ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अलग अलग दृष्टीकोन के साथ विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था इन्हे सामने रखके और कई लोगों ने इस फैसले के पिछे राजनीतिक भूमिका भी हो सकती है यह स्पष्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत कम लोगों ने स्वागत किया है। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला धर्म व्यवस्था मे दखलंदाजी कर के भी मुस्लिम माहिलाओ का मनोबल बढा सकता है।

डाटा एनालिसिस करते वक़्त

क्या आप तीन तलाक के फैसले को मानेंगे

तीन तलाक इस मुस्लिम धर्मिय प्रथा को सुप्रिम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया। उसके अनुसार हमने लिए हुए सर्वेक्षण के प्रक्रिया मे आधे से ज्यादा लोगो को यह फैसला शरियत के खिलाफ है ऐसा लगता है।

हमने किये हुए सर्वेक्षण के अनुसार कुल 79% मुस्लिम धर्मियो को सुप्रिम कोर्ट का यह फैसला अमान्य है। और 21% लोगो को यह फैसला मान्य है। सुप्रिम कोर्ट का यह फैसला पूरी तराह से मजहब से जुडा हुआ है। मुस्लिम धर्मिय लोग धर्म से जुडे हुए सभी फैसले पवित्र कुरआन और शरियत को मद्देनज़र रखते हुए लेते है। इस वजह से मजहब के प्रथा मे कि हुई दखलंदाजी उन्हे मानने लायक नही लगती। देश के सर्वोच न्यायालय के फैसले का स्वागत करे या फिर मानते आए हुए मजहब कि प्रथा जारी रखे इस दुविधा मे फ़िलहाल मुस्लिम धर्मिय लोग है यह सामने आ रहा है।

मजहब से जुडे विषय पर फैसला देना कितना सही है? और तीन तलाक के वजह से जिंदगी से झगडने वाले औरतों के बारे मे सोचना क्यूँ गलत है? ये सवाल समझने बहुत महत्वपूर्ण हैं।

सर्वेक्षण के वक़्त

आप के हिसाब से तलाक देने का हक्क किसे होना चाहिए

तलाक देने का हक किसे होना चाहिये इस सवाल कि विविध किस्म के जवाब सर्वेक्षण के माध्यम से सामने आए। निकाह यह मुस्लिम धर्मं मे होने वाला महत्वपूर्ण समारोह। इस माध्यम से दो दिलो का और दो परिवरो का होने वाला मिलन। इस चांदरूपी चांदनी को निगलजाने वाला अंधेरा मतलब तलाक।

तलाक देने का हक किसे होना चाहीए इस सवाल को लेकर अनेक मुस्लिम धर्मीयों का ऐसा मनना था कि सिर्फ पति को ही तलाक देने का हक होना चाहिए। उनके कहने के अनुसार पति हालातो के बारे मे विचार करते हुए सही फैसला ले सकता है। पुरुषो मे होने वाली निर्णयक्षमता और धैर्य इस वजह से सिर्फ पुरुष ही तलाक देने के काबील है ऐसा कही लोगों का मनना है। कुछ महिलाए ऐसा बोल रही थी कि

“अगर एक स्त्री को तलाक देने का हक दे दिया तो वह स्त्री छोटी छोटी चिजो पर पति को तलाक दे देगी।”

माहिलाओ कि ही माहिलाओ के बारे मे गलतफहमी पैदा करने वाली सोच अविश्वसनीय थी। तलाक देने का हक सिर्फ पत्नी को होना चाहीए इस नियत के बहुत कम जवाब देखने मे आए। स्त्रीयो के प्रति गलत दृष्टिकोण के वजह से जवाबो की प्रवृत्ती बेहद हैरान कर देनी वाली है। घर और परिवार संभालने वाली सक्षम स्त्री को तलाक का हक न देने की भावना स्पष्ट की है| हक नही होना यह प्रवृत्ती खेदजनक है।

कुछ लोगों ने पति और पत्नी इन दोनो को तलाक देने का अधिकार होने की भावना स्पष्ट की है सिर्फ एक ही व्यक्ती को दोनो के जिंदगी का फैसले लेने का अधिकार देना सही नही, यह इस जवाब से सामने आ रहा है कि पति और पत्नी इन दोनो मे होने वाली तलाक के संबंधित आपसी सहमती यह भी महत्वपूर्ण है यह समज में आ रहा है।
निकाह के वक्त काज़ी कि अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, तलाक के वक्त रहने वाला काज़ी का किरदार अहेम कार्य निभा सकता है। इस वजह से पति पत्नी के साथ हि मजहब के बारे मे जानकारी रखने वाले काज़ी को भी तलाक संबंधित अधिकार होने चाहिए ऐसा कुछ लोगों का मनना है।

“ना पति ना पत्नी, ना काज़ी ना कोई धर्मगुरु सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को ही तलाक देने का अधिकार होना चाहिए”

इस प्रकार की भी कई जवाब सर्वेक्षण के माध्यम से सामने आए। न्यायिक व्यवस्था को पारिवारिक मस्लो का हल निकालने का अधिकार देना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मनना है। इससे मुस्लिम धर्मियों का न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा नजर आता है।
कुछ लोगों के कहने के अनुसार तलाक देने का हक पति पत्नी के साथ साथ उनके परिवार को भी देना चाहिए| पारिवारिक व्यवस्था मे परिवार के सभी लोगों का रहने वाला महत्वपूर्ण स्थान इसे सामने रखते हुए बहुत से लोगो ने परिवार को अधिकार होने की बात कहीं है| अन्य कुछ लोगों के मुकाबले परिवार के सदस्य वे पति पत्नी के बीच के रिश्ते और कई बार तनावपुर्वक संबंध के नजदीक से निरीक्षण कर रहे होते है। इस वजह से तलाक देने के प्रक्रिया मे परिवार का योगदान महत्वपूर्ण है।

कुछ लोगों का यह मनना है कि

“निकाह के बाद तलाक ही नही होना चाहिए और तलाक देने का हक किसी भी व्यक्ती को ना हो।”

पति पत्नी मे शादी निभाने कि क्षमता होनी जरुरी है। ऐसा इन जवाबो से सामने आ रहा है।
कुछ लोगों ने इस विषय पर बोलने से मना कर दिया। उन लोगों को इस सवाल का जवाब देने कि जरुरत नही लगी।
इस सवाल का और सर्वेक्षण से प्राप्त हुए जवाबो के बारे मे सोचते हुए यह सामने आता है कि तलाक देने का हक किसे होना चाहिए इस पर लोगों कि कई तरह कि प्रतिक्रिया उभर के आ रही है।

क्या सरकार तीन तलाक में दिलचिस्पी दिखा रही है

सरकार तीन तलाक इस विषय मे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है इस सवाल के बारे मे जब हमने मुस्लिम लोगो से पुछा तब कुल 93% लोग इस सवाल से सहमत थे। उनका मनना था कि सरकार दिलचस्पी दिखा रही है। 5% लोगो को इस मे सरकार कि कोई भी दिलचस्पी नही लगती है। और 2% लोगो ने इस विषय पर कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया।

उपर दिए जवाबो के बारे मे सोचते हुए मुस्लिम धर्मियो का सरकार के खिलाफ का गुस्सा और असंतोष दिखायी देता है।
इतनी बड़ी तादाद मे इस सवाल पर आए हुए लोगो के सकारात्मक जवाब सरकार के भूमिका का के ऊपर सवाल खड़े कर रहे है।

सरकार का तीन तलाक के मुद्दे को उठाने का क्या मकसद हो सकता है

ज्यादातर मुस्लिम लोगों का यह मनना है कि सरकार तीन तलाक इस विषय मे दिलचस्पी दिखा रही है।

कुल 38% लोगों का यह कहना है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। और कुल 27% लोगों का यह मनना है कि तीन तलाक का मुद्दा उठा के सरकार मजहब मे दखलंदाजी करना चाहती है। वही 11% लोगों का यह कहना है कि मुस्लिम माहिलाओ को हक दिलाने के लिए सरकार तीन तलाक में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। यह सवाल मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो यह समझ मे आता है कि इस सवाल को लेकर कुछ लोगों के विचार विभिन्न तरिके के है। इस सवाल मे लोगों ने एक ही बार मे बहुत चीजों का संदर्भ जोडा हुआ है। और सरकार को इस एक ही मुद्दे से तीन विभिन्न चिजो का फायदा हो सकता है ऐसा लोगों

का मनना है। इस वजह से कुल 17% लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार तीन तलाक इस मुद्दे को उठाकर मुस्लिम माहिलाओ को हक दिलाना चाहती है, मजहब मे दखलंदाजी कर रही है, और राजनीतिक फायदे के लिए भी इस मुद्दे को चर्चा विषय बनाया जा रहा है। 1% लोगों को मतलब कुल सात लोगों को पहले तीन विकल्पो(मुस्लिम महिलाओं को हक़ दिलाना,मज़हब में दखलंदाज़ी, राजनीतिक फायदे) मे से कोई भी विकल्प योग्य नही लगा। लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार यह मुद्दा लोगों के सामने ला रहीं है। नोटबंदी का प्रभाव इसपर लोगों का ध्यान ना बना रहे इस वजह से तीन तलाक का मुद्दा लोगों के सामने लाया जा रहा है। 1% लोगों ने मतलब कुल 8 लोगों ने जानबूजकर इस सवाल पे टिप्पणी करने से मना कर दिया। इससे सवाल मे मौजूद गंभीरता के वजह से लोगों के मानसिक विचारो मे हुए बदलाव नजर आते है।

तीन तलाक के बिल के बारे में जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में निर्णय दिया है उसके अनुसार कोई भी शौहर अपने बीवी को तीन तलाक़ देता है तो वह तीन तलाक़ गैरकानूनी होगा और वह तलाक़ मानी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा की वह 6 महीनो के अंदर तीन तलाक़ को लेकर कोई क़ानून लाए

जिसके चलते सरकार ने लोकसभा में तीन तलाक़ को लेकर एक बिल पेश किया। इसमें यह प्रावधान है की अगर कोई शौहर अपनी बीवी को एक वक्त में तीन तलाक़ देता है तो उसे तीन साल तक सजा और जुरमाना हो सकता हे। इसी बिल को लेकर हमने मुस्लिम समाज में यह जानने की कोशिश की के कितने लोगों को इस बिल के बारे में जानकारी है। लोगों से बातचीत करते वक़्त हमें यह जानकारी मिली की करीब 66% लोगों को इस बिल के बारे में जानकारी थी। वही 34% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बिल के बारे में सुना ही नहीं था।

हमें जानने की उत्सुकता हुई की जिन लोगों को इस बिल के बारे में नहीं पता था उनमे से कितने मर्द और कितने महिलाऐं थी। तो हमें ये जानकार हैरानी नहीं हुई की ज्यादातर महिलाओं को इस बिल के बारे में पता नहीं था।

इसके साथ ही जब हमने लोगों से तीन तलाक़ देने पर तीन साल की सजा के बारे में पूछा तो हमें अलग अलग तरह के जवाब मिले। ज्यादातर लोगों का यह कहना था की तीन तलाक़ देना कोई अपराध नहीं और इसपर सजा की कोई ज़रुरत नहीं। वही कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो चाहते थे की तीन तलाक़ देने पर कड़ी से कड़ी सजा हो। यहाँ तक कुछ लोगों ने फांसी और उम्रकैद की भी बात कही।

तीन तलाक देने वालों को 3 साल की सजा देने का कानून बन रहा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है

"सरकार मुस्लमानो को निशाना बना रही है उन का इस्तेमाल कर रही है खुद के फायदे और वोट के लिए"

बहुत लोगों ने मुस्लमानो से जुड़े मुद्दे उठाऐ जैसे पढ़ाई बेरोजगारी और गरीबी और कुछ लोगों ने गलत कहते हुऐ इस कानून को बेफायदा बताया।उनके हिसाब से यह कानून से तीन तलाक नहीं रोकी जा सकती कोई इसे नहीं मानेगा । कुछ लोगों ने सरकार के इस कानून को गलत बताया क्योंकि उनका कहना था कि

"जब सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया और जब तलाक ही नहीं हुई तो सजा किस बात की दी जा रही है और कौन सा शौहर अपनी बीवी को जेल से आने के बाद अपनाएगा"

3 साल की सजा सुनकर बहुतों ने यह सवाल उठाया कि

"उसके जेल जाने के बाद बीवी बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी?"

तीन तलाक को कुछ लोगों ने घर का मामला बताया और उसको क्रिमिनल लॉ करने की जरूरत नहीं ऐसा कहा। इस कानून को ना मानते हुए कुछ लोगों ने सुलाह के कुछ अलग तरीकों के बारे में भी कहा कि उनका सुलाह करवाना चाहिए या वे नहीं रहना चाहते तो अलग होने का हक होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अधूरी जानकारी रखते थे और उसके बिना पर ही वह राय रख रहे थे इसके अलावा हमें लोगों ने अपनी राय देने की बजाय सुझाव दिए। उनके अनुसार ऐसा कानून होना चाहिए कि जो दोनों के लिए सही हो या जिसकी गलती हो उसे सजा मिले फिर चाहे वह मर्द हो या औरत कुछ लोगों ने सलाह दी कि सजा कुछ कम होनी चाहिए तो ज्यादातर लोग पूरी तरह यह सजा के खिलाफ थे।

बहुत कम तादाद में लेकिन हमें ऐसे लोग भी मिले जिनके अनुसार यह कानून सही है और वह इसका समर्थन करते हैं। इस कानून को सही बताने की यह वजह बताई कि लोगों में डर पैदा होगा अब कोई भी व्यक्ति यूं ही बेवजह तलाक नहीं दे पाएगा। एक व्यक्ति ने सही बताते हुए कहा कि सही है क्योंकि इनके हिसाब से यह तलाक एकतरफा होने की वजह आदमियों की मनमर्जी को बढ़ाने की वजह है। सर्वे करते समय यह सवाल हमारे मन में आता था कि लोग इस हद तक सरकार से क्यों भड़की हुई है और इतना कम भरोसा क्यों करते हैं| हम यह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर शौहर इस कानून के डर से तीन तलाक नहीं देगा पर वह एक तलाक दे कर भी इस से रिश्ता तोड़ सकता है, और जेल से आने के बाद क्या वह अपनी बीवी को अपनाएगा, ऐसे कहीं प्रश्न दिमाग में आते है|

तीन तलाक़ होने पर औरत को मदद के लिए कहा जाना चाहिए

हम यह जानना चाहते थे की लोगों के अनुसार अगर किसी मुस्लिम औरत को तीन तलाक़ दिया जाता है तो उसे सब से पहले मदद के लिए कहा जाना चाहिए। 46% लोगों ने शरीअत कोर्ट में जाने की सलाह दी। वही 36% लोगों ने कहा की उसे सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस और कोर्ट से सहारा लेने की सलाह दी। कुछ लोगों का यह मानना था की औरत सभी से मदद ले सकती है। 1% लोगों का यह कहना था की तीन तलाक़ देने पर औरत को कही नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब कोई शौहर अपनी बीवी को तीन बार तलाक़ बोलता है तो वह तलाक़ हो जाती है और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता इसीलिए कही जाकर कोई फायदा नहीं। डाटा को देखकर हमारे मन में कई प्रश्न उठे है की आखिर पुलिस और कोर्ट में जाने की सलाह सिर्फ 4% लोगों ने ही क्यों दी? और इसके साथ ही यह भी प्रश्न उठता है की क्या सच में इस कानून का कोई फायदा होगा क्योंकि लोग तो पुलिस

और कोर्ट में जाने से इतना कतरा रहे है वही शरीयत कोर्ट और रिश्तेदारों में ज़्यादा भरोसा दिखा रहे है। तो इससे यह सामने आता हे की क्या सच मे सजा की ज़रुरत है या सामाजिक सुधारों की?

तफवीज़

इस्लाम मे तलाक़ देने के दूसरे भी कई तरीके है,तलाक़-ए-तफवीज़ उनमे से एक तरीका है।इस तरीके के ज़रिए अलग होने की सहूलियत औरत को दी गयी है। तफवीज़ के लफ़्ज़ी मतलब सुपूर्द करना है। इस मे शौहर अपना तलाक़ का हक़ बीवी को सुपुर्द(दे देना) कर देता है। इसे निकाह के वक़्त या निकाह के बाद तलाक़ का हक़ दिया जाता है।तो यह तफवीज़ तलाक़ है।अगर शौहर ने शर्त के साथ हक़ दिया है तो शर्त पूरी ना होने पर बीवी खुद से इस हक़्क़ का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को तलाक दे सकती है वो तलाक़ हो जाएगी।

हमने लोगों से पूछा कि वह तलाक़-ए-तफवीज़ के बारे में क्या जानते है। तो करीब 83% लोगों को तलाक़-ए-तफवीज़ के बारे में पता नही था। बाकी के 17% लोगों में से कुछ लोगो को तलाक़-ए-तफवीज़ नाम नही पता था लेकिन तलाक़ तफवीज़ के तरीके के बारे में जानकारी थी।

जब हमने यह देखा कि कितने महिलाओं को इस तलाक़ के प्रकार के बारे में पता था , तब यह पता चला कि सिर्फ 36% महिलाओं तलाक़-ए-तफवीज़ के बारे में पता था|। उसका यह भी मतलब होता है कि महिलाओं को अपने हक़ो के बारे में जानकारी ही नही है।इस कि यह भी वजह हो सकती है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रमाण बहुत ही काम है जिससे उन्हें अपने हक़ो के बारे में जानकारी नही मिल पाती है।

खुला

इस्लाम मे तलाक़ मांगने का हक़् बीवी को दिया गया है।जैसे कि अगर औरत अपने शौहर के साथ नही रहना चाहती है तो वह अपने शौहर से खुला मांग सकती है,और अलग हो सकती है।लेकिन औरत के पास खुला मांगने की कुछ वजह होनी चाहिए जैसे कि अगर उसका शौहर उसे या उसके बच्चो को ठीक से देखभाल नही करता या वो औरत को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचता है।हमने मुस्लिम समाज मे लोगो को खुला के बारे में कितना पता है यह जाना।करीब 60% लोगो को खुला या खुला किस तरह दिया या मांगा जाता है यह पता था।वही 40% खुला के बारे में अनजान थे।

जिन 60% लोगो को खुला के बारे में पता था,उनमे औरत और मर्द के बीच फर्क बहुत ही कम था।करीब 49% मर्दो को खुला के बारे में पता था वही 51% महिलाए खुला से वाकिफ थी।

फस्ख-ए-निकहा

इस्लाम मे अब यह भी प्रावधान है कि अगर शौहर अपनी बीवी को खुला नही देता तो बीवी तलाक़ के लिए दारुल क़ज़ा या शरीयत कोर्ट जा सकती है। वहाँ काज़ी औरत के पक्ष को सुनता है और उसके शौहर को पहली नोटिस भेजता है,इसके बाद शौहर को काज़ी के सामने हाज़िर होना पड़ता है ताकि वो शौहर और बीवी के बीच के फासलों को सुलझा सके। यदि शौहर पहली नोटिस के बाद हाज़िर नही होता है तो काज़ी दूसरी और तीसरी नोटिस भेजता है,और फिर शौहर के हाज़िर नही होने पर शादी को तोड़ देता है। लेकिन इस के लिए कोई ठोस वजह होनी ज़रूरी है,इस प्रकार के तलाक को फस्ख-ए-निकाह कहते है। अगर आसान लफ्जों में कहें तो निकाह को काज़ी के ज़रिये रद्द करना या तोड़ देना फस्ख-ए-निकाह कहलाता है। हमारे सर्वेक्षण में बहुत कम लोगो को फस्ख-ए-निकाह के बारे में पता था।

जिन में 33% लोगो को फस्ख-ए-निकाह के बारे में पता था उनमे करीब 51% महिलाओं को यह तरीका पता था। इस से यह साबित होता है कि खुला और फस्ख-ए-निकाह के बारे में औरत और मर्द दोनो को करीब करीब समान ज्ञान था।

तीन तलाक के बारे में सुना या देखा है

सुप्रीम कोर्ट ने जब से तीन तलाक़ को गैरकानूनी बताया है तब से मीडिया अखबार और लोगो मे बहुत से चर्चे सुनने मिल रहे है।
इसलिए इस सवाल को लेकर हमने मुस्लिम समाज से पूछा कि किसी ने कहीं पर भी एक वक्त में तीन तलाक़ को देते सुना या देखा है,तो यह मालूम हुआ कि सिर्फ 26% लोगों ने तीन तलाक़ होते हुए देखा या सुना है। करीब 70% लोगों ने इस बारे में कहीं नही सुना। 4% लोग हमें ऐसे मिले जिनका कहना था कि तीन तलाक़ होते हुए देखा है या सुना है लेकिन उसमें शौहर और बीवी दोनो की रजामंदी थी।अब जिन 26% लोगों ने तीन तलाक़ होते हुए सुना है उसमें बहुत से लोगों ने एक ही औरत को देखा या सुना है या तो वे उसी को बता रहे थे, जैसे कि जिस एरिया में सर्वेक्षण लिया गया है अगर उस जगह पर किसी का तीन तलाक़ हुआ है तो लोग उसी केस के बारे में बता रहे थे यानी असल मे वो एक केस था जिस को कई लोगों ने सुना देखा था और उसी को वे बता रहे थे।

तीन तलाक का क्या करना चाहिए

सरकार ने तीन तलाक़ को गैरकानूनी बताया वहीँ सरकार तीन तलाक़ देने वाले को लेकर 3 साल की सज़ा का बिल ला रही है। 22 देशो ने तीन तलाक़ को बंद किया है या फिर उस मे कुछ तब्दीली लायी है।तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने तो गैरक़ानूनी बताया है लेकिन हम जानना चाहते है की लोग इस मस्ले पर क्या राय रखते है वह लोग तीन तलाक को किस तरह हल करना चाहते है। भारत मे तीन तलाक़ को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों की अलग अलग राय है।तीन तलाक़ का क्या करना चाहिए तो ज़्यादातर लोगों ने इसे वैसे ही रखना चाहिए यह सुझाव दिया क्योंकि वह शरीयत को ज़्यादा मानते है,तो वह शरीयत में किसी भी तरह की दखलंदाज़ी नही चाहते है करीब 64% लोगों का कहना है कि वैसे ही रखना चाहिए क्योंकि वह कह रहे थे कि इस्लाम मे जो भी है वह सही है , किसी ना किसी सिचुएशन को ध्यान में रख कर यह प्रावधान है इसलिए इस मे कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नही है। करीब 18% लोगों ने इस तलाक़ को पूरी तरह से बंद करने का सुझाव दिया क्योंकि उनका कहना था कि ज़्यादातर इस तलाक़ से औरत की जिंदगी बर्बाद होती है। 11% लोग इस तलाक़ में तब्दीली चाहते है लेकिन इन मे कुछ लोगों का कहना था कि जो भी तब्दीली लायी जाए वह सरकार और सुप्रीम

कोर्ट के ज़रिए नही बल्कि शरीयत कोर्ट AIMPLB के ज़रिए कुछ तब्दीली लाई जानी चाहिए। 7% लोगों ने पता नही कहा वह पता नही कह कर इस सवाल के जवाब देने से कतरा रहे थे।

तलाक में औरतों के हक के बारे में जानकारी

तलाक के बाद औरतों का क्या हक होता है उसे क्या मिलना चाहिए और औरतों का जो हक है तलाक लेने का वह कौन-कौन से हैं और क्या इसके बारे में मुस्लिम मर्द और औरतों को जानकारी है या नहीं हमने यही बात अपने इस सवाल के जरिए जानना चाही| सर्वे के दौरान हमें 200 से ज़्यादा लोग ऐसे मिले जो तलाक में औरतों के हक़ के बारे में जानते थे वहीं करीब 200 लोग नहीं जानते थे अब जो लोग जानते थे हम उनसे (क्या")का जवाब चाहते थे के आखिर किस तरह के हैं तो ज्यादातर लोगों ने खर्चा-पानी मिलने की बात की के शौहर को तलाक के बाद खर्चा उठाना होता है। बीवी बच्चों का खर्चों और इद्दत का खर्चा और महर ना मिली हो तो वह महर मिले, और कुछ लोगों के अनुसार यह खर्चा बीवी की दूसरी शादी तक उठाना चाहिए। और बच्चों का खर्च उठाना होता है जब तक वह बड़े ना हो जाएँ, इस तरह के जवाब हमें मिले । तलाक के हक में बहुत सारे लोगों ने खुला जो की बीवी का हक होता है कि अगर वह रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो वह तलाक मांग सकती है इस हक की जानकारी ज्यादातर लोगों के पास थी। लेकिन वही सिर्फ एक या दो लोगों को निकाह को तोड़ने का हक जो कि फस्क -ए - निकाह कहलाता है उसके बारे में पता था और तलाक-ए-तफवीज़ भी मुश्किल से सिर्फ एक को पता था कि इसके जरिए भी तलाक का हक औरत खुद ले सकती है जो कि शौहर के जरीए सुपुर्द की जाती है। इतनी कम तादाद में लोगों को "फस्क "और "तफवीज़" की जानकारी थी इस बात का सबूत देती है कि लोगों में" खुला" जो कि औरत मांग सकती है लेकिन "तफवीज़" जो औरत खुद दे सकती है अगर शौहर ने उसे हक दिया है तो। इसकी जानकारी इतनी कम है इसे देखकर यह सवाल उठाना जरूरी है कि क्यों तफवीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता, क्यों सिर्फ कुछ लोगों ने तफवीज़ का नाम सुना है ? इसका जवाब शायद यह हो सकता है कि इसके बारे में कोई बताना जरूरी नहीं समझता या बताना नहीं चाहते |

हमें कई ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना था कि शरीयत के हिसाब से मिलना चाहिए और जायदाद में हक होना चाहिए शौहर की कमाई का 50% बीवी को मिलना चाहिए इस तरह के सुझाव भी मिले। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि प्रेगनेंसी में तलाक़ नही होता उसे घर में ही रहने का हक होता है|

इस तरह हमें यह देखने को मिला कि ज्यादातर लोग खर्चे से जुडे हक़ के बारे में जानते थे लेकिन बहुत कम तादाद में लोगों को तलाक देने के हक के बारे में जानकारी थी।

आप के हिसाब से तीन तलाक देने वाले के ऊपर किस तरह का कानून बनना चाहिए

22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया की एक समय की तीन तलाक़ असंवेधानिक है मतलब जो भी एक वक़्त में जो तीन तलाक़ देगा वह कबूल नही की जाएगी। उस के साथ साथ उन्होंने ने सरकार को यह भी कहा कि आने वाले 6 महीनों में कोई तीन तलाक़ पर कानून बनाया जाए जिस के कारण तीन तलाक़ रुक जाए। तब केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद और उनके सहायक ने मिल कर तीन तलाक़ पर एक ड्राफ्ट बनाया जिस के मुताबिक जो व्यक्ति तीन तलाक़ देगा उसे तीन साल की सज़ा होगी।यह बिल जिस का नाम Muslim women protection of right on marriage bill से जाना जाता है जो लोकसभा मे तो पास हो गया है पर राज्यसभा मे अटका हुआ है।
मुस्लिम समुदाय में इस कानून को लेकर बहुत ज़्यादा निषेध हो रहा है ज़्यादातर लोग कहते है कि इस से और ज़्यादा मुश्किले बढेंगी।
इस लिए हमने लोगों से जानने की कोशिश की है कि उनके मुताबिक तीन तलाक़ देने वाले मुस्लिम पुरूष पर किस तरह का कानून बनाया जाए। हमे इस के जवाब बहुत ही मुख्तलिफ मिले है। हमारे सर्वेक्षण में दिखने में आया है कि ज़्यादातर लोग शरीयत और मज़हब को सब से ऊपर मानते है। ज़्यादातर लोग साफ साफ कहते ही कि उन्हें किसी भी कानून की ज़रूरत नही है।वह कहते है कि

" इस्लाम मे तलाक़ पर पहले से कानून बनाया गया है और हम इसी कानून पर चलेगे। "

तो कोई ख़्वाहिश रखता है कि
" तीन तलाक़ पर कानून तो बनाया जाए मगर वह कानून शरीयत के मुताबिक हो उलमाओं और मुस्लिम समुदाय की राय ले कर कानून बनाया जाए।"

कुछ लोगो का समूह कहता है कि हमें दारुल क़ज़ा(इस्लामिक शरीया कोर्ट) जा कर सुलझाना चाहिए या जो वह सज़ा बताए उस को मानना चाहिए। इस से समझ मे आता है कि ज़्यादातर लोग कानून बनाने के लिए इनकार कर रहे है।

सर्वेक्षण में से कुछ समूह में इस तरह का भी कहना है कि जो भी कानून बनाया जाए उस से औरत को फायदा हासिल हो, लोग सज़ा देने के बजाए औरत और बच्चो के खर्चे को ज़्यादा तरजीह दे रहे है। वह चाहते है औरत को तलाक़ के बाद का पूरा खर्च वह मर्द संभाले तो कोई कहता है कि इद्दत की मुद्दत तक का खर्च मर्द औरत को दे दे। कोई सर्वेक्षण में सुलह और

समझौते की बात करने की बात करता है,तो कोई बच्चो की परवरिश का खर्चा उठाये इस के बारे में बताते है।
कुछ लोग सज़ा मर्द को मिलनी चाहिए उस पर वह राज़ी थे इस मे से कोई तीन तलाक़ पर सख्त से सख्त सजा दी जाए इस तरह की राय रखते है जैसे उम्र कैद की सज़ा,फाँसी की सज़ा या 10 साल की सज़ा का कानून वगैरा।तो कोई कहते है कि

"सज़ा तो होनी चाहिए मगर तीन साल की सज़ा न हो बल्कि कुछ छोटी सज़ा होनी चाहिए जैसे कि 6 से 12 महीने की सज़ा"

तो कोई कहता है की 20000 रुपये का जुर्माने की सज़ा देनी चाहिए। तो कोई ऐसा भी कहता है कि

"हमेशा मर्द की गलती नही होती है तो जिस की गलती हो उसको ही सज़ा देना चाहिए अगर लड़की की गलती हो तो लड़की को सज़ा और अगर लड़के की गलती हो तो लड़के को सज़ा देनी चाहिए।"

तो कोई कहता है कि शरीयत कोर्ट या सिविल कोर्ट के ज़रिए सज़ा देनी चाहिए।
कुछ समूह का कहना है कि तीन तलाक़ का मामला परिवार का मामला है तो इस पर सज़ा देने का हक़ भी परिवार को ही है, या तीन तलाक़ पर सज़ा की ज़रूरत नही घर के अंदर ही इसे हल किया जाए, या कोई पंचायत या घर के बडे बैठ कर इस पर सज़ा बताए। तो कोई कहते है तलाक़ के दूसरे तरीको को कानूनी बनाना चाहिए कि जैसे अहसन और हसन इन को सरकार के तरफ से इम्प्लेमेंट कर देना चाहिए की हर कोई इसी तरीके से तलाक दे।
तो कुछ लोगों के जवाब इस तरह से भी मिले कि तीन तलाक़ पर सज़ा देने से कोई फायदा नही होगा जो तलाक़ देने वाले रहेंगे वह एक तलाक़ दे कर भी छुटकारा हासिल कर सकते है।
तो किसी को आधी अधूरी जानकारी थी। या वह सज़ा देने के बजाए वह अपने समस्या का समाधान की मांग कर रहे है|
इस सवाल में लोग ज़्यादा तर सज़ा बताने की बजाए सज़ा का साफ इंकार कर रहे है या फिर वह मज़हब धर्म को सब से बढ़ कर मानते है। लोग ज़्यादातर सुझाव देने का प्रयास करते नज़र आए है जब कि हमने किस तरह की सज़ा दी जाए इस के बारे में पूछा था। इस से पता चलता है लोग किसी धार्मिक मामले में खुद से सज़ा देने या बोलने से इतना डर क्यूँ होता है क्या हम धर्मं में चलते हुए बुरे प्रथा को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना सकते? या सिर्फ जो चलते आ रहा है इसे ही फॉलो करना चाहिए।

तीन तलाक़ को रोकने के लिए हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं

क़ुरान शरीफ में तलाक देने का सही तरीका अहसन और हसन है जिसमें सुलह की गुंजाइश होती है और सोचने समझने का मौका भी मिलता है यही बात हम ने लोगों से जाननी चाही के लोगो को इसके बारे में कितना पता है तो 50% लोगों ने अहसन और हसन कहा जबकि नही पता कहने वाले लोगों की तादाद भी कम नही थी तो हो सकता है जो तीन तलाक़ देते है उन्हें तलाक़ का सही तरीका पता न हो या वो बिद्दत को ही सिर्फ तलाक देने का एक ही तरीका मानते हो तलाक़ का या उन्हें इस तरीके में आसानी नज़र आती है क्यूंकि कई सारे 3 तलाक़ को सही कहने वालों की राय में 3 तलाक सही था क्यूंकि एक झटके में ही रिश्ता खत्म हो जाता है । इसलिए हमने लोगों से ही यह पूछा कि इसकी जानकारी लोगों में कैसे सामान्य की जाए कि हर शख्स सही तरीका जाने और जागरूक हो तो लोगों ने इसके अलग अलग जवाब दिए जिसका इस्तेमाल हम सचमुच् कर सकते हैं। भारी तादाद में लोगों ने इस्लाम के जरिये कहा उनका कहना था कि जुमा की नमाज़ के बाद बयान , इज्तेमा ,या किसी इस्लामी इदारे(ORGANISATION) के ज़रिए जागरूकता फैलाई जा सकती है क्यूंकि लोग इस्लाम को ज़्यादा मानते है तो अगर यह बात कोई मौलाना कहे या बयान में कही जाए तो इसपर ज़्यादा अमल होगा । इसी तरह *social media* भी एक ज़रिया हो सकता है जैसे कि *T.V* पर कार्येक्रम (प्रोग्राम) दिखा कर या *facebook* और *whatsapp* पर ग्रुप बना कर जागरूकता फैलाई जा सकती है ऐसा कुछ लोगों का कहना था ।

कुछ लोगों के हिसाब से बुनियादी तालीम में ही इसका शुमार होना चाहिए जैसे किताबों में या मदरसा , स्कूल में पढाना चाहिए ताकि बचपन से ही जानकारी हो इसके अलावा हमे ऐसा कहने वाले लोग भी मिले जिनका कहना था कि जागरूकता की कोई ज़रूरत नही या इसका कोई फायदा नही । इनके जवाब सुनकर हमारे मन में सवाल उठता है की आखिर क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नही शायद उनके हिसाब से मुस्लिम समाज पहले से जागरूक है या किसी की दखलंदाज़ी उन्हें पसंद नही जैसा है वैसा ही चाहते हैं ।कोई फायदा नही है कहने वाले लोग शायद ऐसा समझते थे कि यह बेकार है क्योंकि लोग तो वही करेंगे जो उन्हें ठीक लगता है।

इस प्रकार हमने लोगों में किस तरह जागरूकता फैलानी चाहिए इसका जवाब लोगों से ही जाना जिसमे उनकी राय और उनका तरीका हमे जानने का मौका मिला।

विद्द्वानो से चर्चा

मुस्लिम विद्वान से चर्चा

"कानून बनाने से अच्छा है आप इंसान बनाओ, लोगो की सोच बदले उनका कैरेक्टर और आमाल बदले रहन सहन बदले"

हमने **मुफ़्ती सुफियान नियाज़ वनु** से बात की है और कुछ सवालात पर चर्चा करने की कोशिश की है। मुफ़्ती एक इस्लामिक विद्वान है जो इस्लामी कानून(शरिया और फ़िक्ह) की व्याख्या और विस्तार करता है। मुफ़्ती जूरिस्ट है जो आधिकारिक कानूनी राय देने के लिए योग्य है जिन्हें फतवा भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ वो एंटोप हिल(ANTOPHILL) के नगरसेवक भी है। हमने इनके विचार इस लिए शामिल किए है कि हमे तीन तलाक़ पर दोनो तरफ के विचारों(धार्मिक भी राजनेतिक भी) को जानने का मौका मिलेगा।

मुफ़्ती सुफियान कहते है कि तीन तलाक़ का मुद्दा कोई मुद्दा नही है। खास ज़हन के लोगो ने इस मुद्दे को उठाया है। मुफ़्ती सुफियान के मुताबिक बहुत सारे राष्ट्रीय समस्या है मगर उन राष्ट्रीय समस्याओं को दबाने के लिए जातिवाद लोगो ने इस मसले को बढ़ा कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया है। उनके मुताबिक तीन तलाक़ मुस्लिम समुदाय में बहुत ही कम होता है और उसके साथ साथ उन्हों ने बताया कि अगर तीन तलाक़ का मुद्दा उठाया जा रहा है तो फिर वृंदावन में जो विधवाएं बैठीं है उस पर भी कुछ किया जाना चाहिए।

वह कहते है कि निकाह में महर लाज़िम है, दूसरे तरफ लोग दहेज़ के नाम पर औरतो को जलाते है, तकलीफ देते है लेकिन इस्लाम कहता है कि तुम दहेज़ मत लो मगर औरत को महर दो। लेकिन हमारे यहाँ आज के दौर में एक बुरी प्रथा चल रही है कि लोग शादी में बहुत ज़्यादा खर्च करते है मगर महर बहुत ही कम रखते है। इसका उलट होने की ज़रूरत है।

वह तीन तलाक़ को एक समझना और तीन तलाक़ को तीन समझने के विवाद पर बोलते हुए कहते है कि यह विवाद पवित्र कुरआन और हदीस के हवाले देने से होता है। कोई अपनी राय इस

मे शामिल नही करता है। मगर उनके मुताबिक ज़्यादातर दुनिया के 90 फीसद मुस्लिम विद्वान तीन तलाक़ को तीन ही समझते है।

वो कहते है तलाक़ रुक रुक कर एक एक स्टेप को अपना कर देना चाहिए। अगर कोई इस तरह से नही करता है तो तब शरीयत ज़ालिम नही होती मगर जो आदमी ऐसा करता है वो ज़ालिम होता है। वह कहते है कि इस्लाम ने ही सब से पहले औरतो को बाप के जायदाद में हिस्सा लेने का हक़्क़ दिया है। पहले लोग लड़की को जलाते या जिंदा दफनाते थे मगर पैगम्बर मुहम्मद ने इस प्रथा को रोका था। वह कहते है कि इस्लाम ने औरतो को बराबरी का दर्जा दिया है वह अपने मुकाम पर किंग है और शौहर अपने मुकाम पर किंग है।
सुफियान वनु कहते है कि तलाक़ देने का हक़्क़ औरतो को इसलिए नही है कि उनकी तबियत नरम दिल, नरम मिज़ाज, कमज़ोर मिज़ाज और वह बहुत जल्द मुतासिर होती है। इसलिए तलाक़ देने का हक़्क़ मर्दो को दिया है। मगर साथ साथ वह यह भी कहते है कि
"इस्लाम मे खुला नाम की चिड़िया है जो औरतो के लिए है"

मतलब इस्लाम ने औरतो को खाली नही रखा है वो भी खुला के ज़रिए तलाक़ हासिल कर सकती है। अगर शौहर, बीवी के खुला मागने के बाद भी तलाक़ नही दे रहा है तो तब काज़ी को हक़ है कि वह फस्ख ए निकाह यानी निकाह को तोड़ सकता है।
मुफती सुफियान वनु के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक़ के फैसले पर राय थी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक हैसियत को बढ़ाने के बजाए और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और उसी के साथ वो बताते है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को असंवैधानिक बताया है तो फिर इस पर सज़ा का कानून क्यों बनाया जा रहा है। ज़्यादातर बिल महीने महीने तक संसद में चलते है मगर यह बिल सुबह आया और शाम को लोकसभा में पास हो गया। उसके साथ साथ वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर भी करते हे|
उन्होंने ऐसा भी बताया कि सरकार यह सब राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे है। कुछ जातिवाद लोग इस राष्ट्र को हिन्दू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे है।
उन्होंने ने पर्सनल लॉ के बारे में बताया कि हिंदुस्तान में हर किलोमीटर पर ज़बान तहज़ीब बदलती है इस लिए पर्सनल लॉ की ज़रूरत है। और उन्हें पर्सनल लॉ पर चलने का हक़ संविधान ने दे रखा है।
और उन्होंने इस तरह भी कहा कि हम अपने शरीयत से मुतमईन है ना हमे अपने शरीयत में कुछ तब्दीली करना है और न ही हम इस मे कुछ तब्दीली करने देंगे।

उन्होंने DOMESTIC VIOLENCE ACT 2005 और दूसरे कानून की तारीफ की है। और उनके मुताबिक NGO वगैरा भी अच्छे से औरतो के लिए काम कर रहे है मगर कहीं दफा

NGO अपना मफाद देखने की कोशिश करते है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कानून के बारे में जानकारी रखते है वह बहुत ज़्यादा कानून के साथ खेलते भी है।

मुफती सुफियान कहते है जो टी.व्ही चर्चा और डिबेट में उलमा होते है उन्हें इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नही होती है और वह सिर्फ मशहूर होना चाहते है। इस के कारण लोगो मे गलत बात पहुंचती है कि इस्लाम सख्त मज़हब है।

वे यह भी कहते है हलाला शरीयत के नज़दीक सज़ा है। और सज़ा है तो इस लिए वह सख्त है। अगर सज़ा सख्त होगी तो ही जुर्म कम होंगे।

वह आखिर में कहते है कि तीन तलाक़ को रोकने के लिए शादी के वक़्त ही निकाहनामे में ही शर्त वगैरा लिखी जाए कि अगर निबाह न हो पाए तो तीन तलाक़ एक साथ नही दी जाए।

भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन(BMMA)

तीन तलाक संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम बांद्रा स्थित भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन(BMMA) के कार्यालय में खातून शेख इनसे मिलने के लिए गए थे। BMMA कि पार्श्वभूमी बहुत महत्वपूर्ण है। सहसंस्थापक झाकिया सोमन और नूर जहाँ इन्होंने इस संस्था कि स्थापना 2007 मे कि। भारत मे कुल पंधरा राज्यों मे पिछले छह सालो से कुल 30000 सदस्य इस संस्था से जुडे हुए है।

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यह संस्था कुछ सेंटर भी चलाती है। उसमे रोजगार (Employment), शिक्षण (Education), रोजी रोटी (Livelihood) इस पर चर्चा की जाती है। तीन तलाक और फॅमिली लॉ इनके खिलाफ जिती हुई लढाई यह BMMA के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी संस्था, जीस स्त्री को तीन तलाक दिया है उस स्त्री तक नही पहुँच सकी , वह BMMA ने करके दिखाया है यह उनका मानना है।

BMMA को अनेक दुसरी संस्था और उनके विरोधकों के जरीए बहुत बार Uniform Civil Code(UCC) और राजकीय हक इन चिजो से जोडा गया। कई बार उन्हे वे राजनीतिक पार्टी के एजेंट है ऐसा कहा गया। पर उसमे से ही BMMA अपना कार्य पुरी लगन और मेहनत के साथ पुरा कर रही है। यही उनके तुफानी सफर का सबूत हो सकता है। BMMA किसी भी प्रकार से UCC को समर्थन नही करते और इसकी अधिकृत घोषणा भी उन्होने कि है। BMMA का तीन तलाक बंदी के लिए का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रिम कोर्ट ने दिए हुए तीन तलाक के फैसले के पीछे BMMA का भी योगदान है।

BMMA के तरफ से मार्च 2015 मे लिए गए 4710 महिलाओ के सर्वेक्षण से बहुत से चीजे समाज के सामने लायी गयी। इस सर्वेक्षण से उन्होंने परिवार की सालाना आमदनी, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महर इससे संबंधित सवालो कि विचारणा की थी।

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के खातून शेख इनसे की चर्चा निचे दिए हुए मुद्दे के मुताबिक। तीन तलाक संबंधित खातून शेख इनका किताबी ज्ञान और वास्तविकता का अनुभव इसका हमे हमारे संशोधन प्रक्रिया में बहुत इस्तेमाल हुआ।

तीन तलाक संबंधित BMMA कि भूमिका बहुत हि साफ है। सुप्रिम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। तीन तलाक के खिलाफ लड़ी हुई लड़ाई की यह जीत है ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर की। तीन तलाक यह मुद्दा मजहब से जुड़ा हुआ होने के वजह से उन्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा। सामाजिक स्थर से होने वाला विरोध, कुछ मुस्लिम धर्मियों से आने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया, इन प्रतिक्रियाओ को देखने का सकारात्मक दृष्टिकोन, घरसे हि होने वाला

विरोध और उसके वजह से गिरने वाला आत्मविश्वास इससे निकाला हुआ रास्ता इस सबसे BMMA कि प्रतिभा समझ मे आती है। तीन तलाक बंदी के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया हुआ कानून बनाने का आदेश और सरकार ने बनाए हुए कानून का BMMA समर्थन करती है। वे कहती है की इस कानून के जरिए मुस्लिम मर्द के मन में डर रहेगा और वो तीन तलाक बोलने से पहले सोचेगा| तीन तलाक देने के बाद अगर कानून के अनुसार पति को जेल में जाना पड़ा तो फिर उसके पत्नी और बच्चों का फैसला कौन उठाएगा? इन जैसे सवाल सामने आते है। अगर एक आदमी अच्छा पति न हो सका पर वो एक अच्छा पिता जरूर हो सकता है, यह हम नजरअंदाज नही कर सकते। हैरान होने वाली बात मतलब सरकार ने बनाए हुए कानून में BMMA को किसी भी प्रकार के दोष नही दिखाइ दिए। हमने की हुइ चर्चा में उन्होंने तीन तलाक और उस संबंधित कानून पर ज्यादा बातचीत नही की। खातून शेख इन्होंने महर और मॉडर्न निकाह नामा इस पर ज्यादा भाष्य किया।

कुल मिला कर BMMA की सुप्रिम कोर्ट के फैसले के संबंधित भूमिका स्वागत करने वाली है, पर कानून संबंधित प्रतिक्रिया उलजन खड़ी करने वाली है।

आवाज़-ए-निसवां

हमारे विषय का नाम *तीन तलाक़ पर मुस्लिम समाज का नज़रिया(Triple Talaq and Muslim Society's Perspective on it)*।

इसके लिए हमे काफी कुछ जानने की जरूरत थी जो हमे ज्यादा नही पता था। तो इसके लिए हमे किसी एक्सपर्ट या किसी ऐसी संस्था की जरूरत थी जो हमे पूरी जानकारि देता और ये हमे कोई एक्सपर्ट या संस्था ही दे सकता था। हम वहां अपने ग्रुप के साथ गए और वहां हमने यासमीन शेख जी से बात की, उनके और उनकी संस्था के बारे में और अपने विषय के बारे में चर्चा की।

आवाज़-ए-निस्वा का तार्रुफ़(AEN):-

आवाज़-ए-निस्वा(AEN) का मतलब औरतो की आवाज़(The voice of women)। आवाज़-ए-निस्वा (AEN) मुंबई शहर में मुस्लिम औरतो के लिए काम करने वाली पहली संस्था या NGO है जो मुस्लिम औरतो के लिए काम करता है और आज मुंबई शहर में सभी NGO,s में उपरी स्थर पर माना जाता है।

आवाज़-ए-निस्वा (AEN) का मक़सद :-

आवाज़-ए-निस्वा (AEN) का मक़सद समाज मे मुस्लिम औरतो में महिला संघ (sisterhood) और मर्द और औरत में बराबरी(Equality) लाना और साथ ही साथ मुस्लिम औरतो को हिम्मत और बढ़ावा देकर सामाजिक सुधारक(social reformer) बनाकर लड़कियों और औरतो के लिए एक सुरक्षित समाज या माहौल बनाना है ताकि वो अपने खुद के हक़ के लिए लड़ सके और अपने हक़ में बेहतर फैसले ले सके और समाज में आगे बढ़ सके।

1) आवाज़-ए-निस्वा (AEN) लड़कियां और औरतें जो पढ़ना चाहती है और पढ़ नही पाती उन्हें प्रोत्साहित करना है।

2) आवाज़-ए-निस्वा (AEN) औरतो और लड़कियों के लिए एक पुस्तकालय खोली है जिसका नाम **Rehnuma Library Center है।** जिसमे हर कोई जा सकता है चाहे वो जिस भी उम्र और Background से जुड़ा हो।

3) आवाज़-ए-निस्वा (AEN) जिन औरतो का तलाक हो चुका है तो तलाक़ के बाद का उन्हें हक़ दिलाना या जिनका तलाक़ नही हुआ है और वो औरत तलाक लेना चाहती है लेकिन उसका शौहर नही दे रहा तो उन्हें समझना और तलाक दिलाना या शौहर और बीवी में किसी भी बात को लेके झगड़े चल रहे है तो उसे सुलझाना।

आवाज़-ए-निस्वा(AEN) की शुरुआत:-

आवाज़-ए-निस्वा में यासमीन जी ने हमे बताया कि **शहनाज़ शेख** ने 1985 में आवाज़-ए-निस्वा (AEN) की स्थापना की। जिन्होंने **1963** में पहली बार उच्चन्यायालय में तीन तलाक़ के खिलाफ अपील किया था। शुरआती दिनों में (AEN) की खुद की ऑफिस नही थी ।

1997 में आवाज़-ए-निस्वा ने सैंड्हर्स्ट रोड में खुद की ऑफिस खोली और आज इसके शाखाएं मुंबई के बहुत से इलाको में है। आवाज़-ए-निस्वा को औरतो के लिए काम करते हुए 34 साल हो गए है।

महर के बारे में जानकारी :- आवाज़-ए-निस्वा में यासमीन जी ने हमसे पूछा कि महर क्या है और ये शादी में देना क्यों जरूरी है?

तो हमने बताया कि महर शादी के वक़्त शौहर अपनी होने वाली बीवी को देता है अपनी हैसियत के हिसाब से, जिसका इस्तेमाल लड़की अपने बुरे हालातो में कर सकती है और ये किसी भी शक्ल में हो सकती पैसा, सोना या प्रॉपर्टी।

यासमीन जी ने हमसे पूछा की आप लोगो के हिसाब से महर किसमे होनी चाहिए ??

लगभग हम सब ने पैसा बोला था हमे लगा था कि पैसे की अहमियत ज्यादा होती है। तो उसपर उन्होंने हमसे एक सवाल और पूछा कि अगर पैसा तो कितना पैसा क्योंकि पैसे की क़ीमत तो कम होती जाती है??

हमारे पास इसका जवाब नही था क्योंकि हमारे ग्रुप में कम लोगो को महर के बारे में पूरी जानकारी थी। और हमे सही से नही पता था कि कितना होना चाहिए क्योंकि हम अलग अलग राज्यों से थे तो सब का अलग कल्चर था किसी के राज्यों में 5000 किसी के एरिया में 10000 या 50000 इससे ज्यादा नही लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से। हमारे ग्रुप के एक मेम्बर ने बताया कि उनके गांव महर में सोना देने की परम्परा है जो एक तोला सोना या उससे ज्यादा है। उसकी हैसियत के हिसाब से।

इसपर यासमीन जी ने बताया कि सोना बंधवाना ज्यादा सही होता है क्योंकि पैसे की कीमत साल या कुछ सालों में कम हो जाती है लेकिन सोने की कीमत हर एक साल बढ़ती है कम नही होती है।

महर के तरीके:- आवाज़-ए-निस्वा में हमे बताया कि महर तीन तरीके की होती है।

1) फौरन दे दो।

2) उधार रखो।

3) जब औरत मांगे।

1) फौरन दे दो:- इस तरीके में निकाह के दौरान या निकाह के तुरंत बाद महर लड़की को दे दी जाती है उसकी अमानत उसे सौंप दी जाती है।

2) उधार रखो:- इस तरीके में निकाह के वक़्त महर उधार रख सकते हो जैसे कि (निकाह के वक़्त तुम्हारे पास उतने पैसे नही है जितना महर बांधी गई है) और बाद में धीरे-धीरे करके अपनी बीवी को पूरी महर दे दो।

3) जब औरत मांगे तब:- इस तरीके में जब लड़की चाहे तब महर ले सकती है जैसे कि (निकाह के दौरान उसका महर लेने का इरादा नही है तो वो बाद में भी ले सकती है)।

शिया मसलक में तलाक:- आवाज़-ए-निस्वा में यासमीन जी ने हमे बताया कि शिया मसलक में तीन तलाक़ हैं ही नहीं यानी कि शौहर अपनी बीवी को सीधा ऐसे नहीं बोल सकता कि वो अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा हैं इसके लिए उनमें अलग तरीका है जैसे निकाह के वक़्त दोनो तरफ से गवाह और निकाह नामें में सब लिख कर होता हैं वैसे ही शिया मसलक में तलाक के वक़्त भी सारे तरीके किये जाते हैं। यानी कि शिया मसलक में बोल कर तलाक़ होता ही नहीं और हमें इस के बारे में नहीं मालूम था।ये सब हमें आवाज़-ए-निस्वा(AEN) यासमीन जी ने बताया।

इस्लाम मे औरतो को तलाक के हक़ :-

आवाज़-ए- निस्वा (AEN) यासमीन जी ने बताया कि इस्लाम ने तलाक़ औरतों को क्या क्या हुक़ूक़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि खुला के अलावा फसख -ए-निकाह और तलाक-ए-तफवीज़ इन तारीखों से भी बीवी अपने शौहर ले सकती हैं । फस्ख -ए -निकाह और तलाक-ए-तफवीज़ इन दोनों तरीके के बारे में हमारे पूरे ग्रुप को भी नही मालूम था । और ये हमे यासमीन जी ने बताया और

हमने उनसे कहा कि इस्लाम में औरतों को ऐसे हक़ भी दिए हैं जो हमें नही पता था। तो फिर उन्होंने कहा कि इन तरीकों के बारे में मुस्लिम समाज में 90 या 95 % लोगों को नहीं मालूम है। इस्लामिक विद्वान् या मौलाना इसके बारे में बहुत ही कम बताते हैं।

तलाक-ए-तफवीज़ :-

इस तरीके में ललड़की निकाह के वक़्त ही शर्त रख कर निकाहनामे पर लिखवा सकती है कि शादी के बाद अगर लड़का उसकी जरूरतों पर पूरा नही उतर या वो उसके काबिल नही है तो वो लड़की तलाक़ ले सकती है (क्योंकि ऐसा होता है कि लड़के में कमी या गलत होने पर भी वो लोग तलाक़ नही देते है) तो ऐसी हालातो में वो इस तरीके से तलाक़ ले सकती है ।

फसख-ए-निकाह :-

फसख-ए-निक़ाह का मतलब निकाह को तोड़ना (शरीयत कोर्ट के क़ाज़ी के जरिये निकाह को तोड़ना)। इस तरीके में लड़की को उसके ससुराल में कुछ दिक्कत है, वो नही रहना चाहती है और उसका शौहर उसे तलाक़ नही दे रहा या उसका शौहर कई सालों से लापता है, उसके बारे में कुछ भी खबर नही तो इन सूरतो में वो लड़की शरियत कोर्ट जा सकती है और वह क़ाज़ी से मदद ले सकती है लेकिन इन सब के लिए उसके कोई ठीक वजह होनी चाहिए। अगर सचमे ऐसा लगता हे की औरत अपने रिश्ते में नहीं रह सकती तब क़ाज़ी दोनो का निकाह तोड़ देता हे।

सुप्रीम कोर्ट का तीन तलाक़ पर फैसला :-

तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आवाज़-ए-निस्वा (AEN) खुश है और उसे मानता भी है आवाज़-ए-निस्वा का कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही सही फैसला है ये कानून बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन अब आया है तो भी सही है इससे बहुत सी लड़कियों की ज़िन्दगी बर्बाद होने से बच जाएगी। एक झटके में तीन तलाक़ की वजह से लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोग डरेंगे और ये तलाक़ नही नही देंगे। ऐसा आवाज़ ए निस्वा का मानना है। आवाज़-ए-निस्वा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है लेकिन बिल (तीन तलाक़ देने वालो को तीन साल की सज़ा) के खिलाफ है उनक कहना है कि सज़ा थोड़ी कम होनी चाहिए तीन साल बहुत ज्यादा है और इसे क्रिमिनल लॉ में नही सिविल लॉ के तहत रखना चाहिये।

#आवाज़ ए निस्वा से चर्चा करके हमारे ग्रुप को बहुत सी जानकारि मिली जो हमे पहले नही मालूम थी और हमे पता चला कि वो औरतो के लिए कैसे काम करता है उन्हें उनका हक दिलाता है। उनके पास तीन तलाक़शुदा कुछ औरतो के केसेस थे उसके बारे में भी बताया कि कैसे उनके मसले को हल किया।और हमे एक तीन तलाक़शुदा महिला से बात करने का मौका भी दिया जो हमारे रिसर्च के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। उससे हमे काफी कुछ जानने मिला की एक तलाक़शुदा औरत को काफी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है।

आवाज़-ए-निस्वा से बात करके हमे हमारे रिसर्च में काफी मदद मिली।

रज़िया पटेल

मुस्लिम समाज के आम लोगो के सर्वेक्षण द्वारा हमे उनकी राय मालूम हुई। हर समाज और कम्युनिटी में लोगो की राय उनके तबके और प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग होती है, उनकी सोच विचार अलग होते है, इसलिए हमने 413 मुस्लिम लोगों का सर्वे करने के साथ साथ हमने सोचा कि इस मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट्स से भी बातचीत करनी चाहिए इसलिए हमने रज़िया पटेल जी से तीन तलाक़ इस विषय पर बातचीत की ।

रज़िया पटेल जी मुस्लिम धर्मीय समाजिक कार्यकर्ता हैं। जो मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा, औरतों की परेशानी, गरीबी और उनमे शिक्षा इतनी कम क्यों है इस तरह के सभी मुद्दों पर समग्र रहकर काम करती हैं ।

हमने उनसे तीन तलाक़ के मुद्दे से जुड़ी बात की। बातचीत के दौरान रज़िया पटेल ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड(AIMPLB) मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं हैं वह भी एक संस्था की तरह ही है। उनका कहना है की ऑल इंडिया मुलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और तीन तलाक़ देने के ऊपर तीन साल की सजा इस बिल का विरोध किया है। लेकिन उन्होंने रैली में बिल की बात ही नही की रैली में उनका नारा था " शरीयत बचाओ " इसके बदले वो बिल में सुधार लाने की बात कर सकते थे उनकी रैली में हज़ारों महिलाएँ थी वे बिल में सुधार लाने की बात कर सकते थे ।

रज़िया पटेल जी कहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक़ के केस सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमे सरकार कि कही न कही खामी नज़र आती है। रज़िया पटेल जी का कहना है कि इस केस को DOMESTIC VIOLENCE ACT के तहत सुलझाना चहिए। रज़िया पटेल जी के हिसाब से बिल को क्रिमीनलाइज करने की ज़रूरत नही थी। नॉन मुस्लिम्स के कानून तो क्रिमिनलाइज नही किए है तो यहाँ पर क्रिमीनलाइज करने की क्या वजह है। सजा के बदले आपसी समझौता और बातचीत के लिए स्पेस होना चाहिए। वो कहती हैं कि भारतीय समाज में बहुत सी औरतों को उनके पति ने ऐसे ही छोड़ दिया हैं इसलिए सभी औरतों के लिए कुछ करना चाहिए।

रज़िया पटेल जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं लेकिन तीन तलाक़ के बिल का विरोध करती हैं उनके हिसाब से तीन साल की सजा गलत है इससे औरत का क्या फायदा होगा, उसका खर्च कहा से आएगा। रज़िया पटेल जी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हो सकता है कोई बदला लेने के लिए उस इंसान के मोबाइल से उसकी बीवी को तलाक दे। इस तरह में असल मे तो शौहर ने तलाक दी ही नही किसी और ने उसके फोन से दी। लेकिन इस बिल के हिसाब से तो उस बेगुनाह को सजा हो जाएगी वो भी Non-Bailable इससे उसका पूरा परिवार परेशानी में आ जाएगा ।

रज़िया पटेल जी कहती हैं कि तलाक ए बिद्दत का प्रमान बहुत ही कम है लेकिन देश कि किसी एक औरत के साथ भी ऐसे होता है तो उसे न्याय मिलना चहिये और उसके लिए कानून ठीक बनाने पड़ेंगे या फिर शरीयत के हिसाब से तलाक़ के और सही तरीकों को लाना चाहिए। वे कहती हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कॉउंसलिंग सेशंस भी कर सकते थे। रज़िया पटेल जी कहती हैं कि जिन्हें फैमिली या धर्म के हिसाब से शादी नही करनी है तो वे SPECIAL MARRIAGE ACT के तहत शादी कर सकते हैं जिसमे औरतों के सभी हक़ होते हैं। उनका कहना हैं कि मुस्लिम समाज के लोगो में जागरूकता कम है। उनमें जागरूकता तब आएगी जब सरकार उनके बीच जाकर साक्षरता और गरीबी पर काम करेगी। उनके सुख दुख में काम आएगी| उनके बच्चों के लिए आज समाज मे दो घंटे देने वाला कोई नही है| इन सब लेवल पर काम करना चाहिए तभी वे विश्वास कर पाएंगे। लेकिन अगर सरकार ने आजतक उनके लिए कुछ नही किया, उनके सुख दुख में काम नही आइ और अचानक से औरतों को हक़ दिलाने की बात कर रही है, तो इससे उनमे क्या विश्वास होगा? उनमे केवल डर होगा की उन्हें टारगेट तो नहीं किया जा रहा है उनके शौहर को ही जेल में डाल देंगे तो उससे उस औरत का क्या फायदा होगा। इसका तो मतलब सिर्फ यही होता है की शौहर ने तलाक दी तो बदला लेने के लिए उसे सजा होगी क्योंकि इससे औरत को कोई समर्थन तो नही मिल रहा है। कठुआ केस में AIMPLB ने कुछ नही किया। अगर ईन सब मुद्दों की आड़ में हिन्दू मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलेंगे तो इसका तो गलत असर होगा कि ये देश विराधी हैं देश का कानून नही मानते, इसलिए अगर औरतो के

लिए कुछ किया जाता है तो उस लेवल पर ही करना चाहिए। वे कहती हैं कि बाकी देशों में तलाक ए बिद्दत बैन है लेकिन हमारे देश में अब तक नही क्योंकि यहां पर पूरी राजनीति हैं। रजिया पटेल से मिलकर हमने यह जाना की असल में सरकार को सिर्फ तीन तलाक़ ही नहीं बल्कि और भी दूसरे मुद्दों पर अपना रुख मोड़ना चाहिए और अगर सरकार सचमें औरतों के हकों के लिए काम करना चाहती हे तो उन्हें सभी धर्मों के औरतों के बारे में सोचना चाहिए।

राम पुनियानी

मुस्लिम समाज के आम लोगो के सर्वेक्षणे द्वारा हमे उनकी राय मालूम हुई और क्योंकि समाज में लोगो की राय उनके तबके और प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग होती उनकी सोच विचार अलग होते है इसलिए 413 मुस्लिम औरत और मर्द का सर्वे करने के साथ साथ हमने सोचा कि इस मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट्स से भी बातचीत करनी चाहिए इसलिए हमने राम पुनियानी जी से बातचीत की।

हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब उनसे जानना चाहते थे जो अभी तक हमे नही मिल पाए थे। राम पुनियानी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी(IIT) मुंबई के साथ संबंधित बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एक पूर्व प्रोफ़ैसर और पूर्व सीनियर मेडिकल अफ़सर है। उन्होंने 1973 में अपना मेडिकल करियर शुरू किया और 1977 से शुरू करके 27 साल के लिए विभिन्न सामर्थ्य में आईआईटी की सेवा की। 2004 में उन्होंने भारत में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए पूर्णकालिक कार्य करने की इच्छा के साथ सेवा से मुक्ति ले ली। वह मानवाधिकारों के लिए सरगर्मियों,

सांप्रदायिक सद्भावना और भारत में बढ़ रहे कट्टरवाद का विरोध करने के लिए पहलक़दमियों में जुटे हुए है।

राम पुनियानी जी से जब हमने अपने विषय के बारे में बात चीत की हमें पता चलता है की वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं किंतु उनका यह भी सवाल था कि क्या सचमे मुस्लिम समाज मे तीन तलाक़ की यह सुविधा होने के कारण इस क़ौम में तलाक का प्रमाण ज़्यादा दिखता है इसके लिए उन्होंने कहा कि जबसे ये तलाक़ बन हुआ है तब से अबतक के टाइम गैप में यह देखना होगा कि इस टाइम पीरियड में बाकी धर्मो मे कितने तलाक़ के केस हुए तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या ट्रिपल तलाक़ की वजह से इस कम्युनिटी में तलाक का प्रमाण ज़्यादा है जिस के कारण तलाक ज्याद होता है हम इसकी तुलना कर सकते हैं हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों से हो रहे तलाक की संख्या और उसी वक्त में मुस्लिम समाज में तलाक से। इतना ही नहीं तलाक के बाद औरत का क्या होता है उसे भी दूसरे धर्म से तुलना करनी चाहिए और कितने लोग सिविल कोर्ट से तलाक लेते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं उन की संख्या क्या है। अगर यह सब हमें मुस्लिम समाज में ज्यादा दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि लोग तीन तलाक का फायदा उठा रहे या यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम मर्द अपनी औरतों पर अत्याचार करते हैं राम पुनियानी जी से बात करने पर पता चला कि उनके नजदीक तीन तलाक पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि यह तलाक जो तलाक- ए-बिद्दत कहलाती है कुरआन शरीफ में भी नहीं है और कई मुस्लिम देशों में भी बंद है। लेकिन साथ ही तीन साल की सजा के बारे में उनका कहना था कि यह बिल्कुल गलत काम इसमें मुस्लिम महिला की भलाई नहीं राजनीति नज़र आती है।। हमारे सर्वे के दौरान काफी सारे लोग ऐसे मिले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश थे या यूं कहें कि उनके मन कोई झिझक या डर था। राम पुनियानी जी ने इस डर का कारण स्वाभाविक बताया उनका कहना था कि हर देश में अल्पसंख्या(Minority) के मन में इस तरह का डर होता है वह भी ऐसे माहौल में जब मुजफ्फरनगर और गुजरात जैसे दंगे हुए हो। उनका कहना था कि उन्हें (Minority) को ऐसा महसूस होने लगता है कि उन्हें दबाया जा रहा है और कोई कानून लाया जा रहा है| तो उन पर निशाना साधा जा रहा है| और यही डर वजह बनती है बंधन की जो औरत मान लेती है|

राम पुनियानी जी का मानना है कि देश में कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं तो ऐसा कानून जो सब धर्मो के लोगों पर लागू हो उसकी बजाए एक ऐसे कानून की जरूरत है जो लैंगिक न्याय (Gender justice law) पर आधारित हो । उन्होंने तीन तलाक को लेकर मुस्लिम समाज में जागरूकता के विषय में कहा कि कई ऐसे मुस्लिम विद्वान जैसे "जकिया सोमन" और "असगर अली इंजीनियर" जो तीन तलाक को नहीं मानते उनके बारे में बताया जा सकता है ।

इस तरह हमने एक ऐसे विद्वान से बात की जो भले ही मुस्लिम नहीं थे लेकिन बरसों से उनका इस समाज में और संप्रदायक शांति(Communal Harmony) को लेकर महत्वपूर्ण योगदान रहा है |

मजलिस लॉ

हमने अपना काफी वक़्त ये सोचने में बिताया कि रिसर्च के लिए कौनसा विषय का चयन करे और हमारी काफी चर्चा और बातचीत के बाद आखिर हमने तीन तलाक़ यह विषय निश्चित किया जो उस वक़्त और अभी भी मीडिया , न्यूज़, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में मुख्य किरदार निभा रहा है। हम बेबाक कलेक्टिव की एक मीटिंग में गए थे । वही पर हमारी मुलाकात मजलिस की एक सदस्य से हुई जिसने हमसे काफी अच्छे से बात की और मजलिस ऑफिस आने के लिए आमंत्रीत किया।

मजलिस संस्था की स्थापना 1991 में एडवोकेट (वकील) फ्लेविया एग्नेस ने कि। ये संस्था सभी औरतों के हकों के लिए काम करती है। एडवोकेट फ्लेविया एग्नेस ने इस संस्था को स्थापित किया ताकी सभी औरतो को कानूनी तौर पर मदद और इंसाफ के द्वारा औरतो को सशक्त कर सके। फ्लेविया एग्नेस की बेटी एडवोकेट ऑड्रे डी मेल्लो इस संस्था की डायरेक्टर है जो इस संस्था के लिए काम कर रही है और मजलिस को आगे चला रही है। जब हम एडवोकेट ऑड्रे डी मेल्लो से मिले और बातचीत शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने हम सब से एक सवाल पुछा की हम सब में से कितनो ने तीन तलाक़ होते हुए देखा है या हम में से कितनो के परिवार में तीन

तलाक़ हुआ है। हम सब मे से सभी ने कहा कि नही, हमने किसी का तीन तलाक़ होते हुए नही देखा है, ना ही हमारे परिवार में किसी का तलाक हुआ है। हमारे ग्रुप मेंबर में से दो के परिवार में हुआ था लेकिन कोर्ट के जरिये। तब उन्होंने साफ़ साफ़ हमसे ये कहा कि जब तुम में से किसी ने तीन तलाक़ कभी होते हुए नही देखा और ना ही तुम्हारे परिवार में किसी का हुआ है तो तीन तलाक़ क्या सचमे एक बड़ी तादाद पर होने वाली समस्या है? यहाँ तक के मजलिस के पास भी आज तक कोई तीन तलाक़ का केस नही आया । तो इससे ये बात तो साफ़ है कि तीन तलाक़ ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है लेकिन सामाजिक सुधार से ही इसका कुछ हल निकल सकता है| उन्होंने यह भी बताया की दुसरे कुछ अहम् मुद्दे जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए है उनपर न ध्यान देते हुए तीन तलाक़ को मुद्दा बनाया जा रहा है।
ऑड्रे जी ने हमे तीन तलाक़ का पूरा इतिहास बताया कि इसकी आखिर बुनयादी जड़ क्या है।

तीन तलाक़ के खिलाफ पहली आवाज़ शाह बानो की सुनी गई जब उनके शौहर ने उन्हें तीन तलाक़ दी थी| उन्होंने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा अपने हक़ के लिए खटखटाया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया कि तलाक़ के बाद औरत अपने रहन-सहन, खाने-पीने इन सब चीज़ो का दावा कर सकती है और 2002 में एक और औरत (शमीम आरा) ने इलाहाबाद उच्चन्यायालय में अपील कि। इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने शमीम आरा केस की दलीले सुनी और यह फैसला सुनाया कि तलाक़-ए-बिद्दत गलत है और यह सुझाव दिया की कुरआन में जो सही तरीके दिए गए है उस तरीको से तलाक दी जाए। उसके कई सालों बाद 2016 में शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की और उसे भी बहुत से संस्था और एक्टिविस्ट के ज़रिये इस प्रथा को बंद करने के लिए मदद मिली।
काशीपुर के हेमपुर निवासी शायरा बानो की शादी 2002 में इलाहाबाद के प्रॉपर्टी डीलर रिजवान के साथ हुई थी। शायरा ने बताया कि ससुराल वाले एक कार की मांग करने लगे। वे शायरा के मायके वालों से चार-पांच लाख रुपये कैश की डिमांड करने लगे। शायरा के मायके वालों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि यह मांग पूरी कर सकें। जब शायरा को तलाक दिया गया तब उनको दो छोटे बच्चे थे। 13 साल का बेटा और 11 साल की बेटी।
शायरा का आरोप है कि शादी के बाद उसे हर दिन पिटा जाता था। रिजवान जो उनके शौहर थे हर दिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था।
अप्रैल 2015 में शायरा को उसके ससुराली मुरादाबाद रेलवे स्टेशन छोड़कर चले गए थे। शायरा के घरवाले उसे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से काशीपुर ले आए। शायरा ने बताया कि जब वह काशीपुर आ गई, तो मुझे लौट आने को कहा जाने लगा। अक्टूबर में रिजवान ने शायरा को टेलीग्राम के जरिए तलाकनामा भेज दिया। शायरा एक मुफ्ती के पास गई तो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम से भेजा गया तलाक जायज है।

और उनके दोनो बच्चे भी उनके शौहर के पास थे और इन्ही सब वजहों ने शायरा बानो को अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज करने पर मज़बूर किया। बहुत से संस्था जैसे BMMA और राजनीतिक पार्टियाँ जैसे BJP ने समर्थन किया इसे और शायरा बानो केस जीत गई जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया की ये तलाक़ गलत है अगर कोई तीन तलाक़ देगा उसे माना नही जाएगा.

एडवोकेट ऑड्रे डी मेल्लो ने यह भी बताया कि जब शायरा बानु को दहेज के नाम पर सताया जा रहा था तब वह Domestic violence act 2005 के ज़रिये पुलिस में शिकायत कर सकती थी मगर वह इस हिंसा को सहते रही।

उनके मुताबिक The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 से महिला पर होती हिंसा को रोका जा सकता है। वह इस एक्ट की प्रशंसा करती है,और वह चाहती है कि महिलाएं इस कानून का उपयोग करे और अपने आप को हिंसा से बचाये।

एडवोकेट ऑड्रे डी मेल्लो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है मगर वो सरकार द्वारा लाए जा रहे तीन तलाक के बिल का विरोध करती है. वह कहती हे की जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तीन तलाक होगा ही नहीं तो सजा किस बात की दी जाएगी. उन्होंने कहा की सरकार का इस बिल को लेकर कोई साफ़ उद्देश नहीं हे. वे ये सवाल उठती है की जब शौहर जेल में चला जायेगा तो औरत और उसके बच्चों का ख़याल कोन रखेगा? बिल में तो यह प्रावधान है की तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को मुआवजा मिलेगा लेकिन क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? या वो शौहर से अपेक्षा करते हे की वो बीवी को पैसे दे? जब शौहर जेल में होगा तो वो अपने बीवी को मुआवजा कैसे देगा? जेल से आने के बाद क्या वो अपने बीवी पर अत्याचार करना बंद करेगा? ऑड्रे मैम ने इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल उठाये जो सरकार अनदेखा कर रही है. वो कहती है की सरकार को सिर्फ तीन तलाक के मुद्दे के ऊपर कानून न लाते हुए सभी औरतें जिन पर अत्याचार होता है उन सब का विचार करके एक कानून लाना चाहिए.

हमसे बात करते वक़्त उन्होंने यूनिफार्म सिविल कोड(UCC) का भी उल्लेख किया. वह बताती है की सरकार का उद्देश UCC को लागु करना है. तीन तलाक के ऊपर बिल लाकर वो यही उद्देश पूरा करना चाहती है. उन्होंने कहा की यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपर सरकार को राजनीती न करके महिलाओं के हकों के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए.

मजलिस लॉ ने 15 मार्च को Women 's Day की रैली आयोजित की थी जो WE ACTION GROUP से संबंधित थी। ये रैली औरतों को सशक्त करने के लिए थी ताकि वे समाज में आगे बढ़ सके और अपने हक़ के लिए ख़ुद लड़ सके। इस रैली में आने के लिए मजलिस ने हमे आमंत्रित किया क्योंकि हमारा रिसर्च औरतों के हकों से जुड़ा हूआ है। हमने अपने पूरे ग्रुप के साथ इस रैली में हिस्सा लिया। ये रैली मजलिस लॉ की ऑफिस से लेकर कलिना मार्किट तक आयोजित की गई थी। इस रैली में ऐसे बहूत से से नारे थे जो एक औरत को समाज में आगे बढ़ने के लिए और अपने हक़ो के बारे में लड़ने के लिए उत्साहित और सशक्त करने वाले थे। रैली के ख़त्म होने पर मजलिस लॉ की फाउंडर फ्लेविया एग्नेस और उनकी बेटी ऑड्रे डी ' मेलो ने औरतों के हक और उनके सशक्तिकरण के बारे बात की। आखिर में एड्वोकेट ऑड्रे डी ' मेलो ने हमारे ग्रुप को हमारे रिसर्च के लिए शुभकामनाएं दी।

तलाक़शुदा औरत से बातचीत

नाम :- फातिमा शेख (नाम बदल दिया गया है)
शिक्षण :- १२ वी
उम्र :- २५
शादी के वक्त उम्र :- १६

क्या आपकी शादी में आपकी रजामंदी ली गयी थी क्या?
-- नहीं।

शादी के बाद और तलाक से पहले की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताये?
-- मेरी दो शादी हो गयी है। पहली शादी के वक्त मुझे पूछा नही था। शादी होने के बाद मेरा पति बराबर से रहता नही था।
ना मुझे देखता था ना मेरी बच्ची को देखता था। फिर वो मुझे छोड़ के भाग गया था। फिर उसने मुझे तलाक दे दिया। फोन पर ही बोला था कि में तुम्हे छोड़ दूंगा। फिर वो आया और सामने से बोला के में नही संभाल सकता हूँ। में तुमको छोड़ रहा हूँ और फिर वो छोड़ के चला गया। और तबसे में मेरे माँ- बाप के घर पर थी। मेरे माँ- बाप भी मुझे नही संभालते थे। क्योंकि मेरी की मेरी एक बच्ची है तो मेरे माँ- बाप से भी नही होता था। क्योंकि मेरी चार बहने है और एक भाई है।
मेरी दूसरी शादी हो गयी थी। मेरे माँ- बाप भी रख नही रहे थे। पहली शादी भी ऐसे ही कराके दिए थे। और दूसरी होने के बाद भी मुझे नही रख रहे थे। मेरी बच्ची को देखते थे पर मुझे नही देखते थे।

कितने सालों तक आपकी वो ज़िंदगी चली?
-- पाँच से छे साल तक चली। उसके बाद मेने दूसरी शादी कि। वो भी मेरे घर वालों ने प्रेशर (Pressure) किया कि तुम दूसरी शादी करो और यहा से जाओ। तो मैने दूसरी शादी करी। और दूसरी शादी कि तो वो अब मुझसे तलाक मांग रहा है। मैने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट (Complaint) करी। फिर महिला मंडल में कंप्लेंट (Complaint) डाली। में दो महीने तक तो बहुत परेशान थी। मेरा आदमी मेरे साथ नही रहना चाहता था। वो मुझे छोड़ना चाहता था। वो बोलता था तुम खुलानामा लो में तलाक नही दूंगा। अब जो कानून बना है इसलिए वो मुझे प्रेशर (Pressure) कर रहा है कि तुम खुला लो। इधर महिला मंडल में आया था और यहाँ उसने बोला

भी में नही रहना चाहता हूँ। मै रहना ही नही चाहता हूँ। क्योंकि कि वो भी पहले से शादी शुदा है। उसने मुझसे दूसरी शादी कि और उसने मुझसे झूठ बोलके शादी कि। मुझे बोला मेरी बीवी चली गयी। मेरी बीवी नही है। तो महिला मंडल के लोगों ने उससे बात कि और बोले कि तुम्हें इसे रखना पड़ेगा।

अभी आप उनके साथ रहते हो?

-- अभी तो यहा केस डाले हूए २०-२५ दिन हूए है। दो महीने के बाद आकर रहने कि बात किए है। के मेरे साथ रहेंगें, नही छोड़ेंगे। मुझे यहाँ से सपोर्ट (Support) बहुत ज़्यादा मिला है (महिला मंडल से)।

तलाक देने कि वज़ह क्या थी?

-- वो तो बोलते थे में काम हि नही करता हूँ। मेरे से नही होता। घर का भाड़ा नही भर सकता। काम बहुत करते थे वो लेकिन मुझे छोड़ने के लिए बहाने बना रहे थे।

तलाक़ होने के बाद मदद के लिए कहा गए?

-- अम्मी के वहा इद्दत का वक्त गुज़ारा। मदद के लिए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन(BMMA) में आयी थी (दूसरे पति के वक्त)।

तलाक़ के बाद आपको खर्चा कितना मिला और कबतक मिला (कब मिला) ?

-- खर्चा नही उठाया था। इद्दत का पैसा भी नही दिया।

मेहेर कि रकम मिली थी क्या?

-- हाँ। वो पहले वाले ने दी थी|

अब आपका और आपके बच्चो का खर्चा कौन उठा रहा है?

-- में ही काम करती हूँ। मेरे दूसरे पति भी मुझे एक पैसा नही देते। में काम करती हूँ। १२ वी तक पढ़ी हूँ। में ऑर्डर (Order) करती हूँ। अभी भी आगे पढ़ रही हूँ। मेरी बच्ची को अभी ख़ुद हि संभाल रही हूँ। ना मुझे मेरे माँ- बाप एक रुपया देते है। ना मेरा पति एक रुपया देता है। में कमाती हूँ। उसमे हम दोनों का (खुद का और बच्ची का) खर्चा हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैर कानूनी बताया है तो इसके बारे मैं आपकी क्या राय है?

-- बहूत अच्छा है। उसकी वजह से यह मैं बैठी हूँ। नही तो अब तक मेरा आदमी मुझे छोड़ के चला गया होता।

सरकार तीन तलाक देने वालों को तीन साल कि सजा देने के लिए कानून बना रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और यह कानून किस तरह मदद कर सकता है?

-- तीन साल कि सजा तो नही। सजा थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर पति तीन साल कि सजा करके वापस आते है तो वो हमारे साथ रहेंगे हि नही। वो हमको भी छोड़ देंगे और बच्चो को भी नही देखेंगे। वो लोग (पति) तो बताएंगे कि मैं तो अभी दूसरी (शादी) करके बताऊंगा हि तीसरी करके बताऊंगा। क्योंकि तूने मेरे साथ ऐसा करी।

आपके हिसाब से तीन तलाक देने वालो के उपर किस तरह का कानून बनना चाहिए?

-- सजा मिले उनको। लेकिन ऐसी सजा कि उनको समझ में आए कि बीवी का क्या दर्जा है। औरतो को जो चीज़ समझते है वैसा उन्हें उस तरीके बारे में पता चलना चाहिए।

◆ यहाँ पर उन्होंने थोड़ा उनकी दूसरी शादी और पति के बारे मैं बताया।

-- दूसरी शादी में हम लोंग का लव मॅरेज (Love Marriage) हूआ। मेरे पति ने मेरे से प्यार करके शादी किए। छह महीना तक हमारा अफेयर (Affair) था। चार महीना हमारे शादी को हूआ। अब उस इन्सान का दिल भर गया। अब वो इन्सान प्यार भी भूल गया। अब उसको मैं भी नही चाहिए हूँ। अब उसको तीसरी मिली तो तीसरी चौथी मिले तो चौथी। तो उसमें में क्यूँ मेरा बलिदान दूँ।

तलाक होने के बाद आपको को देखने का लोगों का नजरिया कैसा था?

-- में अच्छे कपडे नही पहन सकती। में बंगड़ी नही पहन सकती। मैं कुछ नही कर सकती। (यह कहते कहते वे रोने लगी)। आज भी मैं दूसरी शादी कि हूँ तो सब मुझे हि बोलते हैं। कि तेरे में हि खराबी होगी। अगर मेने थोडासा अच्छा कपड़ा पहन ली। तो बोलते है ये लड़की कहा जा रही है। मै काम को जाती हूँ तब बच्ची को लेकर दूर दूर तक जाती हूँ। घर वाले भी बहूत ताने मारते हैं। माँ- बाप भी बोलते हैं तेरे नसीब में हि ऐसा था। तेरे ऊपर खर्चा करके भी हमारा कुछ मतलब नहीं हूआ।

मेरी शादी कराएं सोलह साल कि उम्र मैं। मेरे से कुछ पूछे भी नही। मैं तब बहूत रोयी थी। मैं तब पढ़ रही थी। मेरे को पढ़ने भी नहीं दिए थे। अभी मेहंदी का ऑर्डर करती हूँ। अभी पढ़ भी रही हूँ। १३ वी में हूँ अभी।

ऐसे बहूत सारे NGO हैं जो मुस्लिम औरतो के लिए काम करते हैं तो उनकी सोच और काम के बारे मैं आपकी क्या राय हैं?

-- सही हैं। यह लोग जो करते हैं वो अच्छा हि करते हैं। मेने यहाँ पर बहूत से केस (Case) देखी हूँ। मैं खुद दो महीने से परेशान थी। पुलिस को मेरे पति (दूसरे) ने इतना पैसा खिलाया

कि बोले इस लड़की को खड़ा मत करना। मैं और मेरे डैडी रोज पुलिस स्टेशन में खड़े रहते थे। पुलिस वाले भी हमारी कुछ नही सुनते थे।

शरीयत कोर्ट गए थे आप?

-- नहीं यह कोर्ट पता ही नही है मुझे।

◆ यहाँ पर उन्होंने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) ने उन्हें किस तरह से मदद कि उसके बारे में बताया।

-- यहा से (भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन) से उसे एक महीने तक कॉल गए। पहले तो वो बोला में आऊंगा हि नही। जब खातून आंटी वहा पे गए। तो वो पुलिस वाली को बोले मैं डी.सी.पी (DCP) तक जाऊंगी इस लड़की को लेके। वहा कि लेडीज (Ladies) पुलिस ने मेरे पति को कॉल किया। तो वो आके खातून आंटी से मिला। यहा (भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन) पर आया और केस सारा बताया। वो यही बोल रहा था कि पैसा लेके इसको बोलो मुझे छोड़ देने के लिए। मैं बोली मुझे पैसा नही चाहिए। मैं पैसा कब तक खाऊँगी। मैंने तो जिन्दगी निकालने के लिए शादी करी थी दूसरी बार मुझे तो करनी नही थी।

तो आपका यहा पे अभी केस (Case) चल रहा है?

-- हाँ मेरा केस चालू है। अभी दो महीने के बाद आने कि मेरे पति ने बात कि हैं। के मैं दो महीने के बाद आऊंगा।

तो आपका शौहर अभी आपके साथ नही रहता?

-- अभी फिलहाल नही हैं।

आप के हिसाब से तीन तलाक को रोकने के लिए हम लोगों को कैसे जागरूक आगाह कर सकते है?

-- सबसे पहली बात तो तीन तलाक जब आदमी दे देता है उसमें औरत कि हि जिन्दगी खराब हो जाती है। उसको (मर्द/पति) तो दूसरी औरत मिल जाती है। वो तो किसी से भी शादी कर लेता है। उसके लिए ना कोई इद्दत होती है ना कुछ होता है। वो आज तलाक देगा कल शादी कर लेगा। लेकिन औरत को जो ज़िन्दगी भर झेलना पड़ता है वो आदमी को नही है। उसको तो यह समझना चाहिए कि एक औरत के साथ मे ये क्यूँ कर रहा हूँ। आज मेरे दूसरे पति को भी एक और बेटी है।

उसने मुझे इतना रुलाया है ना तो मैंने उनको एकही बात बोली कि तुम्हारे पास भी बच्ची है। आज तुम किसी के बेटी के साथ ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे बच्ची के सामने भी आएगा। मत करो। तो मै तो बस यहीं चाहती हूँ कि जो तीन तलाक़ का यह मामला है सही है ये। उसपे आप

समझ जाओ आज में टीकी भी हूँ। नही तो अगर पहले जमाने के हिसाब से चला जाता तो मेरा दूसरा आदमी भी मुझे तलाक़ देके चला गया होता।

◆ अगर वे खुद से खुलानामा लेती तो कोनसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता यह उन्होंने बताया है।

-- अगर में खुला खुद से लेती हूँ तो वो मुझे पैसे देने के लिए भी तैयार है। कि तुम जितना पैसा मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे पैसा नही चाहिए। अगर में पैसा लेकर हट जाती हूँ तो (लोग) बोलेंगे इसने दूसरी शादी भी कि और इसका पति इसको छोड़ के चला गया। यही खराब होगी। लड़की हि खराब होगी। हर तरीके से लड़की को ही खराब बोला जाता है। आज मेरी बच्ची भी इतनी छोटी है कल बड़ी होंगी तो कल उसको भी बोलेंगे कि तेरी माँ खराब थी।

दूसरे पति कि तलाक़ मांगने कि क्या वजह है?

-- उनकी पहली पत्नी जो है वो कह रही है कि तुम अगर उसको (मुझे) नही छोड़ोगे तो मैं बच्ची को लेके चली जाउंगी। उन्होंने मुझे कल एक मॅसेज (Message) करे थे के अगर तू मुझे खुदसे नही छोड़ेगी तो मैं आने के बाद तुम पर कितना ज़ुल्म ढाउँगा ना कि तू नहीं सोच सकती। मैं बोली ठिक है मंजूर है। आके जो कर सकते हो कर लो। बोले में तेरा काम बंद कर दूंगा। तुझे बाहर जाने भी नही दूंगा। मैं बोली ठिक है मुझे चलेगा। मैं सब करने तैयार हूँ।

कहा रहते है वो अभी?

-- गुजरात गए है।

फैसिलिटेटर :- शाह नगमा।
नोट टेकर :- पारस नाईक।

<u>तलाक़शुदा औरत पर रिसर्चरस का नज़रिया</u>

हमारा विषय तीन तलाक को लेकर था इसलिए हम ऐसी महिला के भी विचार जानना चाहते थे जिसने खुद इसका सामना किया हो जिसे तीन तलाक़ मिली हो। सर्वे के दौरान तो हमें कोई ऐसी एक भी महिला नही मिली जिनका तीन तलाक़ हुआ था। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन(BMMA) के ज़रिए हमें एक तीन तलाक़ मिले हुए महिला से बात करने का मौका मिला जिन का नाम फातिमा शेख था (नाम बदल दिया गया है)।

दिखने में बिल्कुल हमारे जैसी आम कम उम्र की लड़की जिसकी इतनी कम उम्र में दो शादियां हो चुकी थी। पहली शादी महज़ 16 साल की उम्र में बिना इजाज़त के करवा दी गई थी जब वह पढ़ रही थी लेकिन शादी के बंधन में बांध दी गई । शादी के कुछ सालों बाद अब उनका शौहर नही रखना चाहता था। तरह तरह के बहानों से अपनी बीवी और बच्ची से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक दिन उसने एक ही बार मे तलाक तलाक़ तलाक़ बोलकर निजात पा ली। जितनी आसानी से शौहर ने बोल दिया था उतनी आसानी से उसे कुबूल करना बहुत मुश्किल था वो भी तब जब एक बच्ची भी साथ हो और आमदनी का कोई ज़रिया न हो। समाज का नज़रिया फातिमा के लिए बदल चुका था वो अब कुछ अच्छा पहन ओढ़ नही सकती यह बताते हुए उनका एकाएक रो पड़ना इस बात का सबूत है के किस तरह तलाक़ के बाद उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी । मां बाप भी फातिमा को बोझ समझने लगे थे। उसकी और भी बहने थीं इसलिए माँ-बाप के बार बार कहने पर उसने दूसरी शादी की। इस बार यह उनकी पसंद थी छह महीने एक दूसरे को जानने के बाद दोनों ने शादी की थी लेकिन कुछ दिनों के बाद शौहर की पहले से हुई एक शादी का राज़ खुल गया । और पहली बीवी के कहने पर वो फातिमा को छोड़ने की बात करने लगा ।

फातिमा का कहना था कि उनका शौहर तो कब से छोड़ कर चला गया होता लेकिन हाल ही में आया तीन तलाक़ के फैसले और सज़ा के कानून को सुन कर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए लेकिन वही दूसरी तरफ वह फातिमा पर दबाव भी डाल रहा है कि वह खुद से ही खुला लेले उसके बदले वह उसे मुह मांगी रकम देने को भी तैयार है लेकिन फातिमा को पैसे नही उसका साथ चाहिए, इसलिए वह सब कुछ सहने को तैयार है उनके शौहर की धमकी के बाद भी वह उसी के साथ रहना चाहती है। यहां दो बातें सामने आती है की इस कानून के डर से वह तलाक़ नही देगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीवी को मजबूर कर सकता है ताकि वह खुद से तलाक लेले इससे बीवी पर ज़्यादती हो सकती है जैसे के फातिमा के शौहर ने उसे सताने और उसकी आज़ादी को छिनने की धमकी दी ।

फातिमा ने यह भी बताया की जब वह अपना मामला लेकर पुलिस के पास जाती तो उसे वहा खड़ा भी नही होने दिया जाता क्योंकी शौहर ने पुलिस को पैसे खिला रखे थे । तब BMMA की मद्दद से उसने अपने शौहर को बुलाया तब उनके शौहर ने दो महीने बाद आने का वादा किया है , अभी भी फातिमा का केस चल रहा है BMMA में। यह सुनकर हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कानून का कोई फायदा होगा? इससे बीवी को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि एक औरत जो अपने शौहर के खिलाफ कंप्लेंट लिखने जाती और उसे खड़े भी नही होने दिया जाता उसकी बातें ही नही सुनी जाती क्योंकी रिश्वत ने तो मुह बंद कर रखा है तो उस तीन तलाक़

शुदा बीवी की कौन सुनेगा और क्या वह सच मे पुलिस के पास जाएगी या नही ये भी एक गंभीर सवाल है जो कि हम सब के मन मे उठना चाहिए।

तीन तलाक़ को गलत बताते हुए शौहर को सज़ा न मिलकर बीवी को उसके साथ रखने का कोई कानून होना चाहिए ऐसा फ़तिमा का मानना था, या सज़ा को कम करना चाहिए क्योंकि कोई भी शौहर जेल से आने के बाद वापस उसके साथ नही रहेगा बल्कि उसपर और भी ज़ुल्म करेगा ऐसा कहते हुए फ़तिमा ने सज़ा के कानून का विरोध किया।

फ़तिमा शेख से बात करते हुए हमें ऐसा लगा कि उन्हें इस प्रथा से परेशानी है| जिसे वह गलत बताती है| लेकिन साथ ही तीन साल की सज़ा को भी गलत बताती हैं । अपने शौहर के ज़ुल्म सह कर भी वह उसके साथ रहने को तैयार है तो सिर्फ यह सोच कर के समाज और कल को उनकी खुद की बेटी भी उन्हें ही गलत समझेगी की ज़रूर कोई कमी होगी तभी दोनो शौहर ने छोड़ दिया ।

दुनिया और समाज के डर से कई सारे ऐसे फैसले लिए जाते है जिनमे भले ही खुद की खुशी न हो तो यह सोचना भी होगा की क्या बीवी खुद अपने ही शौहर के खिलाफ पुलिस में जायगी और वो भी ऐसी लड़की जिसे कभी फैसला लेने ही न दिया हो, जो उस तबके से है जहाँ गरीबी ज़्यादा है और तालीम का फुखदान(कमी) है।

निष्कर्ष

हमने मुंबई में मुस्लिम समाज में सर्वे लिए जो गुणात्मक(Qualitative) और मात्रात्मक(Quantitative) प्रश्नों पर आधारित है। रिसर्च की शुरुवात किसी विषय पर आधारित सवाल पूछने से होती है। यह सवाल क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इस पर आधारित होते हे। इन सवालों का जवाब ढूंढते समय कल्पना रिसर्च में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हे। गुणात्मक डेटा विश्लेषण में, यह मानना व्यावहारिक हो सकता है कि कुछ विषयों में कुछ अर्थ होता है। बाद में ऐसा हो सकता है कि हमारे शोध का निष्कर्ष निकालने पर कुछ कल्पना जो हम पहले करते हे वो रिसर्च से निकाला जा सकता है।

हमने अपने शोध में बहुत से नतीजों का अनुमान लगाया, कुछ अस्तित्व में थे लेकिन कुछ नतीजों ने हमें पूरी तरह से हैरान कर किया दिया। हमारा विषय संवेदनशील(Sensitive) था और इस तरह के विषय पर बात करने के लिए लोगों को सहमत करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमारी टीम ने सफलतापूर्वक सर्वेक्षण के सभी अनुमानित आंकड़ों को पूरा किया। हमारे उत्तरदाता मुंबई के अलग अलग इलाकों से थे जैसे वडाला, एंटोप हिल, दादर, सैंडहर्स्ट रोड, विखरोली, गोवंडी, माहिम, और धारावी| यह देखना आश्चर्यजनक है कि हालांकि हमारे उत्तरदाताओं में से लगभग 69% युवा हैं और 20 से 40 आयु के है, हमारे उत्तरदाताओं में से 50% लोगों ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के अन्दर तक ही शिक्षा पूरी की है, इस के साथ साथ 14% निरक्षर थे जिनमे में 90% महिलाएं थी। यह स्पष्ट रुप से यह दर्शाता है की मुस्लिम समुदाय के पास उच्च शिक्षण का प्रमाण कम है। यह सिर्फ हमारा रिसर्च ही नही बताता 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम समुदाय में साक्षरता का प्रमाण 57% जो कि दूसरे सभी समुदाय से पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमीटी के मुताबिक भी मुस्लिम समुदाय सभी कारको(factors) में दूसरे समुदायों से पिछड़ा हुआ है।
सर्वे से ऐसा सामने आया कि 81% लोग तीन तलाक़ को गलत मानते है। अब जिसे लोगों ने गलत करार दिया है उसी तीन तलाक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसे गैरकानूनी बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी लोग मानने से इनकार कर रहे है। सर्वे के मुताबिक 84% लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत में दखल दे रहा है। इससे हमारे मन मे सवाल उठता है के जिस चीज को लोग गलत करार देते हैं तो उसको बंद करने के लिए कोई फैसला सुनाया जाए तो इस पर ऐतराज कयूं दिखाया जाता है। लोग मज़हब के किसे भी मामले में बात करना या उस पर सवाल उठाने से क्यूँ डरते है? इस कि वजह सामने आती है की मुस्लिम समाज ये नहीं चाहती की सरकार या सुप्रीम कोर्ट उनके धर्म

में दखल दे| वह यह भी कहते है की अगर धर्म में कोई बदलाव लाना है तो वो मुस्लिम विद्वान्, मौलाना या उलेमाओं के जरिये ही लाया जाए। लोग ऐसा भी बोलते है कि इस्लाम पहले से चला आ रहा है और इस मे किसी तरह की तब्दीली नही हो सकती है। इसी तरह कुरआन में सही तरीके के बारे में पूछने पर उनका नही मालूम जवाब देना एक तो जानकारी ना होने का सबूत देता है तो दूसरी तरफ उनमे डर भी है कि कही कुरआन के बारे में कुछ गलत न कह दे।

पुलिस और कोर्ट पर लोगों का कम विश्वास उनके जवाब से ज़ाहिर होता है| जब हमने पूछा तीन तलाक़ देने पर औरत को मदद के लिये कहाँ जाना चाहिए तब तकरीबन 45% शरीअत कोर्ट को पहली पसंद बताते हैं। उसके बाद में 35% रिश्तेदार बताते है। क्योंकि पहले मुस्लिम समाज सब से पिछड़ा हुआ और बाद में मुस्लिम में महिलाएं सब से ज़्यादा पिछड़ी हुई है तो महिलाएं अगर पुलिस के पास जाएगी तो सब से पहले उनकी इज़्ज़त पर सवाल उठाया जाएगा इस लिए मुस्लिम महिलाएं अपने घर के लोग या धार्मिक संस्थाओं के पास जाना पसंद करेगी|

इस बिल को राज्यसभा में मंज़ूरी नहीं मिली| सरकार द्वारा बनाये गए तीन तलाक़ बिल को 77% लोगों ने गलत करार दिया है। ये बिल सरकार ने लोकसभा में पेश किया और लोकसभा ने इस बिल को पास किया लेकिन इस बिल को राज्यसभा में मंज़ूरी नहीं मिली| तीन तलाक़ बिल को लेकर लोगों के मन में यह डर है कि जब शोहर जेल में जायेगा तो कैसे वह बीवी और बच्चो का खर्चा संभालेगा। इसी तरह कानून का Non bailable और cognisable offence होना जिस से शोहर को बगैर warrant के भी जेल में डाला जा सकता है। इस कानून से महिला को इंसाफ के बजाए और ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा जैसे पुलिस के चक्कर लगाना, कोर्ट के चक्कर लगाना वगैरा। रेस्पोंडेंट्स के मुताबिक अगर कुछ कानून बनाना हो तो उस से महिला को फायदा और इंसाफ मिले। लोग यह भी कह रहे थे कि सरकार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए यह सजा वाला कानून बना रही है। वहीं लोग यह भी कह रहे थे कि अगर कानून बनाना हो तो इस्लाम और शरीयत को लेकर साथ ही साथ में मानव अधिकारों के अभ्यासकों से चर्चा करके बनाना चाहिए|

लोगों को तलाक़ के दूसरे तरीके जिस में तलाक लेने का हक़ औरत को होता है जैसे खुला, फस्ख ए निकाह और तलाक ए तफवीज़ कि जानकारी कम होना यह भी बताता है कि उनमे शिक्षा का प्रमाण कम है या फिर वह उनके ज़्यादा समय तक चलने वाले काम की वजह से तलाक़ की सही जानकारी हासिल करने के लिए उनके के पास वक़्त नही है।

हमारा सवाल की तलाक़ का हक़ उनके मुताबिक किसे होना चाहिए तो 58% शोहर का कहना 35% शोहर और बीवी का कहना इस से ज़ाहिर होता कि लोग अब महिला को समान समझने लगे है पर साथ ही साथ मर्दों को अभी भी महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जा रहा है। इस से समझ

मे आता है पितृसत्ताक सोच मुस्लिम समुदाय में भी है। यह सोच उन्हें उनके धर्म से मिली या फिर जिस समाज मे वे रहते है वहाँ उन्हें यह सोच मिली है?

हम आपके सामने आखिर में यह सवाल रखते है कि अगर धर्म के किसी प्रथा की वजह से किसी का शोषण हो रहा है तो क्या उस प्रथा को बदलना चाहिए या फिर उसे वैसे ही रख देना चाहिए?

सुझाव

1. लोगों को इस्लाम में शादी और उससे जुड़े मसले मसाइल के बारे मे जानकरी हो। इस लिए शादी से पहले कोई ऐसे सेशन या कोर्स हो जिसमें नौजवान लड़कें और लड़कियों को शादी के बारे में सभी जानकारी दी जाए। लोग तलाक़ इस विषय पर बात करना पसंद नही करते लेकिन उन्हें समझाया जाए कि तलाक़ का भी ज़िन्दगी से एक अहम तालुक है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसमें लोगों को तलाक़ देने के सही तारीखे, उसमे मर्दों की जिम्मेदारी, औरतों के हक़ और बाकी के मसलों की जानकारी दी जाए।

2. औरतें अपने शादी के वक़्त निकाहनामे में अपनी शर्ते रख सकती है। एक ऐसा मॉडल निकाहनामा बनाया जाए जिसमें औरतें अपनी शर्त रख सके। इस निकाहनामे में एक औरत यह शर्त रख सकती है कि शौहर दूसरी शादी नही कर सकता, वो अपने तलाक़ के हक़ मांग सकती है, अगर शौहर तलाक़ देता है तो उसे बीवी को कुछ खर्च देना होगा, वो बच्चे अपने पास रख सकती है, वगैरे।

3. तीन तलाक़ के ऊपर जो कानून लाया जा रहा है उसे क्रिमिनलाइज नही करना चाहिए। यह केस DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 के तहत सुलझानी चाहिए। तीन तलाक़ के बिल को क्रिमिनलाइज करने के बाद इस बिल का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अगर सरकार तीन तलाक़ को लेकर कोई कानून लाना चाहती है तो वो इस्लामिक विद्‌वान, महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले लोग एवं संस्थाएं और इन्‌ मुद्दों पर सक्रीय रूप से अभ्यास करने वाले विद्‌वानों से चर्चा करके कोई ऐसा कानून ले आये की इसमें औरतों का फायदा हो।

4. 2002 में इलाहबाद उच्चन्यायालय ने यह सुनवाई दी थी कि क़ुरआन में जो तलाक़ के तारीखे है उन्हें कानूनी मान्यता दी जाए। सरकार तलाक़ ए अहसन, तलाक़ ए हसन और खुला को कानूनी मान्यता दे और यह निर्देश दे कि जो भी मुस्लिम इस्लामिक तारीखों से तलाक देना चाहता है वो यही तीन तरीखों से तलाक देगा।

5. यह देखा गया है की बोहोत कम लोगों को कुरआन में तलाक के सही तरीखों के बारे में पता है| लोग कुरआन तो पढ़ते है लेकिन क्योंकि वो अरबी भाषा में लिखी गयी है तो उसका अर्थ या

तर्जुमा बोहोत कम लोगों को पता होता है| इसीलिए वो इस्लामिक विद्वान यानि मौलाना, उलेमा यह मुफ़्ती पर निर्भर रहते है| लोगों को यह भी सोचना होगा की जो मौलाना बताते हे क्या वो शर्त प्रतिशत सही है? तो खुद से सही जानकारी पाने के लिए मुस्लिम लोगों ने कुरआन को सिर्फ पढना ही नहीं बल्कि उसे समाज कर पढना चाहिए|

6. आज के युग में मीडिया का एक अहम् स्थान है| लगभग सभ युवाओं के पास मीडिया का साधन है इसीलिए मीडिया का भी यहाँ एक महत्वपूर्ण योगदान होता है| मीडिया में गलत ख़बरों या उससे जुड़े किसी भी धर्म को लेकर गलत जानकारियों पर रोक लगनी चाहिए| क्योंकि धार्मिक वषय बहुत संवेदनशील होता है, अखबार और न्यूज चैनल में सभी धर्मो का सन्मान रखकर सही जानकारी और खबरे प्रकाशित करनी चाहिए|

ग्रुप मेंबर्स के दो शब्द

Alfarnas Solkar

मैं अलफरनास सलीम सोलकर, गुरु नानक खालसा महाविद्यालय में का छात्र हूँ। मेरा पुकार में जोड़ने का मकसद सिर्फ 15000 का चेक हासिल करना था और उस के बाद मेरा मकसद कुछ गुणों को सीखना और कुछ गुणों में सुधार लाना था।

पर जब हमारा पहला वर्कशॉप खारघर में हुआ जहां हमे अपने आप को जानने मिला तब मेरी सोच थोड़ी बदल गयी तब मैने अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पैसो के अलावा नई चीज़े सीखने में लगा दी। जैसे नए लोगों से बात करना उनसे जुड़न, समाज को जानना वगैरा। मुझे सवाल पूछने की पुरानी बुरी आदत थी। मेरे ज़्यादा सवालात पूछने पर लोगों को शिकायत थी मगर पुकार में जुड़ने के बाद मेरी सवाल पूछने की बुरी आदत अच्छी आदत में बदल गयी।

मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता था मैं दुसरो से मदद मांगना अपनी कमी समझता था।मगर पुकार में जोड़ने के बाद अब अपने सहयोगी की बातो को सुनना उनके विचारों का आदर करना इनके कामो की प्रशंसा करना दुसरो से मदद मांगना अपनी कमजोरी नही समझता। मैं इस मे और सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ।

पुकार में जोड़ने के बाद पुकार की सब से अच्छी बात यह थी कि वे हमें किसी भी विषय पर सोचने पर मजबूर करते है। मैं हर कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमसे सवालात करके हमे सोचने पर मजबूर करके हमे अपने धर्म,समाज, लोगों की सही जानकारी हासिल करवाने मै उनका बहुत बड़ा हाथ था।

Saba Shaikh

मेरा नाम सबा बानो मोहम्मद सलीम शेख है मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज की विद्यार्थिनी हूँ| मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं खुद को साबित कर पाऊं पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा था फिर मेरी सहेली ने मुझे अपनी पुकार युथ फेलोशिप का सफर मुझे बताया और कहा की इस फेलोशिप में ज़रूर हिस्सा लेना। तभी से मैं बहुत बेसबरी से इस का इंतज़ार कर रही थी फिर कुछ दिनो बाद हमारी कॉलेज में पुकार का orientation प्रोग्रम हुआ उसके बाद इंटरवियू हुआ और मैं सेलेक्ट होगई तभी से मेरे पुकार के सफर की शुरुवात हुई । पुकार से जुड़ने के बाद मुझमे बहुत से बदलाव आए जैसे लोगों को देखने का नज़रिया ग्रुप के साथ काम करना, लोगों से मिलना बातचीत करना उनकी बातें सुनना फीर अपनी बात रखना| यह PUKAR का एक साल का सफर मेरे लिए बहुत खुशहाली के साथ साथ मुश्किलों भरा भी था| हमारे बहुत से वर्कशॉप हुए जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई क्यूंकि इन सब workshops में ऐसे बहुत सारे घटकों पर बात हुई जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं|

शुक्र है कि मुझे PUKAR से जुड़ कर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला .मैं अपने मम्मी पापा और पुकार से जुड़े हर सदस्य की शुक्रगुज़ार हूँ की इन्होने मेरा साथ दिया| मेरे लिए पुकार का सफर एक खूबसूरत यादो से भरा सफर रहा|

Nagma Shah

मैं शाह नगमा मोहम्मद हनीफ गुरु नानक खालसा कॉलेज की छात्रा हूँ। syba की छात्रा होने के नाते मुझे YLCM fellowship के द्वारा पुकार संस्था से जुड़ने का मौका मिला। इस फ़ेलोशिप में जुड़ने से पहले ना मुझे पुकार के बारे में पता था और न ही फ़ेलोशिप की जानकारी थी सिर्फ दोस्तों के कहने पर मैंने इस फ़ेलोशिप से जुड़ने का फैसला किया। यहाँ आने के बाद पता चला के पुकार एक ऐसा प्लेटफार्म और माहोल देता है जहाँ हम खुल कर अपनी बात रख सकते हैं।

हर वर्कशॉप में कुछ नया सीखने का मौका मिला, कभी खुद के बारे में गहराई से सोचा तो कभी समाज की समस्याओं से रूबरू हुए । कई सारे विषय समाज मे गलत माने जाते हैं उनके बारे में बात करना अच्छा नही माना जाता है, जैसे सेक्स का विषय, लेकिन इन बातों पर चर्चा करना भी ज़रूरी है इसका अहसास भी मुझे पुकार के द्वारा हुआ। रिसर्च के नए नए तरीकों के बारे में जाना बस इतना ही नही, किसी भी विषय पर क्रिटिकल थिंकिंग करना और उससे जुड़े सवाल उठाना कितना जरूरी होता है यह भी मैंने सीखा । ग्रुप के साथ मिलकर किस तरह उनकी बातों को सुन कर और उनके विचारों का सम्मान करते हुए किस तरह काम किया जाता है इसका अनुभव मुझे बखूबी हुआ ।
इस फ़ेलोशिप की वजह से कई विद्वानों जैसे रज़िया पटेल जी और राम पुनियानी जी से बात करने का मौका मिला और कई ऐसी संस्थाओं में जाने का अवसर मिला जिन के बारे में शायद ही हम जानते थे ।हमारी जानकारी को बढ़ाने और सोच को काफी हद तक बदलने और सही दिशा देने के लिए पुकार की मैं शुक्रगुज़ार हु और साथ ही गुनवंती जे कपूर फाउंडेशन , खालसा कॉलेज का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।

Misbah Khan

मेरा नाम मिस्बाह खान है, मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं YLCM इस फेलोशिप के द्वारा पुकार संस्था से जुड़ी यहाँ पर अलग अलग वर्कशॉप आयोजित किये गए हर वर्कशॉप में कुछ न कुछ सीखने मिला ।

इस फेलोशिप के ज़रिये जो समाज मे अलग अलग मुद्दे हैं उनके बारे में गहराई से सोचने का मौका मिला क्योंकि आज हम अपने ही जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि हम समाज मे हो रहे अलग अलग मुद्दों के बारे जानना ज़रूरी नही समझते, हमे उन मुद्दों के बारे में पता तो होता है लेकिन हम कभी उनपर गहराई से नहीं सोचते इन मुद्दों को गहराई से सोचने समझने का वह प्लेटफॉर्म मुझे इस फेलोशिप के जरिए मिला। इस फेलोशिप के ज़रिए आसपास हो रहे किसी भी हलचल(समस्या) के साथ सवालात को जोड़ कर सोचने की आदत मिली।इस फेलोशिप से रिसर्च करने की व्यवस्थित प्रक्रिया के बारे में जानकारी हुई और इसके रिसर्च टूल्स के बारे में पता चला जिसका हमने अपने रिसर्च में इस्तमाल किया।

Gazala Afreen

मेरा नाम गज़ाला आफरीन अंसारी हैं मैं खालसा कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं पुकार में अपने वाईस प्रिंसिपल देवेंदर कौर के फ़ोर्स करने पर मैं YLCM इस pukar fellowship से जुड़ी। पुकार में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहूत से बदलाव आए। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी और में अपनी बात सबके सामने रखने से बहूत झीझकती थी, पर अब में गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही हूं। और अपनी बात सब के सामने रख पाती हूँ|

मेरा आत्मविश्वास **PUKAR** की वज़ह से बढ़ा और पुकार में जुड़ने के बाद समझी के मेरे अंदर कितनी खामियां और खूबियां हैं। यहाँ पर हर रविवार को गोरेगांव में अलग अलग विषय - को लेकर वर्कशॉप होते थे।

इन वर्कशॉप के जरिए मैंने देखा और समझा कि समाज में जो चल रहा है और किसी बात को जानना हैं तो सिर्फ सिक्के के एक पहलू को नहीं बल्कि दोनों पहलु को देखना जरुरी है। यह सारी चीजें मैंने पुकार से सिखी और रिसर्च कैसे किया जाता इसके बारे में जानकारी हासिल हूई|

मैं सबसे ज्यादा वाईस प्रिंसिपल देवेंदर कौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। कि अगर वे मुझे PUKAR में जुड़ने के लिए Force नही करते तो मुझमे इतने सारे बदलाव नहीं आते|

में PUKAR खालसा कॉलेज और Gunvanti j Kapoor foundation का धन्यवाद करती हूँ जिसके जरिए मुझे बहुत कुछ सिखने और जानने का मौका मिला|

Huma Farooqui

मेरा नाम हुमा फ़ारूक़ी है। मैं गरु नानक खालसा कॉलेज में SYBA की छात्रा हूँ। Pukar (YLCM) के बारे में मुझे मेरे कॉलेज की vice principal के जरिए पता चला। और पुकार fellowship का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं बहूत खुश हूँ कि मै एक साल के लिए पुकार युथ फ़ेलोशिप का हिस्सा हूँ। मुझे हमेशा से ये ख्वाहुश थी की मैं किसी NGO के साथ जुड़ कर लोगो की मदद करु। और ये मौका मुझे पुकार के जरिये मिला ।

पुकार के साथ जुड़ कर मैंने बहूत कुछ सीखा। इस फ़ेलोशिप के जरिए मुझे ये एहसास हुआ की कोई भी इंसान योग्य नही होता। सब में कुछ खुबिया और कुछ खामिया होती है। बस उन्हें दोनों नज़रियों से देखने की जरुरत होती है चाहे वो चीज़ हो या लोग। इस फ़ेलोशिप के जरिए मैंने खुद के बारे जाना और खुद की क़ाबलियत को पहचाना। पहले मुझे लोगों के सामने कुछ बोलना हो , तो मैं बिलकुल भी नही बोल पाती थी मेरे पाँव कांपते थे लेकिन पुकार में आने के बाद मेरे अंदर हिम्मत और हौसला आया लोगो के सामने खुल के बोलने, अपनी बात रखने और अपनी सोच रखना मुझमे सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि पुकार एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई खुल के बोल सकता है, अपनी सोच और अपनी बात रख सकता है और यहाँ किसी को judge नही किया जाता की आप क्या बोल रहे हो या क्या सोचते हो बल्कि उससे समझने की पूरी कोशिश की जाती है। पुकार के जरिए मुझे समाज को जाने का और उनसे जुड़ी परेशानियों को जानने का मौका मिला। पुकार का सफर मेरे लिए काफी खुशगवार रहा। मेरा ग्रुप काफी अच्छा है हमने साथ में बहूत सी मस्तियाँ की, सीखा भी बहूत कुछ। रिसर्च के दौरान दिक्कते भी आई और साथ में आसानियाँ भी आई। पुकार का सफर मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा।

Ahtesham Peerzade

मेरा नाम एहतेशाम हैं, मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज का छात्र हूँ।मुझे बहुत पहले से किसी संस्था में शामिल होने की इच्छा थी जहाँ मुझे लोगों के भलाई के लिए काम करने का मौका मिलेगा

मुझे पुकार के बारे में पता चलने के बाद मैंने इसमें नामांकन करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मेरा उद्देश्य नए दोस्त बनाना और खुद को जानना था मुझ में क्या कमी है और सबसे अच्छी चीज़ क्या है। जैसे ही मैंने नए लोगों से बात करना शुरू की, मुझे पता चला कि समस्या केवल मुझे ही नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा समस्याओं का सामना किया है। लोगों से बात करते समय मैं खुले तौर पर अपनी बात नहीं रख पता था। मेरे अंदर डर था कि अगर मैंने बात की तो लोग मेरे विचारों पर मुझे JUDGE करेंगे। मुझे पुकार ने अपने डर को दूर करने और अपने विचारों को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखने में मदद की। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं पुकार में शामिल हुवा और पुकार का सफ़र मेरे लिए बहुत ही यादगार सफ़र रहा।

Paras Naik

मेरा नाम पारस जगदिश नाईक। प्रथमत: में गुरु नानक खालसा महाविद्यालय और गुणवंती जे कपूर फाउंडेशन का तहे दिल से आभारी हूँ, उन्हे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन होने हमे यह बडा मौका उपलब्ध किया।

पुरे एक साल में इस फेलोशिप ने मुझे कई अनगिनत पाठ पढाए है। हमारे शिक्षण पद्धती से अलग और महत्त्वपूर्ण चिज़े यहाँ सिखने मिली। हर मुद्दे के तह तक जाके उसकी सच्चाई ढुंडना उसकी पार्श्वभूमी समझ के लेना और उसकी तहकिकात करना उसका ज्ञान इस फेलोशिप के जरिए मिला। सामाजिक और राजनीतिक स्थरो पर अलग अलग ढंगो से होने वाले कार्य के नतीजे और उनके परिणाम इन चिजो को जानने, समझने का मौका मिला। बहुत से सामाजिक मसलो को देखने का ऐनक पुकार के इस फेलोशिप ने दिया। वैचारिक अश्व को मुक्त पध्दतीसे दौडने का स्वातंत्र आजमाने मिला। इस फेलोशिप में प्रयोगशील पद्धती के ज्यादा इस्तमाल कि वजह से हर एक चीज कि प्रकिया और महत्त्व समझ आया। यह फेलोशिप मेरे लिए जिंदगी का एक अनमोल पाठ पढाने वाली और मेरे नजरिए को सही दिशा देने वाली थी।

Facillitator Arvind Sakat

इंनोवेशन ग्रुप के साथ यूथ फेलोशिप पुकार मे जो काम करने का अवसर मिला वो बहोत ही अच्छा हैं और यादगार रहनेवाला हैं|

मुझे याद हैं अभी भी, की मेरी ग्रुप के साथ पहली मीटिंग बारीश मे माटुंगा के ब्रिज के नीचे हुई थी| और बारीश होते हुए भी सारे ग्रुप के सदस्य मीटिंग मे हाजीर थे तभी मुझे महसुस हूआ की इस ग्रुप मे कूछ तो खास हैं| उसके बाद हम लोग ग्रुप के research के काम के लीये हमशा कभी कॉलेज मे कभी पुकार ऑफिस मे मिलते रहे|

ग्रुप ने तीन तलाक जैसे धर्म संबंधित के टॉपिक पर संशोधन किया हैं ये विषय को समझने के लिए ग्रुप के सारे लोगों ने बहूत लगन से और एकसाथ जुडकर काम किया जो मेरे लिये हमेशा याद रहनेवाला हैं खास करके ग्रुप का एकजूट रहना, सब काम समय पर पुरा करना, वर्कशॉप मे भाग लेना, अपना काम खुद करना, रीस्पेक्ट(आदर) से सभी से बात करना ये सारी चिझे मुझे बहोत प्रभावित करती थी|

ग्रुप के साथ साथ तीन तलाक के बारे मे और इस्लाम धर्म के बारे मे बहूत कूछ सीखने को मिला| कई सारे एक्सपर्ट से ग्रुप ने मुलाखत की इसके लिए ग्रुप पुने तक जा कर आया जिसका पुरा नियोजन ग्रुप के लोग करते थे जो बहोत ही खास था| ग्रुप मे लडकीयां भी थि लेकींन उनके घर वालोने कभी भी उनको किधर जाने के लिये मना किया ये देखा नही| जो मेरे लिए बहूत ही खास था|

युथ फेलोशिप के इस पुरे जर्नी मे मैने ग्रुप मे कई सारे बदलावं आते हूए देखा हैं जिस्मे कॉन्फिडन्स, बात करने का तारीका, अपनी बात सबके सामने रखना, क्रिटिकल सोचना, लिखना, संशोधन पध्दती, इत्यादि|

ग्रुप का उत्साह और ताकद से हमेशा मुझे ग्रुप के साथ काम करने का मनोबल मिलता था| बहूत कूछ ग्रुप के साथ साथ मुझे भी सिखने को मिला हैं| ग्रुप ने हमेशा मुझे समज के लिया और पुरे काम मे बहूत ही अच्छा साथ दिया ये मैं कभी भी नही भूल पाउंगा|

HEENA ISMAIL

वैसे तो मैंने पुकार में एक साल की फेलोशिप की थी जहां मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला जैसे जेंडर, सेक्सुअल हरासमेंट, एडवोकेसी वगैरा. मुझे पहली बार अपनी लाइफ में अपना विचार शेयर करने का मौका मिला। मैं पुकार में एलम मेंटर के रोल के लिए सिलेक्ट हुई। मुझे इनोवेशन ग्रुप के मेंटर बनाया गया। इस ग्रुप के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। इस ग्रुप के मेंबर हर वक़्त काम करने के लिए तयार होते थे। सब काम टाइम टू टाइम कर देते थे। इसलिए मुझे इस ग्रुप को बार बार कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ग्रुप के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। सब अपना अपना काम बांट लेते हैं। मुझे इस ग्रुप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है।

ग्रुप के साथ काम करने से मुझे भी बहुत सारी बातें मालूम हुई जैसे मैं भी तलाक के तरीकों के बारे में नहीं जानती थी। मुझे शरीयत के कानून के बारे में भी कुछ नहीं पता था। यह सब मुझे मेरे ग्रुप के मेंबर से सीखने को मिला। यह ग्रुप के साथ रहते हुए मुझे तलाक के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। इस ग्रुप के मेंबर हर वक्त मेरी बात सुनते थे। ग्रुप के मेंबर्स की वजह से मैं मेरे ग्रुप के साथ पुणे तक जाकर आई। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मैं अपनी नॉलेज सब ग्रुप वालों तक शेयर भी कर पाई। मेरा एलम मेंटर का एक साल बहुत अच्छे से गुजरा। सबसे आखिर में मैं अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूं। उन्होंने मेरा यह पूरा साल बहुत यादगार बना दिया। और मेरे ग्रुप मेंबर्स पूरा साल भर मुझे समझे और मेरा साथ दिया इसलिए आपका बहुतबहुत शुक्रिया। मैं अपने फैसिलिटेटर को भी थैंक्स कहना चाहती - हूं। मेरे फैसिलिटेटर अरविंद जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर बात में मेरी हिम्मत बढ़ाई। Thank you so much all group members, YLCM group, alumentor group, and Anita.

संदर्भ

1) https://youtu.be/jB9XwKaHlX4

2) https://youtu.be/PYxvu_7RIjM

3) https://youtu.be/gYlu8bCEOuI

4) https://youtu.be/S670G35L2eM

5) https://youtu.be/xxqkJPak5Xk

6) https://youtu.be/itZnjXEtwEM

7) https://youtu.be/5T301uy3A_8

8) http://ahteshamp.blogspot.com/2017/08/triple-talak-decoded.html

9) http://ahteshamp.blogspot.com/2017/09/triple-talak-and-women-right.html

10) http://m.lokmat.com/mumbai/muslim-women-should-apply-family-violence-act-central-government-bmma/

11) http://lightofislam.in/triple-talaq/

12) http://indianexpress.com/article/explained/understanding-context-of-sc-ruling-on-triple-talaq-divorce-rate-of-muslim-women-is-thrice-that-of-men-4810719/

13) https://www.loksatta.com/pune-news/muslim-women-should-come-together-against-exploitation-say-saira-banu-1577876/

14) https://scroll.in/article/808588/the-debate-on-triple-talaq-and-muslim-womens-rights-is-missing-out-on-some-crucial-facts

15) https://thewire.in/gender/why-criminalising-triple-talaq-is-unnecessary-overkill

16) http://www.thehindu.com/news/national/aimplb-strikes-cautious-note-on-triple-talaq-bill/article21714976.ece

17) http://www.thehindu.com/news/national/govt-clears-bill-banning-instant-triple-talaq/article21679481.ece?homepage=true

18) https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/triple-talaq-bill-against-women-will-destroy-families-says-aimplb-1605798/

19) http://indianexpress.com/article/opinion/columns/adding-law-to-injury-triple-talaq-4987353/

20) http://indianexpress.com/article/india/triple-talaq-bill-in-parliament-today-5001967/

21) http://m.lokmat.com/manthan/woman-unspeakable-male-criminals-government-interested-solving-problems-muslim-women-whether-they/

22) http://indianexpress.com/article/india/triple-talaq-bill-fails-to-move-in-rajya-sabha-congress-wants-scrutiny-by-select-panel-5010193/

23) http://indianexpress.com/article/india/triple-talaq-bill-parliament-winter-budget-session-january-29-ordinance-unlikely-5012719/

24) https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/woman-given-triple-talaq-by-husband-on-phone-after-she-asked-for-money-for-the-treatment-of-their-differently-abled-daughter-1612651/

25) https://www.loksatta.com/mumbai-news/bhiwandi-man-sent-triple-talaq-to-his-wife-via-registered-post-after-dowry-torture-1624079

26) https://m.timesofindia.com/city/mumbai/70000-muslim-women-protest-against-triple-talaq-bill-in-malegaon/articleshow/62950639.cms

27) https://m.livehindustan.com/bihar/story-muslim-women-protests-against-triple-talaq-bill-in-khagaria-1807487.html

28) https://www.scribd.com/document/355646109/RTI-reports-on-Triple-Talaq-by-AIMPLB

29) https://m.timesofindia.com/city/bhubaneswar/women-march-against-triple-talaq-bill/articleshow/63012203.cms

30) https://www.google.co.in/amp/www.timesnownews.com/amp/india/article/triple-talaq-all-india-muslim-personal-law-board-silent-march-protest-against-bill-anti-islamic/203211

31) https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/tripple-talaq-triple-divorce-170511160557346.html

32) https://www.bbc.com/hindi/india-43552915

33) http://www.aksharnama.com/client/ardh_jag_detail/1852

34) http://www.aksharnama.com/client/ardh_jag_detail/1635

किताबों के नाम-:

1)मसाईल निकाह

Published by:- All India Muslim personal Law Board / 2007-

लेखक का नाम मौलाना मोहम्मद सिराजुद्दीन कासमी :

2) निकाह और तलाक

Published by:- All India Muslim personal Law Board

लेखक का नाममौलाना सय्यद शाह :

3) तलाक क्यों और कैसे

Published by:- All India Msuslim personal Law Board

लेखक का नाम डॉ :,मौलाना मोहम्मद फहीम अख्तर नदवी

4) तलाक के इस्तेमाल का तरीका

Published by:- All India Muslim personal Law Board /2007

लेखक का नाममौलाना सग़ीर अहमद रहमानी :

5) तलाक

Published by:- मकतबा दारुल उलूम देवबंद /2017

लेखक का नामसाहब कासमी इलाहाबादी। मुफ़्ती जैनुल इस्लाम :

6) बहार ए शरीयत

Published date: 1939

लेखक का नाम.मुफ्ती अमजद अली आज़मी :

परिशिष्ट

1. सहमती पत्र
2. सर्वे फॉर्म
3. तलाकशुदा औरत इंटरव्यू प्रश्नावली
4. इस्लामी विद्वान् प्रश्नावली

सहमति पत्र / Consent Form

रिसर्च ग्रुप का नाम-

इनोवेशन **INNOVATION (Youth Leaders as Change makers Fellowship 2017/18)**

तीन तलाक़ को जानना ,और इस के बारे में लोगो का दृष्टिकोण मालूम करना।

हम गुरु नानक खालसा कॉलेज के छात्र है और *Gunvati J Kapoor Medical Relief Charitable Foundation, PUKAR* और *Guru Nanak Khalsa College, Matunga* द्वारा चलाई जाने वाली *Youth Leaders as Changemakers* Fellowship का हिस्सा है। इस फेलोशिप के अंतर्गत हम मुंबई में लोगो से तीन तलाक़ के बारे में उनका विचार जानेगे। और इस रिसर्च के लिए हम मुस्लिम लोगो (महिला और पुरुष) से बात करके उनकी राय जानना चाहते है। इस वजह से हम चाहते है कि आप इस रिसर्च में सहभाग लेकर और अपनी राय बताकर हमे मदद करे।

इस के लिए हम आपका सर्वे (Survey) लेना चाहते है, जिसके हमे आपका 15 से 20 मिनट तक का समय चाहिए होगा।

इस सर्वे से हमे जो भी जानकारी मिलेगी उसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे रिसर्च में करेंगे जिससे हम एक रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे। आपका नाम और इतर वयक्तिगत जानकारी को गुप्त रखेंगे।

सहमति प्रमाण पत्र

(यह भरना अनिवार्य है)

मैं सर्वे देने के लिए सहभागी होने की अनुमति देता /देती हूं।

【 】 फोटोग्राफी

प्रतिभागी (पार्टिसिपेंट) का नाम। प्रतिभागी की हस्ताक्षर

_____________________________ _____________________

सर्वे लेने वाले का नाम. सर्वे लेने वाले की हस्ताक्षर

_____________________________ _____________________

SURVEY

नाम: ____

उम्र: __________ लिंग: महिला [ ] पुरुष [ ]

शिक्षण: ____________

पता: ____

____

____

फोन नंबर: _______________________

१) क्या आप शादी शुदा है?

हाँ [ ] नही [ ]

२) क्या आप तलाक़ के बारे में जानते हो ?

हाँ [ ] नही [ ]

३) ज़्यादातर तलाक़ किस तरह से होते है?

1) तलाक़-ए-हसन [ ]

2) तलाक़-ए-बिद्दत [ ]

3) तलाक़-ए-अहसन [ ]

4) पता नही [ ]

४) कुरआन शरीफ में तलाक देने का सबसे सही तरीका कोनसा है?

___

___

___

५) एक वक्त में दी जाने वाली तीन तलाक़ आप की राय में कैसी है?

___

___

___

६) इस्लाम मे तलाक़ देने का हक़ किसे है?

शोहर [ ] बीवी [ ] काज़ी [ ] इन तीनो को [ ]

७) तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको पता हैं?

हाँ [ ] नहीं [ ]

*८) आपको इस फैसले के बारे में कहा से जानकारी मिली?

अखबार [ ] टीवी(TV) [ ] लोगों से [ ] अन्य [ ]

*९) सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आपको तीन तलाक़ के बारे में जानकारी थी?

हाँ [ ] नही [ ]

१०) तीन तलाक़ को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया हैं, तो क्या यह फैसला शरीयत में दखलंदाज़ी कर रहा हैं।इस के बारे में कुछ बताएं?

___

___

___

११) क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगे ?

हाँ [ ] नही [ ]

१२) आप के हिसाब से तलाक देने का हक़ किसे होना चाहिए?

____

____

१३) क्या सरकार तीन तलाक़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है?

हाँ [ ]   नही [ ]

१४) सरकार का तीन तलाक़ के मुद्दे को उठाने का क्या मकसद हो सकता है?

आ) मुस्लिम महिलाओं को हक़ दिलाना [ ]

ब) मज़हब में दखलंदाज़ी [ ]

क) राजनीतिक फायदे [ ]

ज) अन्य [ ]

१५) सरकार तीन तलाक़ देने वालो को तीन साल की सज़ा देने के लिए कानून बना रही हैं, तो आप ने इस के बारे में सुना है?

हाँ [ ]   नही [ ]

१६) सरकार तीन तलाक़ देने वालो को तीन साल की सज़ा देने के लिए कानून बना रही हैं,तो इस कानून के बारे में आप की क्या राय हैं?

____

____

____

१७) किसी मुस्लिम औरत को तीन तलाक़ दिया जाए तो उससे मदद के लिए कहा जाना चाहिए

शरीयत कोर्ट (दारुल क़ज़ा) [ ]   कोर्ट [ ]   पुलिस [ ]
रिश्तेदार [ ]   अन्य [ ]

१८) आपने तलाक़-ए- तफवीज़ के बारे में सुना है?

हाँ [ ]   नहीं [ ]

१९) आपने फस्ख-ए-निक़ाह के बारे में सुना हैं? (काज़ी के ज़रिए दी जाने वाली तलाक़)

हाँ [ ] नही [ ]

२०) आपने खुला के बारे में सुना हैं?(औरत को तलाक़ देने का हक़)

हाँ [ ] नहीं [ ]

२१) आप की जान पहचान में किसी को एक वक़्त में तीन तलाक़ दिया गया है?

हाँ [ ] नही [ ]

२२) तीन तलाक़ को _______________

अ) कुछ तबदीली करना चाहिए [ ]

ब) वैसे ही रख देना चाहिए [ ]

क) बंद कर देना चाहिए [ ]

ज) पता नही [ ]

२३) आप तलाक़ में औरतों के हकों के बारे में जानते है क्या?

हाँ [ ] नही [ ]

२४) आपके हिसाब से तीन तलाक़ देने वाले के ऊपर किस तरह का कानून बनना चाहिए?

____

____

____

२५) तीन तलाक़ को रोकने के लिए हम लोगो को कैसे जागरूक करे?

____

____

____

INTERVIEW QUESTIONS

नाम:________________________ शिक्षण:________________

उम्र:________________________ शादी के वक़्त उम्र:______________

1) क्या आपकी शादी में आपकी रज़ामंदी ली गयी थी?

2) शादी के बाद और तलाक से पहले की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताये?

3) तलाक़ देने की वजह क्या थी?

4) तलाक़ होने के बाद आप मदद के लिए कहा गए? और इद्दत का वक़्त कहा गुज़रा?

5) तलाक़ के बाद आपका खर्चा कितना मिला और और कबतक मिला?(कब मिला)

6) अब आपका और आपके बच्चो का खर्चा कोन उठा रहा है ?

7) सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को गैर कानूनी बताया है तो इस के बारे में आप की क्या राय है?

8) सरकार तीन तलाक़ देने वालो को तीन साल की सज़ा देने के लिए कानून बन रहा है। तो इस के बारे में आपकी क्या राय क्या है ? और यह कानून किस तरह मदद कर सकता है?

9) आप के हिसाब से तीन तलाक़ देने वाले के ऊपर किस तरह का कानून बनना चाहिए?

10) तलाक़ होने के बाद आप पर लोगो का नज़रिया कैसा था?

11)ऐसे बहुत सारे NGO है जो मुस्लिम औरतो के लिए काम करते है तो उनकी सोच और उनके काम के बारे में आप की क्या राय है?

12) आप के हिसाब से तीन तलाक़ को रोकने के लिए हम लोगो को कैसे जागरूक/आगाह कर सकते है?

इस्लामी विद्वान प्रश्नावली

१) आप के हिसाब से ऐसी कौनसी वजह है जिस से तीन तलाक़ चर्चे में है?

२) आप के हिसाब से महर कितनी होनी चाहिए और महर देना क्यों देना ज़रूरी है?

३) आप को क्या लगता है शादी और महर में क्या संबंध है? और उसे तलाक से क्यों जोड़ा जा रहा है?

४) क्या आप बता सकते है कि तीन तलाक़ को लेकर उलमाओं में इख्तिलाफ क्यों है?(एक समय मे दी जाने वाली तीन तलाक को तीन तलाक़ समझना और तीन तलाक़ को एक समझना)

५) जो आजकल के निकाहनामे में सिर्फ दूल्हा दुल्हन और वली काज़ी और गवाह का नाम रहता है, इस के बारे में थोड़ा बताए और उसमें क्या तबदीली होने की ज़रूरत है?

५अ)क्या आप बता सकते है कि जैसे निकाह के वक़्त हाज़िरी की ज़रूरत होती है मगर तलाक़ के वक़्त हाजिरी की ज़रूरत क्यू नही होती?

६) क्या आप बता सकते है कि निकाह के समय कुछ शर्त रख सकती है ?

७) तफवीज़ के बारे में आप हमें कुछ बता सकते है क्या? और क्यों इसे निकाहनामे के साथ नही जोड़ा जा रहा है?

८) तीन तलाक़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसपर आप की क्या राय है?

९) आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला औरतों के सामाजिक हैसियत बढ़ावा दे रहा है क्या?

१०) सरकार तीन तलाक़ देने वाले को तीन साल की सज़ा देने के लिए बिल पास किया है, उस को लेकर आपकी क्या राय है?

११) आपको क्या लगता है कि सरकार तीन तलाक़ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है?

१२) आपके हिसाब से तीन तलाक़ देने वालो के ऊपर किस तरह का कानून बनना चाहिए?

१३) तलाक़ के बाद मर्दो को औरतों पर नान-व-निफका कब तक देना और कितना देना जरूरी है?

१४) क़ुरआन शरीफ में तलाक का आसान और सहल तरीका कोनसा है?

१५) आप की राय में Domestic Violence Act 2005 महिलाओं के हक़ के लिए लड़ सकता है? और कैसे?

१६) ऐसे बहुत से NGO है जो मुस्लिम औरतो को लिए काम करते है तो उनकी सोच और उनके काम के बारे में आपकी क्या राय है?

१७) क्या आप तीन तलाक़ को शरीयत व हदीस के हवाले से बता सकते हैं?

१८) क्या आपके पास कोई तीन तलाक़ का मसला लेकर आया है? तो आपने उसका हल कैसे निकाला?

१९) आपके हिसाब से तीन तलाक़ को रोकने के लिए लोगों को कैसे जागरूक/ आगाह कर सकते है?

धन्यवाद

क्यूँ बनाते हैं हम ऐसे रिश्ते,
जो पल दो पल में टूट जाते हैं।
वादा तो करते हैं ता उम्र साथ निभाने का,
लेकिन हल्की सी आंधी में बिखर जाते हैं।

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE THE PEOPLE OF INDIA, having
solemny resolved to constitute India into a
Sovereign Socialist Secular Democratic Republc
and to secure to all its citizens

JUSTICE

Social, economics and political:

LIBERTY

of thought, expression, brief, faith and worship

EQUALITY

of status and of oppertunity: and to
promote among them all

FRATERNITY

assuring the diginity of the individual and
the unit and integrity of the Nation

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY

this twenty-sixth day of November, 1949, do

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THUS CONSTITUTION